

शिक्षार्थी व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी

(कक्षा 9-10 'अ' पाठ्यक्रम के लिए)





# शिक्षार्थी व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी (कक्षा 9-10 'अ' पाठ्यक्रम के लिए)

संपादक  
स्नेह लता प्रसाद



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2003

**सर्वाधिकार सुरक्षित**

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापाया तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिनिधि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की विक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पच्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

**एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यालय**

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस श्री आरविंद मार्ग नई दिल्ली-110016	108, 100 फीट रोड, होस्टेजकें रेवेली एक्सटेंशन बनासंकरा III इस्टेज बैंगलूर 560085	नवनीवन ट्रस्ट भवन झाकपर नवनीवन अहमदाबाद 380014	सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस निकट : धनकल बस स्टॉप पनिल्टी, कोलकाता 700114
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

**प्रकाशन सहयोग**

- संपादन : रेखा अग्रवाल  
उत्पादन : अरुण चितकारा  
आवरण : अमित श्रीवास्तव

रु. 30.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा जे. जे. ऑफसेट प्रिंटेर्स, 522, पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, पटपड़गंज, दिल्ली 110092 द्वारा मुद्रित।

## आमुख

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के तत्त्वावधान में विद्यालयी स्तर पर विभिन्न शैक्षिक विषयों के लिए पाठ्यचर्या एवं तदनुरूप पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का कार्य लगभग चार दशकों से हो रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के लागू होने पर तदनिहित सिद्धांतों, सुझावों और उद्देश्यों के अनुसार उपयुक्त शिक्षण-सामग्री एवं पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया, जिनमें बाल-केंद्रित शिक्षा एवं शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में यह सुझाव भी दिया गया था कि कुछ समय के पश्चात ज्ञान-विज्ञान के विकास, सामाजिक और नवीन दृष्टिकोण तथा मूल्यपरक शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में यथावश्यक संशोधन और परिवर्तन अवश्य किया जाए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए 'विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (2000) का निर्माण हुआ। तत्पश्चात नवीन पाठ्यचर्या में सुझाए गए उद्देश्यों, जीवनमूल्यों, सूचना-संसाधनों और शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष की दृष्टि से अपेक्षित शैक्षिक बिंदुओं को समाहित करते हुए विविध विषयों का नवीन पाठ्यक्रम तैयार किया गया। तदनुसार नवीन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया। इसी शृंखला में नवी-दसवीं कक्षा के हिंदी 'अ' कोर्स के लिए 'शिक्षार्थी व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी' की इस पुस्तक का प्रणयन किया गया है।

इस पुस्तक की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

1. भाषा के व्यावहारिक और प्रायोगिक पक्षों को अधिकाधिक उभारने का प्रयास किया गया है और उदाहरणों के आधार पर व्याकरणिक सिद्धांतों, परिभाषाओं तथा नियमों का उल्लेख किया गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि इन सिद्धांतों और नियमों के द्वारा शिक्षार्थियों में भाषिक तत्त्वों को समझने और उनका विश्लेषण करने की योग्यता का विकास होगा।
2. भाषा एक व्यवस्था है, जिसे मुख्यतः वर्ण-व्यवस्था, शब्द-व्यवस्था, पद-व्यवस्था और वाक्य-व्यवस्था के अध्ययन द्वारा भली-भाँति समझा जा सकता है।

अतः हिंदी भाषा की इन व्याकरणिक व्यवस्थाओं का स्पष्ट एवं विस्तृत विवेचन किया गया है।

3. भाषा के व्यावहारिक कौशल (मौखिक, लिखित) तथा भाषा के प्रयोजनमूलक रूपों के संवर्धन की दृष्टि से खंड 'ख' (व्यावहारिक हिंदी) में आवश्यक विषयों और रचना के विविध रूपों का सोदाहरण समावेश किया गया है। इन उदाहरणों से शिक्षार्थियों में स्वयं मौलिक रचना करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होगा।
4. खंड 'ख' के अंतर्गत हिंदी के प्रयोजनमूलक संदर्भों में छात्रों को सक्षम बनाने और कुछ व्यावहारोपयोगी रूपों से अवगत कराते हुए उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करते-करते वे विविध प्रकार के पत्र लिखने और आवश्यकता पड़ने पर टेलीफोन पर बातचीत करना, संदेश लेना-देना, रेलवे समय-सारिणी देखना, आरक्षण करवाना, यातायात के विभिन्न संकेतों से परिचित हो उनका पालन करना आदि का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रकार उनमें व्यावहारिक जीवन के विभिन्न पक्षों में कार्य कुशलता प्राप्त करने के साथ-साथ आत्मविश्वास की भी वृद्धि होगी।

प्रस्तुत पुस्तक के निर्माण में हमें अनेक शिक्षाविदों, भाषाशास्त्रियों एवं अध्यापकों का सहयोग मिला है। मैं इन सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

इस पुस्तक के परिष्कार के लिए भाषाविदों और वैयाकरणों द्वारा प्रस्तुत सुझावों का हम सदैव स्वागत करेंगे।

जगमोहन सिंह राजपूत

नई दिल्ली

निदेशक

जनवरी 2003

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

## संपादकीय

पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं तदनुरूप पाठ्यपुस्तक की रचना राष्ट्रीय महत्त्व का कार्य है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना के क्रियान्वयन एवं शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह मूल उपादान है। इस महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के तत्त्वावधान में विद्यालयी शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यपुस्तकों के प्रणयन का कार्य पिछले चार दशकों से होता आ रहा है, पर यह कार्य एक सतत विकासशील प्रक्रिया है। बदलती हुई राष्ट्रीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, नूतन जीवनमूल्यों तथा वांछित विकास की दिशाओं के अनुरूप इनमें संशोधन और परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। अतः 'विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (2000) को सम्यक् रूप से क्रियान्वित करने के लिए परिषद् ने अन्य विषयों की भाँति हिंदी भाषा के नवीन पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के प्रणयन का कार्य हाथ में लिया है और इसके लिए हिंदी भाषा एवं साहित्य के विशिष्ट विद्वानों, अनुभवी शिक्षकों तथा प्रशिक्षण विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया गया है।

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं (कक्षा 9-10 'अ' पाठ्यक्रम) के लिए 'शिक्षार्थी व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी' की प्रस्तुत पुस्तक तैयार की गई है।

इस पुस्तक की कतिपय विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

1. पुस्तक दो खंडों में है। खंड 'क' में व्याकरण और खंड 'ख' में रचना संबंधी प्रकरणों का समावेश है।
2. खंड 'क' में भाषिक तत्त्वों – हिंदी भाषा और व्याकरण, वर्ण-व्यवस्था, वर्तनी, संधि, शब्द-भंडार और शब्द-निर्माण, पद-व्यवस्था, पद-परिचय, वाक्य-व्यवस्था, विराम-चिह्न तथा मुहावरे और लोकोक्तियाँ आदि प्रकरणों को अत्यंत सरल, सुबोध एवं सुग्राह्य शैली में प्रस्तुत किया गया है। भाषिक तत्त्वों के परिचय में आधुनिक भाषाविज्ञान की मान्यताओं एवं उपलब्धियों का आधार लिया गया है।

3. माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की भाषा-योग्यता एवं क्षमता का ध्यान रखते हुए भाषा-विश्लेषण संबंधी विभिन्न मतों एवं विवादों से बचकर सर्वस्वीकृत तथ्यों और मान्यताओं को ही इस पुस्तक में स्थान दिया गया है। इससे निश्चय ही छात्रों में भाषा के अध्ययन और विश्लेषण के प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी।
4. भाषिक तत्त्वों के विवरण एवं विश्लेषण में यह भी ध्यान रखा गया है कि छात्रों के ऊपर अनावश्यक बोझ न पड़े और उन्हें हिंदी भाषा के प्रामाणिक तत्त्वों का सामान्य ज्ञान भी हो जाए, जिससे उच्च कक्षाओं में तद्विषयक गहन एवं विस्तृत अध्ययन के लिए एक सुदृढ़ आधार बन जाए।
5. आधुनिक मान्यताओं के अनुसार पदभेदों का एक ही अध्याय में विवेचन किया गया है। इस कारण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि विभिन्न पदों को अलग-अलग अध्यायों में नहीं दिया गया है। वस्तुतः ये सभी मिलकर भाषा की संरचना का समग्र रूप प्रस्तुत करते हैं।
6. नवीन पाठ्यचर्या के आधार पर खंड 'ख' व्यावहारिक हिंदी में मौखिक रचना पर विशेष बल दिया गया है।

इसके अंतर्गत आज के व्यवहार योग्य विभिन्न पक्षों का समावेश कर उनसे छात्रों को परिचित कराया गया है।

लिखित रचना के अंतर्गत पत्र एवं निबंध के अतिरिक्त सार लेखन, प्रतिवेदन और अपठित गद्यांश का समावेश कर इनकी आवश्यकता और इनके प्रयोग की विधि का भी वर्णन किया गया है। इसी खंड में जीवन के व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए छात्रों को फ़ोन पर बात करना, रेलवे आरक्षण फार्म भरना, यातायात के चिह्नों को समझना आदि की जानकारी भी प्रदान की गई है।

लिखित रचना के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न संदर्भों यथा – पत्र, निबंध, सार, प्रतिवेदन, अपठित गद्यांश आदि को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि अध्यापक क्षेत्र और परिवेश की आवश्यकता के अनुरूप छात्रों से इन रचनाओं का अभ्यास करवा सकें। इससे छात्र विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में, पत्र इत्यादि लिखने में और मौखिक रचना करने में सक्षम हो सकेंगे।

इस पुस्तक के प्रणयन में हमें अनेक विद्वानों, भाषा-विशेषज्ञों, शिक्षक-प्रशिक्षकों एवं अनुभवी शिक्षकों का सहयोग प्राप्त हुआ है। हम उनके प्रति अपना हार्दिक



आभार प्रकट करते हैं। हम उन सभी विषय-विशेषज्ञों के प्रति विशेष आभारी हैं, जिनके सहयोग से इस पुस्तक का निर्माण हो सका है।

हमें विश्वास है कि यह पुस्तक छात्रों में हिंदी भाषा की प्रकृति, रचना और गठन को समझने, उसके विभिन्न अवयवों का विश्लेषण करने और उनके शुद्ध प्रयोग की क्षमता विकसित करने में उपयोगी सिद्ध होगी। इसके सुधार और परिष्कार की दृष्टि से सुविज्ञानों द्वारा भेजे गए सुझावों एवं परामर्शों से हमें प्रसन्नता होगी।



## गांधी जी का जंतर

तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ :

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा, जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

म. य. वि. ६

## पुस्तक समीक्षा कार्यगोष्ठी के सदस्य

निरंजन कुमार सिंह  
प्रवाचक (अवकाश प्राप्त)  
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा  
विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.  
नई दिल्ली

सूरजभान सिंह  
प्रोफेसर प्रभारी (अवकाश प्राप्त )  
केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली

आनंद प्रकाश व्यास  
प्रवाचक (अवकाश प्राप्त)  
एम.डी.-56, विशाखा एन्क्लेव  
दिल्ली

प्रभात कुमार  
प्रवाचक, हंसराज कॉलेज  
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रभाकर द्विवेदी  
मुख्य संपादक (अवकाश प्राप्त)  
रा.शै.अ.प्र. परिषद्, नई दिल्ली

माणिक गोविंद चतुर्वेदी  
प्रोफेसर प्रभारी (अवकाश प्राप्त)  
केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली

कृष्ण कुमार गोस्वामी  
प्रोफेसर  
केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली

मानसिंह वर्मा  
पूर्व अध्यक्ष  
हिंदी विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ

नीरा नारंग  
वरिष्ठ प्रवक्ता शिक्षा विभाग,  
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

राजकुमार निगम  
शिक्षा अधिकारी (अवकाश प्राप्त )  
राम कृष्णपुरम्, दिल्ली

सुरेश पंत  
प्रवक्ता (अवकाश प्राप्त)  
राजकीय उच्चतर माध्यमिक  
बाल विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली

इंद्रा सक्सेना  
पी.जी.टी., क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान  
रा.शै.अ.प्र.प., अजमेर

कुसुमलता अग्रवाल  
टी.जी.टी., सर्वोदय बाल विद्यालय  
रमेश नगर, नई दिल्ली

कुसुम सिन्हा  
पी.जी.टी., केंद्रीय विद्यालय  
सी.आर.पी.एफ ग्रुप सेंटर,  
सेक्टर 1, अजमेर

अशोक शुक्ल  
टी.जी.टी. सर्वोदय विद्यालय  
एफ.यू. ब्लाक, पीतमपुरा, दिल्ली

एन.सी.ई.आर.टी. संकाय  
अनिरुद्ध राय प्रोफेसर  
सत्येंद्र वर्मा, प्रोफेसर  
स्नेह लता प्रसाद, रीडर (समन्वयक)

# भारत का संविधान

भाग 4क

## नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे,
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे; और
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके।

## विषय-सूची

आमुख	v
संपादकीय	vii

### खंड 'क' व्याकरण

1. हिंदी भाषा और व्याकरण	3
हिंदी का महत्त्व, हिंदी भाषा का क्षेत्र, हिंदी की बोलियाँ भाषा और व्याकरण	
2. वर्ण-व्यवस्था	7
वर्ण, वर्णों के भेद, उच्चारण — स्थान के आधार पर; प्रयत्न के आधार पर; अक्षर; बलाघात और अनुतान	
3. वर्तनी	19
वर्तनी व्यवस्था — वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर, वाक्य स्तर पर; वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ	
4. संधि	29
भेद — स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, हिंदी की अपनी संधियाँ।	
5. शब्द-भंडार और शब्द-निर्माण	35
शब्दों का वर्गीकरण — स्रोत या इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, अर्थ के आधार पर; शब्द-निर्माण — उपसर्ग, प्रत्यय, समास, युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द	

- |                                                                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. पद-व्यवस्था                                                                                                                                                                | 60  |
| शब्द और पद, पद के भेद, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय                                                                                                |     |
| 7. पद-परिचय                                                                                                                                                                   | 92  |
| संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय                                                                                                                                        |     |
| 8. वाक्य-व्यवस्था                                                                                                                                                             | 94  |
| वाक्य के अंग, वाक्य रचना – पदक्रम, अन्विति, वाक्य के घटक, पदबंध, वाक्य के प्रकार – रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर; वाक्य-विश्लेषण, वाक्य रचना की अशुद्धियाँ, वाक्य रूपांतरण |     |
| 9. विराम-चिह्न                                                                                                                                                                | 118 |
| 10. मुहावरे और लोकोक्तियाँ                                                                                                                                                    | 124 |
| 11. अलंकार                                                                                                                                                                    | 135 |

### खंड 'ख' व्यावहारिक हिंदी

- |                                                                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12. मौखिक रचना                                                                                                                                                                                     | 143 |
| कविता पाठ, सस्वर वाचन, साक्षात्कार देना और लेना, वर्णन, भाषण, आशुभाषण, वाद-विवाद, परिचर्चा, संवाद-अभिनय, कहानी-कथन, सभा-संचालन – स्वागत भाषण, अतिथि परिचय और स्वागत, अध्यक्षीय भाषण, धन्यवादज्ञापन |     |
| 13. लिखित रचना                                                                                                                                                                                     | 151 |
| (क) पत्र-लेखन                                                                                                                                                                                      |     |
| अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र, आवेदन-पत्र (आर्थिक सहायता के लिए), आवेदन-पत्र (पद के लिए), आवेदन-पत्र का प्रारूप, बधाई पत्र (उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति पर), शुभकामना-पत्र (परीक्षा),                 |     |

निमंत्रण-पत्र (विवाह पर, समारोह पर), संवेदना-पत्र (निधन पर), शिकायती-पत्र (स्वास्थ्य अधिकारी के नाम), समस्या-पत्र (संपादक के नाम)

(ख) निबंध लेखन

(ग) सार लेखन

(घ) प्रतिवेदन लेखन

(ङ) अपठित बोध

(च) अन्य व्यावहारिक पक्ष

फ़ोन पर प्राप्त संदेश को लिखना

रेलवे समय-सारिणी : कैसे देखें?

रेल आरक्षण फ़ार्म : कैसे भरें?

यातायात के संकेत

कोश देखना







खंड क  
व्याकरण



हमारा देश अनेक भाषाओं की समृद्ध साहित्यिक परंपराओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ संसार के चार भाषा-परिवारों – भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत-बर्मी और आग्नेय की अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इसीलिए भारत को 'बहुभाषी' देश कहते हैं। हजारों सालों से साथ-साथ रहने के कारण इन भाषाओं ने एक-दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित किया है। वास्तव में हमारी भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों और व्याकरण व्यवस्थाओं में जो चमत्कारिक समानताएँ विकसित हो गई हैं, उन्हीं को देखकर अनेक देशी-विदेशी भाषाविज्ञानियों ने भारत को 'एक भाषिक क्षेत्र' कहा है। इसका अर्थ है कि अनेक भाषाओं के बावजूद यहाँ भाषिक और सांस्कृतिक एकता पाई जाती है। इसी कारण 'अनेकता में एकता' या 'एकता में अनेकता' को भारतीय संस्कृति और सभ्यता की प्रमुख विशेषता माना जाता है।

## हिंदी का महत्त्व

हिंदी भारतीय-आर्य भाषा-परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से लेकर पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुज़रती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अंतर्देशीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। हमारे जन-जीवन, सामाजिक, सांस्कृतिक-संप्रेषण, ज्ञान-विज्ञान और सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हिंदी हमारी ही नहीं अपितु पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्थाओं में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। इसी

का परिणाम है कि हिंदी अपने देश में मातृभाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा आदि रूपों में पढ़ी-पढ़ाई जा रही है और यह भारत के बाहर अनेक देशों में भी अध्ययन-अध्यापन का विषय है।

### हिंदी भाषा का क्षेत्र

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों और दिल्ली एवं अंडमान-निकोबार संघ राज्य-क्षेत्रों में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी ही है।

हिंदी सार्वदेशिक भाषा है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब के लोगों का भी संपर्क हिंदी-भाषी क्षेत्र से होता रहता है। शासकीय दृष्टि से इन प्रदेशों की सीमाएँ तो हैं, परंतु भाषा की दृष्टि से कहीं सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। हिंदी और बँगला, हिंदी और गुजराती, हिंदी और पंजाबी के बीच की कोई सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त द्रविड़ परिवार की भाषाओं — मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल के शब्दों और हिंदी के शब्दों में काफ़ी समानता मिलती है। इन क्षेत्रों में भी हिंदी समझी और बोली जाती है।

### हिंदी की बोलियाँ

इतने विशाल भूभाग की भाषा होने के कारण हिंदी की अनेक बोलियाँ हैं : पश्चिम में हरियाणवी, खड़ीबोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी उल्लेखनीय हैं। इनमें ब्रजभाषा, राजस्थानी और खड़ीबोली का विशेष साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्त्व है। पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली महत्त्वपूर्ण बोलियाँ हैं। अवधी और मैथिली में भरपूर साहित्य मिलता है। उत्तर में गढ़वाली और कुमाऊँनी दो पहाड़ी

बोलियाँ हैं। दक्षिण भारत में भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी बोली हिंदी की ही एक शाखा है जिसे 'दक्खिनी हिंदी' कहते हैं। इसमें भी साहित्य मिल जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में इन सभी बोलियों का बहुमूल्य योगदान रहा है।

### भाषा और व्याकरण

भाषा एक व्यवस्था है। जहाँ भी कोई व्यवस्था होती है, वहाँ उसके कुछ नियम होते हैं। इसीलिए हर भाषा के अपने नियम होते हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर मातृभाषी इस व्यवस्था को अपने परिवेश से सहज रूप में सीख लेते हैं, किंतु अन्य भाषा-भाषी को इन नियमों के माध्यम से भाषा-व्यवहार सिखाया जाता है। नियमों की इस पूरी व्यवस्था को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के इन नियमों को सीखने के बाद शिक्षार्थी भाषा का शुद्ध प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है। भाषा के सतत् प्रयोग और व्यवहार से ये व्याकरणिक नियम शिक्षार्थी स्वतः की समझ लेता है।

भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद (शब्द), पद से छोटी इकाई अक्षर (सिलेबल) और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि अथवा वर्ण है। इन सब इकाइयों की प्रकृति, रचना और प्रयोग-विधि का ज्ञान कराना व्याकरण का काम है। मोटे तौर पर भाषिक व्यवस्था के तीन स्तर होते हैं —

1. वर्ण-व्यवस्था
2. पद-व्यवस्था
  - क. शब्द स्तर पर
  - ख. पद स्तर पर
3. वाक्य-व्यवस्था

व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक-ठीक और प्रभावशाली प्रयोग करना आता है। उच्चारण की प्रक्रिया समझने के बाद कोई व्यक्ति अपने

उच्चारण को शिष्ट, मानक और अधिक ग्राह्य बना सकता है। शब्द स्तर पर शब्द का वर्गीकरण, शब्द का भंडार और उसकी रचना आती है, किंतु वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर शब्द पद का रूप ग्रहण कर लेता है। इसलिए पद-व्यवस्था में शब्द और पद दोनों स्तरों पर विवेचन करने से भाषा की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। इसके साथ ही एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा का व्याकरण जानकर उसे शीघ्रता और शुद्धता से सीख लेता है। इस प्रकार भाषा के मानक रूप का ज्ञान प्राप्त करने, उसका सही प्रयोग करने तथा भाषिक तत्त्वों का विश्लेषण करने में व्याकरण हमारी सहायता करता है।

### प्रश्न-अभ्यास

1. भारत में किन-किन भाषा-परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं?
2. हिंदी किस भाषा-परिवार की भाषा है?
3. भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है — 'अनेकता में एकता'। भाषिक आधार पर सिद्ध कीजिए।
4. हिंदी किन-किन राज्यों में प्रशासन की भाषा है?
5. हिंदी की प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए।
6. व्याकरण किसे कहते हैं? इसके अध्ययन से क्या लाभ हैं?

भाषा का मूलरूप मनुष्य के मस्तिष्क में बोधन और अभिव्यक्ति की क्षमता के रूप में विद्यमान रहता है। अतः आधुनिक भाषा-विज्ञान में भाषा को ऐसी बौद्धिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ध्वनि-प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। भाषा के इन्हीं पारंपरिक ध्वनि-प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। हमारी भाषा में 'वर्ण' शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपि-चिह्नों दोनों के लिए होता है। इस प्रकार *वर्ण भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं और ये ही भाषा की लघुतम इकाई हैं।* हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं।

### वर्णमाला

*हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिह्न (वर्ण) प्रयुक्त होते हैं, उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं।* हिंदी वर्णमाला का मानक रूप नीचे दिया जा रहा है -

स्वर -                    अ   आ   इ   ई   उ   ऊ   ऋ   ए   ऐ   ओ   औ  
स्वरों की मात्राएँ        ा   ि   ि   ु   ू   ृ   े   ै   ो   ौ

(‘अ’ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि यह व्यंजन में अंतर्निहित रहता है।)

अनुस्वार - अं (ँ)

विसर्ग - अः (:)

व्यंजन -

क वर्ग	-	क	ख	ग	घ	ङ
च वर्ग	-	च	छ	ज	झ	ञ
ट वर्ग	-	ट	ठ	ड	ढ	ण ङ ढ
त वर्ग	-	त	थ	द	ध	न
प वर्ग	-	प	फ	ब	भ	म
अंतःस्थ	-	य	र	ल	व	
ऊष्म	-	श	ष	स	ह	
संयुक्त व्यंजन	-	क्ष	त्र	ज्ञ	श्र	
आगत वर्ण	-	ओं	ज़	फ़		

**ध्यान दीजिए** हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहते हैं क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। स्वर तो अपनी प्रकृति से ही अक्षर होते हैं परंतु हिंदी के व्यंजन वर्णों में भी 'अ' वर्ण रहता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत के चिह्न (्) का प्रयोग होता है; जैसे - छ्, ट्, द्, ह्।

मानक वर्णमाला के अनुसार अंकों के लिए (संख्यावाची चिह्न) प्राचीन भारतीय अंकों के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होता है, जो इस प्रकार हैं -

मानक अंक - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

देवनागरी अंक - ० १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

**वर्णों के भेद** - उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो वर्णों में बाँटा जाता है - स्वर और व्यंजन।

**स्वर** - *जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुँह से बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं;* जैसे - अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, ऑ।



यद्यपि पारंपरिक वर्णमाला में ऋ, अं, अः को स्वरों में गिना जाता है क्योंकि ये स्वरों के योग से ही बोले जाते हैं परंतु लिखने में आ, ई की तरह ऋ की भी मात्रा 'ृ' होती है; जैसे — कृ।

ध्यान दीजिए, ऋ स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में ही होता है; जैसे — ऋण, ऋषि, ऋतु, घृत आदि। इसका उच्चारण प्रायः उत्तर भारत में 'रि' की तरह होता है। कहीं-कहीं (महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में) इसका उच्चारण 'रु' जैसे होता है।

अं और अः यद्यपि स्वरों में गिने जाते हैं परंतु उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन ही हैं। अं को अनुस्वार तथा अः को विसर्ग कहा जाता है। ये हमेशा स्वर के बाद ही आते हैं। अं और अः व्यंजन के साथ क्रमशः अनुस्वार (ँ) और विसर्ग (ः) के रूप में जुड़ते हैं।

अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग के अंतिम नासिक्य वर्ण के रूप में उच्चरित होता है; जैसे —

गंगा, पंकज में ङ् (गङ्गा, पङ्कज)

मंच, कुंज में ञ् (मञ्च, कुञ्ज)

घंटा, डंडा में ण् (घण्टा, डण्डा)

दंत, बंद में न् (दन्त, बन्द)

चंपक, अंब में म् (चम्पक, अम्ब)

अंतस्थ (य, र, ल, व) और ऊष्म (श, ष, स, ह) के पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्णों में से किसी भी एक वर्ण की भाँति हो सकता है, किंतु कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता; जैसे — संशय, संरचना, संलाप में 'न्', संवाद में 'म्' और 'संहार' में ङ्। शब्द के अंत में स्वर-रहित म् की तरह; जैसे — स्वयं।

विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है और उसका उच्चारण 'ह' की तरह होता है; जैसे — प्रातः।

‘ओं’ अंग्रेज़ी की एक स्वर ध्वनि है, इसलिए इसका प्रयोग अंग्रेज़ी से आगत शब्दों में ही होता है; जैसे — कॉलेज, ऑफ़िस, डॉक्टर। ‘आ’ के रूप में भी इसका प्रयोग होता है; जैसे — कालेज, आफ़िस, डाक्टर।

**स्वर वर्णों के भेद :** हिंदी में स्वरों के मूलतः दो भेद हैं —

1. निरनुनासिक 2. अनुनासिक

1. **निरनुनासिक स्वर** — अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ

2. **अनुनासिक स्वर** — अँ, आँ, इँ, ईँ, उँ, ऊँ, एँ, ऐँ, ओँ, औँ

यद्यपि अनुनासिक स्वर के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है परंतु यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी होती है तो चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है। याद रहे हिंदी के सभी निरनुनासिक स्वरों के नासिक्य रूप होते हैं। इन स्वरों के अर्थभेदक उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं —

निरनुनासिक स्वर		नासिक्य स्वर	
अ	सवार	अँ	सँवार
आ	कहा	आँ	कहाँ
इ	बिध	इँ	बिँध
ई	वही	ईँ	वहीं
उ	उगली	उँ	उँगली
ऊ	पूछ	ऊँ	पूँछ
ए	पढ़े	एँ	पढ़ें
ऐ	है	ऐँ	हैं
ओ	गोद	ओँ	गोंद
औ	चौक	औँ	चौँक

**ह्रस्व और दीर्घ स्वर** — उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वरों के दो भेद हैं — ह्रस्व और दीर्घ।

**ह्रस्व स्वर** — जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय (एक मात्रा का समय) लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं; जैसे — अ, इ, उ, ऋ ह्रस्व स्वर हैं। इनके उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा का समय कहते हैं।  
**दीर्घ स्वर**— जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक समय (दो मात्रा का समय) लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं; जैसे — आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

ध्यान देने की बात है कि ये दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वरों के दीर्घ रूप नहीं हैं, वरन् अपने आप में स्वतंत्र हैं। पारंपरिक रूप से वर्णमाला के स्वरों का उच्चारण करते समय सामान्यतः हम 'ऐ' को 'अई' और 'औ' को 'अउ' बोलते हैं। संस्कृत में ये दोनों स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। हिंदी में इनके दो-दो उच्चरित रूप मिलते हैं। 'य' से पहले आने वाला 'ऐ' का उच्चारण 'अई' होता है; जैसे — भैया-भइया, तैयार-तइयार। अन्य स्थितियों में इसका उच्चारण 'ऐ' होता है; जैसे — कैसा, पैसा, बैठा। इसी तरह 'औ' के बाद अगर 'व' आ जाए तो इसका उच्चारण 'अउ' होता है; जैसे — कौवा-कउवा, हौवा-हउवा। अन्य सभी स्थितियों में इसका उच्चारण 'औ' होता है; जैसे — औरत, औसत।

**व्यंजन** — जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ या घर्षण के साथ मुँह से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं।

**व्यंजनों का वर्गीकरण** — व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

**उच्चारण स्थान के आधार पर** — व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों; जैसे — कंठ, तालु, दाँत आदि को छूती है, जिसके परिणामस्वरूप तरह-तरह की व्यंजन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है —

कंठ्य — (गले से) क, ख, ग, घ, ङ, ह।

तालव्य — (तालु से) च, छ, ज, झ, ञ, य और श।

मूर्धन्य — (तालु के मूर्धा भाग से) — ट, ठ, ड, ढ, ण, ङ, ढ तथा ष।

दंत्य — (दाँतों से) त, थ, द, ध, न।

वर्त्य — (दंत मूल से) स, ज, र, ल।

ओष्ठ्य — (दोनों होंठों से) प, फ, ब, भ, म।

दंतोष्ठ्य — (निचले होंठों और ऊपर के दाँतों से) व, फ़।

**उच्चारण प्रयत्न के आधार पर** — व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास की मात्रा, स्वरतंत्री का अवरोध तथा जीभ और अन्य अवयवों द्वारा अवरोध को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न तीन प्रकार के होते हैं —

1. श्वास की मात्रा
2. स्वरतंत्री में श्वास का कंपन
3. जीभ तथा अन्य अवयवों द्वारा श्वास का अवरोध

**श्वास (प्राण) की मात्रा के आधार पर** — उच्चारण के समय श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं — अल्पप्राण और महाप्राण।

**अल्पप्राण** — *जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं;* जैसे — क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म (वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन), ङ और य, र, ल, व भी अल्पप्राण हैं।

**महाप्राण** — *जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं;* जैसे — ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ (वर्गों के द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन), ढ और श, ष, स, ह।

**स्वरतंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर** — बोलते समय वायु प्रवाह से कंठ में स्थित स्वरतंत्री में कंपन होता है। स्वरतंत्री में जब कंपन होता है

तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और जब कंपन नहीं होता है तब अघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। हिंदी की सघोष और अघोष ध्वनियाँ इस प्रकार हैं —

सघोष

अघोष

सभी स्वर

ग, घ, ङ, ज, झ, ञ

क, ख, च, छ

ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म

ट, ठ, त, थ, प, फ

(वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और

(वर्गों के प्रथम और द्वितीय

पंचम व्यंजन)

व्यंजन)

तथा ङ, ढ, ञ, य, र ल, व, ह

तथा फ़, श, ष, स।

**उच्चारण अवयवों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर** — जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण अवयव मुख विवर में किसी स्थान-विशेष का स्पर्श करते हैं ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वायु स्थान-विशेष पर घर्षण करते हुए निकलती है तो इन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं।

स्पर्श व्यंजन

संघर्षी व्यंजन

क ख ग घ ङ

ञ, फ़

च छ ज झ ञ

अंतःस्थ व्यंजन— य र ल व

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

उत्क्षिप्त व्यंजन— ङ ढ

प फ ब भ म

जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं और जिनके उच्चारण के समय जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करती है और फिर एकदम नीचे गिरती है वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं।

उल्लेखनीय है कि —

- कुछ विद्वान चवर्ग को स्पर्श-संघर्षी भी मानते हैं।
- य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं।
- 'र' को लुंठित व्यंजन और 'ल' को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं।
- ङ और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है।

### अक्षर

जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि-समूह का उच्चारण एक झटके के साथ किया जाता है तो उसे 'अक्षर' कहते हैं। हिंदी में सभी स्वर अक्षर होते हैं और सभी व्यंजनों में 'अ' स्वर होने के कारण वे भी अक्षर होते हैं। इसीलिए कई बार वर्णमाला को अक्षरमाला और वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी के सभी वर्ण या तो स्वर हैं या व्यंजन + स्वर हैं। आशय यह है कि अक्षर की संरचना का आधार स्वर होता है और उसके आगे और पीछे एक, दो या तीन व्यंजन हो सकते हैं। इस आधार पर हिंदी में अक्षरों की संरचना निम्नलिखित प्रकार से हो सकती है —

अक्षर की संरचना

उदाहरण

(क) एक अक्षर वाले शब्द

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. केवल स्वर                       | आ             |
| 2. स्वर + व्यंजन + स्वर            | अब, आज        |
| 3. व्यंजन + स्वर                   | न, खा, हाँ    |
| 4. व्यंजन + स्वर + व्यंजन          | घर, देर, साँप |
| 5. व्यंजन + व्यंजन + स्वर          | क्या, क्यों   |
| 6. व्यंजन + व्यंजन + व्यंजन + स्वर | स्त्री, स्कू  |
| 7. व्यंजन + व्यंजन + स्वर + व्यंजन | प्यास, प्रेम  |

## (ख) दो अक्षर वाले शब्द

- |                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 1. स्वर + व्यंजन + व्यंजन + स्वर                   | अंत       |
| 2. स्वर + व्यंजन + व्यंजन + व्यंजन + स्वर          | अस्त्र    |
| 3. व्यंजन + स्वर + व्यंजन + व्यंजन + स्वर          | संत, शांत |
| 4. व्यंजन + स्वर + व्यंजन + व्यंजन + व्यंजन + स्वर | शस्त्र    |
| 5. व्यंजन+व्यंजन+स्वर+व्यंजन+व्यंजन+स्वर           | प्राप्त   |

हिंदी की एक विशेषता है कि अक्षर के अंत में आने वाला ह्रस्व अ स्वर द्रुत गति से बोलने पर लुप्त हो जाता है और सामान्य गति से बोलने पर प्रकट हो जाता है; जैसे —

सामान्य गति	द्रुत गति
बकरा	बक्रा
चलना	चल्ना
थकता	थकृता

इसलिए शब्दों के उच्चरित और लिखित रूपों में कभी-कभी एकरूपता नहीं मिलती। यह धारणा कि हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, पूर्णतया सत्य नहीं है। अक्षर संरचना के कारण शब्दों के उच्चरित और लिखित रूपों में प्रायः अंतर हो जाता है; जैसे —

लिखित रूप	उच्चरित रूप
आज	आजू
अन्याय	अन्न्याय्
चलता	चल्ता
मानसिक	मान्सिक्
बातचीत	बाच्चीत (बात्चीत्)

### बलाघात

इस प्रकार उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है, उसे बलाघात कहते हैं। वक्ता के मंतव्य को उभारने के लिए वाक्य में किसी पद विशेष पर बल दिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। इनमें बलाघात वाले पदों को मोटे अक्षरों में छापा गया है।

तुम्हें क्या चाहिए ?

मुझे दूध रोटी चाहिए।

दूसरे वाक्य में 'दूध रोटी' पद का विशिष्ट अर्थ हो सकता है कि वक्ता को दूध रोटी की ही आवश्यकता है और किसी अन्य वस्तु की नहीं। वक्ता की मनःस्थिति पर निर्भर है कि वह किसी भी पद को विशिष्टता प्रदान करने के लिए उस पर बल दे —

तुम जाओ। (चाहे कोई जाए, चाहे न जाए, तुम अवश्य जाओ)

तुम जाओ। (अर्थात् रुको मत)

'ही' और 'भी' निपात पर प्रायः बलाघात रहता है और इससे पूर्वपद में विशिष्टता आ जाती है।

तुलना कीजिए —

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. वह ही घर से चला जाएगा। | 1. तुम भी वहाँ से घर जाओगे। |
| 2. वह घर से ही चला जाएगा। | 2. तुम वहाँ से भी घर जाओगे। |
| 3. वह घर से चला ही जाएगा। | 3. तुम वहाँ से घर भी जाओगे। |

अनेकाक्षरीय शब्दों में किसी एक अक्षर पर बल रहता है। इस संबंध में कुछ सामान्य नियम नीचे दिए जा रहे हैं। बलाघातयुक्त अक्षर को मोटे अक्षरों में छापा गया है —

1. एक पद में केवल एक अक्षर पर बलाघात होता है।
2. यदि अनेक अक्षरों वाले पद में केवल एक ही दीर्घ अक्षर है तो बलाघात उसी पर होगा; जैसे —



जा-ति (जाति) द-लील (दलील)

की-मत (कीमत) मण्-डी (मण्डी)

पुरस्-कार (पुरस्कार)।

3. दोनों अक्षरों में से यदि दूसरा अक्षर दीर्घ स्वर युक्त (व्यंजन+स्वर+व्यंजन साँचे का) हो तो बलाघात उस पर ही पड़ेगा; जैसे —

मि-लाप (मिलाप)

मा-लूम (मालूम)

ता-रीख (तारीख)

4. यदि उपान्त्य (अंतिम से पहला) अक्षर दीर्घ हो तो उस पर ही बलाघात होगा, जैसे —

(दो अक्षर) बा-ल् (बाल्)

(तीन अक्षर) कि-राया (किराया)

(चार अक्षर) महा-रानी (महारानी)

5. यदि किसी अक्षर में महाप्राण ध्वनि अथवा व्यंजन-गुच्छ हो तो बलाघात उससे पूर्व अक्षर पर होगा; जैसे —

क-थन (कथन) अक्-षर (अक्षर)

ग-धा (गधा) भक्-ति (भक्ति)

र-धिया (रधिया) सम्-प्रति (सम्प्रति)

मा-धुरी (माधुरी)

6. अकर्मक से सकर्मक अथवा सकर्मक से प्रेरणार्थक बनाने में बलाघात प्रथम अक्षर से दूसरे अक्षर पर परिवर्तित हो जाता है; जैसे —

ब-ना (बना) बनाना-बनवाना

सु-ना (सुना) सुनाना-सुनवाना

7. सामासिक शब्दों में प्रायः दूसरे भाग पर बलाघात होता है; जैसे —

चाल-ढाल (चालढाल) मच्छर-दानी (मच्छरदानी)

नक-कटा (नककटा) हथ-कड़ी (हथकड़ी)

**अनुतान** — बोलते समय वाक्यों में जो सुर का उतार-चढ़ाव होता है, उसे अनुतान कहते हैं। अनुतान को वाक्य का अभिलक्षण माना जाता है। एक ही वाक्य को जब भिन्न-भिन्न अनुतानों के साथ बोला जाता है तो वह भिन्न-भिन्न अर्थ देता है; जैसे —

यह बहुत अच्छी तस्वीर है।	सामान्य कथन
यह बहुत अच्छी तस्वीर है?	प्रश्नसूचक कथन
यह बहुत अच्छी तस्वीर है !	विस्मयसूचक कथन

### प्रश्न-अभ्यास

1. हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की मानक वर्णमाला लिखिए।
2. उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद होते हैं?
3. हिंदी में कितने स्वर हैं? स्वरों के भेद सोदाहरण बताइए।
4. उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए।
5. उच्चारण प्रयत्न किसे कहते हैं? उच्चारण अवयवों द्वारा श्वास अवरोध के आधार पर हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए।
6. 'अक्षर' किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए।
7. वाक्य स्तर पर बलाघात की संकल्पना को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

### वर्तनी-व्यवस्था

शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी के प्रयोग की शुद्धता केवल शब्द स्तर पर ही नहीं अपितु वाक्य, अनुच्छेद स्तर तक आवश्यक है। इसलिए वर्तनी-व्यवस्था को इन तीनों स्तरों पर समझना होता है। विराम-चिह्न वर्तनी-व्यवस्था के ही अंग हैं। अतः वर्तनी व्यवस्था को निम्नलिखित बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है।

### वर्ण स्तर पर

वर्तनी में वर्ण स्तर पर स्वर-व्यंजन, मात्राओं और संयुक्त व्यंजन के लेखन की चर्चा अपेक्षित है। हिंदी वर्णमाला के मानक रूप की चर्चा पहले की जा चुकी है। मात्रा-संयोजन और संयुक्त व्यंजन बनाने की दृष्टि से सभी वर्णों को चार कोटियों में बाँटा जा सकता है।

#### 1. खड़ी पाई वाले वर्ण

वे वर्ण जिनके अंत में खड़ी पाई होती है; जैसे — ख, ग, घ, च, ज, झ, ण, त, थ, ध, न, प, व, म, भ, य, ल, व, श, ष, स। इन वर्णों में मात्रा का संयोजन खड़ी पाई के साथ ही होता है; जैसे — गेंद, तू। जब इनका संयोजन किसी अन्य व्यंजन के साथ करना हो तो खड़ी पाई को हटा दिया जाता है और उसके साथ परवर्ती वर्ण को जोड़ दिया जाता है; जैसे — ख्याति, ग्वाला, शब्द।

#### 2. मध्य में खड़ी पाई वाले वर्ण

वे वर्ण जिनके मध्य में खड़ी पाई होती है; जैसे — क, फ, फ़। इन वर्णों

पर मात्रा बीच की खड़ी पाई पर लगाई जाती है और इन वर्णों को मिलाकर लिखते समय खड़ी पाई के बाद आने वाले अंश के झुकाव को हटाकर उसे परवर्ती वर्ण के साथ जोड़ दिया जाता है; जैसे — पक्का, रप्रतार, प्रलू।

### 3. छोटी खड़ी पाई वाले वर्ण

कुछ वर्णों में खड़ी पाई बहुत छोटी होती है और उसके नीचे कुछ गोलाकार रूप होता है; जैसे — छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह। जब इन वर्णों का परवर्ती व्यंजन के साथ संयोजन करना होता है तो इन व्यंजनों के नीचे हलंत का निशान लगा दिया जाता है; जैसे — उच्छ्वास, मिट्टी, गड्ढा, दद्दा, चिह्न। यद्यपि  $द + य = द्य$ ,  $द + व = द्व$ ,  $ह + न = ह्न$ ,  $ह + म = ह्य$  आदि पारंपरिक रूप प्रचलित हैं परंतु लेखन में एकरूपता और स्पष्टता की दृष्टि से इन्हें हलंत चिह्न के साथ लिखना ही उचित है।

### 4. विशिष्ट वर्ण

(क) र — मात्रा संयोजन और संयुक्ताक्षर बनाने में 'र' की विशिष्ट स्थिति होती है। 'र' में उ, और ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगती है; जैसे —  $र + उ = रु$ ,  $र + ऊ = रू$ ।

'र' के साथ व्यंजन संयोजन की दो निम्नलिखित स्थितियाँ हो सकती हैं —

1. स्वर रहित र + व्यंजन
2. स्वर सहित र + व्यंजन

स्वर रहित 'र' के साथ जब किसी व्यंजन का संयोजन किया जाता है तो 'र' परवर्ती व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है; जैसे — ध + र + म = धर्म, अ + र + थ = अर्थ।

स्वर रहित व्यंजन + स्वर सहित र — जब कोई स्वर रहित व्यंजन 'र' वर्ण के साथ जुड़ता है तो स्वर रहित व्यंजन का रूप नहीं बदलता और 'र' अपना रूप बदलकर पूर्ववर्ती व्यंजन की खड़ी पाई के नीचे जुड़

जाता है; जैसे — क् + र + म = क्रम, भ् + र + म = भ्रम,  
त् + र + स्त = त्रस्त, श् + र + म = श्रम।

(ख) क्ष और ज्ञ — ये क्रमशः क् + ष और ज् + ज के परंपरागत संयुक्त रूप हैं और इसी रूप में मानक वर्तनी में स्वीकृत हैं। ध्यान दीजिए कि ज् + ज = ज्यँ = ज्ञ का उच्चारण हिंदी में सामान्यतः 'ग्यँ' होता है।

### शब्द स्तर पर

- (क) **शिरोरेखा** — वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। लेखन के स्तर पर किसी भी शब्द की सीमा का निर्धारण उसकी शिरोरेखा से होता है। इसके अतिरिक्त एक ही शब्द के वर्णों में समान दूरी रखी जाती है। सामासिक शब्दों में जब दोनों पदों को एक शिरोरेखा के अंतर्गत लाना व्यावहारिक नहीं होता तो समास के पदों के बीच योजक चिह्न (-) का प्रयोग होता है; जैसे — माता-पिता, भाई-बहन। इसी तरह पुनरुक्त और युग्म शब्दों के बीच में भी योजक चिह्न का प्रयोग होता है; जैसे — घर-घर, धीरे-धीरे, सुख-दुख।
- (ख) **अनुस्वार** — हिंदी में अनुस्वार नासिक्य व्यंजन ध्वनि है, जिसके उच्चारण के स्तर पर अनेक रूप उपलब्ध होते हैं, परंतु लेखन के स्तर पर इन विभिन्न रूपों को व्यक्त करने के लिए अनुस्वार चिह्न (ँ) प्रयुक्त होता है जो व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के नासिक्य व्यंजन को अभिव्यक्त करता है। अनुस्वार शब्द का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला अर्थात् अनु + स्वर। अतः यह शब्द के मध्य और अंत में ही आ सकता है, आदि में नहीं। शब्द के मध्य में अनुस्वार अपने परवर्ती व्यंजन के वर्ग के नासिक्य व्यंजन अर्थात् पंचमाक्षर का प्रतिनिधित्व करता है; जैसे —

- |                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. क वर्ग के प्रथम चार वर्णों के पूर्व आने पर | ङ् |
| 2. च वर्ग के प्रथम चार वर्णों के पूर्व आने पर | ञ् |
| 3. ट वर्ग के प्रथम चार वर्णों के पूर्व आने पर | ण् |
| 4. त वर्ग के प्रथम चार वर्णों के पूर्व आने पर | न् |
| 5. प वर्ग के प्रथम चार वर्णों के पूर्व आने पर | म् |

उक्त सभी स्थितियों में नासिक्य व्यंजन अर्थात् पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार (ँ) का प्रयोग होता है न कि पंचमाक्षर का; जैसे — गंगा, पंकज (गङ्गा, पङ्कज)

मंच, कुंज (मञ्च, कुञ्ज)

कुंठा, खंड (कुण्ठा, खण्ड)

दंत, बंद (दन्त, बन्द)

चंपक, अंब (चम्पक, अम्ब)

- जब कोई पंचमाक्षर दूसरे पंचमाक्षर के साथ संयुक्त होता है तो पहला पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में नहीं बदलता अपितु पंचमाक्षर रूप में ही संयुक्त होता है; जैसे — वाङ्मय, अन्न, सम्मेलन, मृण्मय, उन्मुख, अक्षुण्ण।
- यदि पंचमाक्षर य, व, ह के पहले आता है तो वहाँ वही पंचमाक्षर लिखा जाता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है; जैसे — पुण्य, अन्य, समन्वय, कन्हैया, तुम्हारा।
- श, ष, स, ह के पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, पंचमाक्षर का नहीं; जैसे — अंश, वंश, हंस, कंस, संहार आदि।
- सम् उपसर्ग के बाद जो शब्द अंतःस्थ या ऊष्म वर्णों से प्रारंभ होते हैं तो 'म्' निश्चित रूप से अनुस्वार हो जाता है; जैसे — सम् + यंत्र = संयंत्र, सम् + रचना = संरचना, सम् + लाप = संलाप, सम् + वाद = संवाद।

- (ग) **अनुनासिकता** — अनुस्वार (ँ) और अनुनासिक (ं) में मूल अंतर यही है कि अनुनासिक स्वर का गुण है और अनुस्वार अनुनासिक्य व्यंजन का एक रूप है। अनुनासिक स्वर के लिए चंद्रबिंदु (ँ) का प्रयोग होता है; जैसे — आँगन, उँगली, काँटा, पाँव। यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तो चंद्रबिंदु (ँ) के स्थान पर बिंदी (ँ) का प्रयोग होता है; जैसे — मैं, कौंधना, चींटी, में, हैं। अतः शिरोरेखा पर मात्रा के ऊपर लगी यह बिंदी (ँ) अनुनासिकता की सूचक है अनुस्वार की नहीं।
- (घ) ईकारांत और ऊकारांत शब्दों के बहुवचन रूप बनाते समय 'ई' और 'ऊ' क्रमशः 'इ' और 'उ' बन जाते हैं; जैसे — नदी-नदियाँ, बहु-बहुएँ।
- (ङ) संस्कृत से हिंदी में आए जिन शब्दों के अंतिम वर्ण पर हलंत का चिह्न लगता है, वे प्रायः हलंत के बिना लिखे जाने लगे हैं; जैसे— विद्वान, महान, श्रीमान, भगवान, हनुमान। किंतु कुछ शब्दों में हलंत का प्रचलन अब भी है; जैसे — सम्यक्।

### वाक्य स्तर पर

वाक्य स्तर पर वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना अपेक्षित है —

- (i) लिखते समय शब्दों के बीच की दूरी का ध्यान न रखने से कभी-कभी वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है; जैसे — 'जल सा लग रहा है' वाक्य में जल सा को मिलाकर लिखने पर 'जलसा' शब्द बनेगा जिससे दूसरे ही अर्थ का बोध होगा।
- (ii) वाक्य लेखन में समुचित विरामचिह्नों का प्रयोग अपेक्षित है। 'तुम आ गए' वाक्य के बाद पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक —

कोई भी विरामचिह्न लगाया जा सकता है परंतु जब तक वक्ता के आशय के अनुसार विरामचिह्न का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक अर्थ स्पष्ट नहीं होता।

### वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ

(क) अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों की अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
कनिष्ठ	कनिष्ठ	भूक	भूख
झूट	झूठ	धोका	धोखा
मिष्ठान्न	मिष्ठान्न	अभीष्ट	अभीष्ट
सीधा-साधा	सीधा-सादा	धंदा	धंधा
दक्कन	दक्खन	हिंदुस्थान	हिंदुस्तान

(ख) श ष स के प्रयोग की अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अभिषेक	अभिषेक	कलस	कलश
विशेश	विशेष	नमश्कार	नमस्कार
प्रसाद	प्रसाद	प्रशंशा, प्रसंशा	प्रशंसा
शाशन	शासन	नास	नाश
मनुश्य	मनुष्य	दुश्कर	दुष्कर
विषद	विशद	विकाश	विकास

(ग) व ब के अभेद के कारण अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
बनस्पति	वनस्पति	विक्री	बिक्री
बाणी	वाणी	पूर्ब	पूर्व
वाह्य	बाह्य	ब्यापार	व्यापार
वाण	बाण	ब्रत	व्रत



(घ) य ज के अभेद के कारण अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अजोध्या	अयोध्या	जमराज	यमराज
जजमान	यजमान	जोग्य	योग्य

(ङ) छ क्ष के अशुद्ध उच्चारण के कारण अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
छत्रिय	क्षत्रिय	नच्छत्र	नक्षत्र
छमा	क्षमा	लच्छन	लक्षण

(च) ण न ङ की अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
कल्यान	कल्याण	प्रनाम	प्रणाम
कारन	कारण	रनभूमि	रणभूमि
टिप्पंडी	टिप्पणी	चरन	चरण
पुन्य	पुण्य	वेंड़ी	वेणी

(छ) व्यंजन-गुच्छों में अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
उदेश्य, उद्देश	उद्देश्य	मध्यान्ह	मध्याह्न
उज्वल, उज्जल	उज्ज्वल	महात्म	माहात्म्य
उपलक्ष	उपलक्ष्य	द्वंद/द्वंद	द्वंद्व
कृप्या	कृपया	शुद्द	शुद्ध
वांगमय	वाङ्मय	परसिद्ध	प्रसिद्ध
स्वास्थ्य	स्वास्थ्य	ब्राम्हण	ब्राह्मण
सामर्थ	सामर्थ्य	चिन्ह	चिह्न
सटेशन	स्टेशन	सकूल	स्कूल

(ज) स्वर की मात्राओं की अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुग्रहीत	अनुगृहीत	दृष्टव्य	द्रष्टव्य
म्रिग	मृग	दृष्टा	द्रष्टा
पैत्रिक	पैतृक	चहरदीवारी	चहारदीवारी
रिण	ऋण	तत्कालिक	तात्कालिक
अहार	आहार	अहिल्या	अहल्या
अनुसूया	अनसूया	पत्नि	पत्नी
क्षत्रीय	क्षत्रिय	पूर्ती	पूर्ति
ओद्योगिक	औद्योगिक	प्रदर्शिनी	प्रदर्शनी
अलौकिक	अलौकिक	बिमारी	बीमारी
परिणती	परिणति	गुरू	गुरु
व्यवहारिक	व्यावहारिक	मधू	मधु
वधु	वधू	त्यौहार	त्योहार

(झ) अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
हंसमुख	हँसमुख	अँधा	अंधा
संवारना	सँवारना	अंधेरा	अँधेरा
आंख	आँख	ऊँट	ऊँट
दाँत	दाँत	साँसारिक	सांसारिक
संन्यासी	सँन्यासी	गंवार	गँवार

(ञ) पंचमाक्षर के प्रयोग की अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
दन्ड	दँड	भन्डार	भंडार
सम्बन्	संबन्	सम्वाद	संवाद
कन्नन	कंनन	पन्डित	पंडित

(ट) अनावश्यक स्वर या व्यंजन जोड़ने की अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
स्राप	शाप	अस्थिर	स्थिर
सहस्रत्र	सहस्र	इस्टेशन	स्टेशन
सौहाद्र/सौहार्द्र	सौहार्द	इस्थिति	स्थिति

(ठ) अक्षर लोप की अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अध्यन	अध्ययन	निश्चिता,	निश्चितता
परिछेद	परिच्छेद	विछिन्न	विच्छिन्न

(ड) रेफ की अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
आशीवाद	आशीर्वाद	कर्मधार्य	कर्मधारय
सार्मथ्य	सामर्थ्य	तीर्व	तीव्र

(ढ) संधि-नियमों के उल्लंघन की अशुद्धियाँ

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनाधिकार	अनधिकार	जगतगुरु	जगद्गुरु
दुरावस्था	दुरवस्था	देविन्द्र	देवेन्द्र
उपरोक्त	उपर्युक्त	दुशील	दुःशील, दुश्शील
सम्मार्ग	सन्मार्ग	निश्वास	निःश्वास
सन्मुख	सम्मुख	उतपात	उत्पात
मनोस्थिति	मनःस्थिति	महिन्दर	महेंद्र

(ण) यी-ई, ये-ए आदि की अशुद्धियाँ

अमानक	मानक	अमानक	मानक
हुयी	हुई	गयी	गई
जायें	जाएँ	जाय/जाये	जाए
चाहिये	चाहिए	देखिये	देखिए

स्थाई	स्थायी	महिलाएँ	महिलाएँ
उत्तरदाई	उत्तरदायी	बताइये	बताइए

### प्रश्न-अभ्यास

- वर्तनी से क्या तात्पर्य है?
- वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
- अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? प्रत्येक के पाँच-पाँच उदाहरण लिखिए।
- क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्ताक्षर किन वर्णों के योग से निर्मित हैं?
- निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को छाँटिए —  
गरिष्ठ, मिष्ठान्न, बाणी, ब्राम्हण, जजमान, स्तुति, अहिल्या, स्वास्थ, चिन्ह, उपलक्ष, संन्यासी, उज्ज्वल, गुंडा धनाड्य, क्षत्रिय, छेत्र।

‘संधि’ शब्द का अर्थ है ‘जोड़’ या ‘मेल’। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द पास-पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है। ध्वनि-परिवर्तन की इस प्रक्रिया का नाम ही संधि है। इस प्रक्रिया में परिवर्तन कभी पहली ध्वनि में होता है तो कभी दूसरी ध्वनि में और कभी दोनों ध्वनियों में। वर्णों में संधि कभी स्वरों के बीच होती है, तो कभी स्वर और व्यंजन के बीच। इसी तरह कभी विसर्ग और स्वर के साथ होती है और कभी विसर्ग और व्यंजन के साथ। संधि दो ध्वनियों में होती है, दो शब्दों में नहीं। यदि वर्णों का मेल हो परंतु उसके कारण उनमें किसी तरह का ध्वनि परिवर्तन न हो तो उसे वर्ण-संयोग कहते हैं, संधि नहीं। संधि में वर्ण-संयोग तो होता ही है, साथ ही ध्वनि में भी परिवर्तन हो जाता है। **संधियुक्त पदों को अलग-अलग किया जाता है तो उसे संधि-विच्छेद कहते हैं।**

संधि तीन प्रकार की मानी जाती है —

1. स्वर संधि
2. व्यंजन संधि
3. विसर्ग संधि।

### स्वर संधि

दो स्वरों के परस्पर मेल के कारण जब एक या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं —

(i) दीर्घ संधि (ii) गुण संधि (iii) वृद्धि संधि (iv) यण संधि

1. दीर्घ संधि — जब ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ आते हैं तो दोनों ध्वनियाँ मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ में परिवर्तित हो जाती हैं; ये ध्वनियाँ ह्रस्व + ह्रस्व, ह्रस्व + दीर्घ,

दीर्घ + ह्रस्व, दीर्घ + दीर्घ रूपों के अंतर्गत किसी भी प्रकार से मिल सकती हैं; जैसे -

मत	+	अनुसार	(अ + अ = आ)	=	मतानुसार
देव	+	आलय	(अ + आ = आ)	=	देवालय
शिक्षा	+	अर्थी	(आ + अ = आ)	=	शिक्षार्थी
विद्या	+	आलय	(आ + आ = आ)	=	विद्यालय
रवि	+	इंद्र	(इ + इ = ई)	=	रवींद्र
गिरि	+	ईश	(इ + ई = ई)	=	गिरीश
रजनी	+	ईश	(ई + ई = ई)	=	रजनीश
लघु	+	उत्तर	(उ + उ = ऊ)	=	लघूत्तर

2. **गुण संधि** - 'अ' या 'आ' के बाद ह्रस्व या दीर्घ इ, उ या ऋ स्वर आता है तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर् हो जाता है; जैसे -

सुर	+	इंद्र	(अ + इ = ए)	=	सुरेंद्र
परम	+	ईश्वर	(अ + ई = ए)	=	परमेश्वर
रमा	+	इंद्र	(आ + इ = ए)	=	रमेंद्र
उमा	+	ईश	(आ + ई = ए)	=	उमेश
पर	+	उपकार	(अ + उ = ओ)	=	परोपकार
महा	+	उदय	(आ + उ = ओ)	=	महोदय
देव	+	ऋषि	(अ + ऋ = अर्)	=	देवर्षि
महा	+	ऋषि	(आ + ऋ = अर्)	=	महर्षि

3. **वृद्धि संधि** - वृद्धि संधि में 'अ' या 'आ' के बाद यदि ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर 'ऐ' तथा ओ या औ हो तो दोनों मिलकर 'औ' हो जाते हैं; जैसे -

एक	+	एक	(अ + ए = ऐ)	=	एकैक
मत	+	ऐक्य	(अ + ऐ = ऐ)	=	मतैक्य
सदा	+	एव	(आ + ए = ऐ)	=	सदैव

वन	+	ओषधि	(अ + ओ = औ)	=	वनौषधि
परम	+	औदार्य	(अ + औ = औ)	=	परमौदार्य

4. यण् संधि — इ, ई, उ, ऊ या ऋ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो इ/ई का 'य्', उ/ऊ का 'व्' तथा ऋ का 'र्' हो जाता है, और पहले शब्द का अंतिम व्यंजन स्वर रहित हो जाता है; जैसे —

अति	+	अधिक	(इ + अ = य)	=	अत्यधिक
इति	+	आदि	(इ + आ = या)	=	इत्यादि
प्रति	+	उपकार	(इ + उ = यु)	=	प्रत्युपकार
प्रति	+	एक	(इ + ए = ये)	=	प्रत्येक
सु	+	आगत	(उ + आ = वा)	=	स्वागत
पितृ	+	आज्ञा	(ऋ + आ = रा)	=	पित्राज्ञा

### व्यंजन संधि

1. अगर प्रथम शब्द के अंत में अघोष व्यंजन हो और दूसरे शब्द के शुरू में सघोष व्यंजन या कोई स्वर हो तो पहले शब्द के अंत वाले अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का सघोष व्यंजन हो जाता है, अर्थात् 'क्' का 'ग्', 'ट्' का 'ड्', 'त्' का 'द्' और 'प्' का 'ब' हो जाता है; जैसे —

दिक्	+	गज	(क् + ग = ग्ग)	=	दिग्गज
दिक्	+	अंबर	(क् + अ = ग)	=	दिग्ंबर
षट्	+	आनन	(ट् + आ = डा)	=	षडानन
सत्	+	गुण	(त् + ग = द्ग)	=	सद्गुण
अप्	+	धि	(प् + धि = ब्धि)	=	अब्धि

2. वर्णों के प्रथम वर्ण (क्, च्, ट्, त्, प्) के बाद न् या म् वर्ण के आने पर उनके स्थान पर क्रमशः उसी वर्ण का पाँचवाँ वर्ण आ जाता है; जैसे —

वाक्	+	मय	(क् + म = ड्म)	=	वाड्मय
जगत्	+	नाथ	(त् + न = न्न)	=	जगन्नाथ
चित्	+	मय	(त् + म = न्म)	=	चिन्मय
उत्	+	मत्त	(त् + म = न्म)	=	उन्मत्त

3. (क) त् के बाद अगर ल् हो तो 'त्' ध्वनि 'ल्' में बदल जाती है; जैसे —  
 उत् + लेख = उल्लेख  
 उत् + लास = उल्लास
- (ख) त् या द् के बाद यदि ज् हो तो त्/द् 'ज्' में बदल जाता है; जैसे —  
 सत् + जन = सज्जन  
 उत् + ज्वल = उज्ज्वल
- (ग) त् या द् के बाद यदि श् हो तो त्/द् का च् और श् का छ् हो जाता है; जैसे —  
 उत् + श्वास = उच्छ्वास
- (घ) त् या द् के बाद यदि च् हो तो त् का च् हो जाता है; जैसे —  
 उत् + चारण = उच्चारण  
 सत् + चरित्र = सच्चरित्र

### विसर्ग संधि

- विसर्ग के पूर्व यदि 'अ' हो और बाद में सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग (: ) के स्थान पर 'ओ' हो जाता है; जैसे —  
 मनः + भाव = मनोभाव  
 अधः + गति = अधोगति
- यदि विसर्ग से पहले 'अ' या 'आ' को छोड़कर और कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर या सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग का 'र्' हो जाता है; जैसे —  
 निः + आशा = निराशा  
 दुः + उपयोग = दुरुपयोग  
 बहिः + मुख = बहिर्मुख



3. यदि विसर्ग के बाद 'च' या 'छ' हो तो विसर्ग का 'श्' हो जाता है; जैसे —
- निः + चल = निश्चल  
निः + छल = निश्छल
4. यदि विसर्ग के पहले 'इ' या 'उं' हो और बाद में क, ट, ठ, प या फ हो तो विसर्ग का ष् हो जाता है; जैसे —
- निः + कपट = निष्कपट  
दुः + कर्म = दुष्कर्म  
निः + पक्ष = निष्पक्ष  
निः + फल = निष्फल
5. यदि विसर्ग के बाद 'श', 'ष' या 'स' हो तो विसर्ग या तो यथावत रहता है या 'श' के पहले 'श्' और 'स' के पहले 'स्' हो जाता है; जैसे —
- दुः + शासन = दुःशासन, दुश्शासन  
निः + संदेह = निःसंदेह, निस्संदेह

### हिंदी की अपनी संधियाँ

उपर्युक्त संधि-नियम संस्कृत शब्दों पर लागू होते हैं। हिंदी में जब दो भिन्न शब्द एक साथ आते हैं तो वे संधि नियम के अनुसार जुड़कर एक ही शब्द के रूप में अथवा समस्त पद के रूप में प्रयुक्त होते हैं; जैसे — राम + अभिलाषा-रामाभिलाषा न होकर राम-अभिलाषा ही रहता है।

हिंदी के अपने शब्दों के मेल के लिए कुछ नियम विकसित हो गए हैं; जैसे —

(क) ह्रस्वीकरण — सामासिक शब्दों में पूर्वपद के दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व हो जाते हैं; जैसे —

आम + चूर = अमचूर,  
हाथ + कड़ी = हथकड़ी,

लड़का + पन = लड़कपन,

कान + कटा = कनकटा।

(ख) लोप- कभी-कभी हिंदी शब्दों की संधि में किसी वर्ण का लोप ही हो जाता है; जैसे -

पानी + घाट = पनघट,

घोड़ा + दौड़ = घुड़दौड़,

छोटा + पन = छुटपन

ध्यान दीजिए कि अभी (अब + ही), तभी (तब + ही), सभी (सब + ही), वही (वह + ही) जैसे शब्दों में भी दो निकटस्थ ध्वनियों के मिलने से परिवर्तन हुआ है, किंतु अब ये स्वतंत्र शब्द के रूप में मान्य हैं।

### प्रश्न-अभ्यास

1. संधि किस कहते हैं? सोदाहरण समझाइए।
2. स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इनके नियम बताते हुए प्रत्येक के चार उदाहरण दीजिए।
3. व्यंजन संधि के किन्हीं चार नियमों को सोदाहरण समझाइए।
4. निर्मालिखित शब्दों में संधि कीजिए -  
सत् + गति, पद + दर्शन, जगत् + नाथ, सत् + चरित्र।
5. संधि-विच्छेद कीजिए -  
उन्नति, सञ्जन, उच्छिष्ट, उद्धार, अभोगति
6. निर्मालिखित में संधि कीजिए -  
मनः + अनुकूल, निः + गेग, दुः + कर।
7. निर्मालिखित में संधि कीजिए -  
सूर्य + अस्त, गगन + एव, विक्र + गत्र, चंद्र + उदय, दुः + कर्म,  
रेग्डा + अंकित, महा + ब्रह्मि, तथा + एव।

भाषा में शब्द का विशिष्ट स्थान होता है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द और अर्थ में नित्य संबंध माना जाता है। वास्तव में शब्द सार्थक होते हैं और भाषा-विशेष के वर्णों के विशिष्ट क्रम से बनते हैं। वे वस्तु, विचार या भाव को अभिव्यक्त करते हैं।

**किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं।** भाषा का शब्द-भंडार कितना ही बड़ा क्यों न हो फिर भी वह निरंतर परिवर्तित और विकसित होता रहता है। संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन के साथ-साथ शब्द-भंडार भी प्रभावित होता है। पुराने शब्द अप्रचलित हो जाते हैं और नए शब्द आ जाते हैं। इसी तरह शब्दों के पुराने अर्थ भी बदल जाते हैं और नए अर्थ देने लगते हैं।

**शब्दों का वर्गीकरण** निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है —

1. स्रोत या इतिहास के आधार पर
2. रचना के आधार पर
3. प्रयोग के आधार पर
4. व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर
5. अर्थ के आधार पर

### स्रोत या इतिहास के आधार पर

किसी भी जीवित भाषा में विभिन्न समकालीन भाषाओं के अनेक शब्द समाहित हो जाते हैं। यह उस भाषा की जीवंतता और विकास का प्रमाण है। हिंदी भी निरंतर अनेक भाषा स्रोतों से प्रभावित होकर अपने शब्द भंडार की वृद्धि करती रही है। सुविधा की दृष्टि से हिंदी के शब्दों को उनके स्रोत के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बाँटा जाता है —

- (क) तत्सम  
 (ख) तद्भव  
 (ग) देशज  
 (घ) आगत (विदेशी)  
 (ङ) संकर

(क) **तत्सम शब्द** — तत्सम (तत्+सम) शब्द का अर्थ है 'उसके समान'। यहाँ 'उस' से तात्पर्य है संस्कृत के समान। **हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है। इसीलिए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं;** जैसे — भूमि, पुष्प, विद्वान, पृथ्वी, अहंकार, ममता, सुंदर, साहस, शनैः शनैः, रवि, स्वप्न।

(ख) **तद्भव शब्द** — तद्भव का अर्थ है 'उससे उत्पन्न'। **संस्कृत के वे शब्द जो पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं;** जैसे — सप्त > सात, कर्म > काम, वर्ष > बरस, मातृ > माता, दुग्ध > दूध, कुम्भकार > कुम्हार, क्षीर > खीर, पत्र > पत्ता, मयूर > मोर।

नीचे तत्सम शब्दों से विकसित तद्भव शब्दों की एक छोटी सूची दी जा रही है —

तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव
अंगुष्ठ	अँगूठा	आम्र	आम
अक्षि	आँख	आशिष	आसीस
अग्नि	आग	इक्षु	ईख
अमूल्य	अमोल	उपरि	ऊपर
अर्ध	आधा	उलूक	उल्लू
ओष्ठ	ओठ	ग्राम	गाँव
कर्ण	कान	चंद्र	चाँद

काष्ठ	काठ	जिह्वा	जीभ
कुपुत्र	कपूत	दंत	दाँत
कुष्ठ	कोढ़	सत्य	सच
कोकिल	कोयल	स्तंभ	खंभा
क्षार	खार	स्वर्ण	सोना
क्षण	छिन	हस्त	हाथ

(ग) देशज शब्द — जिन शब्दों के स्रोत अज्ञात हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्दों का मूल सामान्यतः जन-भाषाओं में होता है; जैसे — पगड़ी, लोटा, ठेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू।

(घ) आगत (विदेशी) शब्द — 'आगत' शब्द का अर्थ है — आया हुआ। आगत शब्द वे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं के कई शब्द समा गए हैं। उदाहरण के लिए —

अरबी — अखबार, अदालत, अल्लाह, आईना, इंतज़ार, इन्साफ़, इम्तहान, इस्तीफ़ा, औरत, कफ़न, कब्र, कसम, कसाई, कानून, किताब, कुरसी, खत, गदर, गबन, गुनाह, जनाज़ा, जुलूस, जलसा, जुर्माना, तरीका, ताकत, तूफ़ान, दफ़्तर, दलील, दवा, दौलत, निकाह, फ़कीर, फ़सल, मज़हब, मरीज़, मस्जिद, मुकदमा, मुहावरा, यतीम, रईस, रिश्वत, वकील, शतरंज, शैतान, सलाह, हवा, हिरासत, हुक्म।

फ़ारसी — आदमी, आमदनी, आसमान, कमरा, कारीगर, कारोबार, खुशामद, गुब्बारा, गुलाब, चिराग, चिलम, जंजीर, ज़मीन, ज़हर, जानवर, तराजू, दरवाज़ा, दिमाग, दूरबीन, नमक, परदा, पोदीना, प्याज़, फ़रियाद, फ़ौज, फ़ौलाद, बदमाश, बालूशाही, बीमा, बेईमान, मज़दूर, मसाला, मेज़, मेहमान, रसीद, शादी, शायरी, सब्ज़ी, सरकार, सुरमा।

तुर्की — उर्दू, कुरता, कुली, कैंची, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, सौगात।

**अंग्रेजी** — अपील, इंजन, एकड़, कंपनी, कमीशन, कार, कॉलेज, कालोनी, कूपन, कोट, क्रिकेट, क्लब, गाउन, गैस, ग्राम, चाकलेट, चेक, जाकेट, जेल, टाई, टायर, डायरी, डिग्री, डेरी, नर्स, निब, पंप, पाइप, पाउडर, प्लैट, पुलिस, प्लेटफार्म, फुटबाल, फोटो, फ्राक, बजट, बुशर्ट, बूट, बैंक, बोगी, मेजर, मोटर, लाटरी, सूटकेस, स्कूटर, स्टील, स्टेशन, हीटर।

**पुर्तगाली** — आया, आलपिन, इस्पात, गमला, चाबी, तौलिया, नीलाम, पादरी, फीता, बालटी, मिस्तरी, संतरा, साबुन।

**अन्य भाषाओं से** — मिग, रूबल, स्पुतनिक (रूसी), काजू, कारतूस, अंग्रेज़ (फ्रांसीसी), चीनी, चाय (चीनी), रिक्शा (जापानी), तुरुप (डच), खोपरा (मलय)।

(ड) **संकर शब्द** — दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी-अंग्रेजी, हिंदी-अरबी, हिंदी-फारसी आदि के शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं; जैसे —

रेलगाड़ी — रेल (अंग्रेजी) + गाड़ी (हिंदी)

पानदान — पान (हिंदी) + दान (फ़ारसी)

छायादार — छाया (संस्कृत) + दार (फ़ारसी)

सीलबंद — सील (अंग्रेजी) + बंद (फ़ारसी)

### रचना के आधार पर

रचना के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं —

1. मूल शब्द; 2. व्युत्पन्न शब्द

1. **मूल शब्द** — वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हों और अपने में पूर्ण हों, उन्हें मूल शब्द कहते हैं; जैसे — सेना, फूल, कुत्ता, कुरसी। इन्हें रूढ़ शब्द भी कहते हैं। इनके सार्थक खंड नहीं हो सकते।

2. **व्युत्पन्न शब्द** — दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हुए शब्दों को व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। व्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के हैं —

- (क) यौगिक  
 (ख) योगरूढ़
- (क) यौगिक शब्द — दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं; जैसे —
- शब्द + शब्द = सेना + पति (सेनापति)  
 शब्दांश + शब्द = अनु + शासन (अनुशासन)  
 शब्द + शब्दांश = चतुर + आई (चतुराई)
- (ख) योगरूढ़ — जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं; जैसे — चारपाई अर्थात् जिसके चार पाए हैं। यहाँ चारपाई का अर्थ है — खाट (जिस पर सोया जाता है) न कि गाय अथवा कुरसी। अन्य शब्द हैं — जलज, लंबोदर, पीतांबर आदि।
- (रचना के आधार पर निर्मित शब्दों के संबंध में आगे विस्तार से बताया गया है।)

### प्रयोग के आधार पर

प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है —

1. सामान्य शब्द
  2. पारिभाषिक या तकनीकी शब्द
1. सामान्य शब्द — सामान्य शब्दावली में वे शब्द आते हैं जिनका संबंध आम जन-जीवन के साथ होता है। इन शब्दों का प्रयोग भाषा-समुदाय के सदस्य अपने दैनिक व्यवहार में करते हैं; जैसे — हाथ, पैर, सुबह, शाम, घर, बाज़ार, दाल, भात।
2. पारिभाषिक शब्द — ऐसे शब्द जो ज्ञान-विज्ञान या विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। उन्हें तकनीकी शब्द भी कहते हैं; जैसे — संज्ञा, सर्वनाम आदि व्याकरण से संबंधित पारिभाषिक शब्द हैं तथा परावर्तन,

घर्षण, घनत्व आदि भौतिक-विज्ञान के। कुछ पारिभाषिक शब्दों की सूची नीचे दी जा रही है —

### विज्ञान (Science)

अनुक्रिया (response)	उत्पाद ( product)
आनुवंशिक (genetic)	कोशिका (cell)
आवृत्ति (frequency)	जड़त्व (inertia)
जीवमंडल (biosphere)	प्राणि-विज्ञान (zoology)
जीवविज्ञान (biology)	प्रेरण (induction)
तंत्रिका (nerve)	ब्रह्मांड विज्ञान (cosmology)
ध्वनिविज्ञान (accoustics)	भूविज्ञान (geology)
नाभिक (nucleus)	भौतिकी (physics)
निःश्वसन (expiration)	यांत्रिकी (mechanics)
नौसंचालन (navigation)	रसायन (chemistry)
परिस्थिति-विज्ञान (ecology)	वनस्पति विज्ञान (botany)
प्रकाशिकी (optics)	विकिरण (radiation)
प्रचालन (operation)	विषम जातीय (heterogeneous)
प्रजनन (breeding)	संश्लेषण (synthesis)
प्रतिजैविक (antibiotic)	सजातीय (homogeneous)
प्रतिध्वनि (echo)	सूक्ष्मतरंग (microwave)

### मानविकी और वाणिज्य (Humanities and Commerce)

अंकित मूल्य (face value)	नौकरशाही (bureaucracy)
अंतर्मुखी (introvert)	न्यायाधिकर्ता (attorney)
अतिक्रमण (encroachment)	पूँजी (capital)
अर्थशास्त्र (economics)	पंचनिर्णय (arbitration)
अधिकार-पत्र (charter)	परिवेश (environment)
अधिनायक (dictator)	परिसंपत्ति (asset)



अपमिश्रण (adulteration)	परेषण (consignment)
अभिकरण (agency)	पुस्तकालय विज्ञान (library science)
अभिवृत्ति (attitude)	प्रतिमान (criterion)
आप्तवचन/ आप्तपुरुष (authority)	बहिर्मुखी (extrovert)
इतिहास (history)	बीजक (invoice)
उपसाधन (accessary)	भाषाविज्ञान (linguistics)
कुंठा (frustration)	भूगोल (geography)
कूटनीति (diplomacy)	मनोविज्ञान (psychology)
कूटसंकेत (code)	मूल्यहास (depreciation)
गृहविज्ञान (home science)	राजनीतिशास्त्र (political science)
तर्कशास्त्र (logic)	ललित कला (fine arts)
तालाबंदी (lockout)	वाणिज्य (commerce)
तुष्टीकरण (appeasement)	वार्षिक विवरणी (annual return)
दर्शन (philosophy)	विषय-क्षेत्र (scope)
ध्रुवण (polarization)	संकल्पना (concept)
निपटान (disposal)	संचार (communication)
निरंकुश (autocratic)	संपदा शुल्क (estate duty)
निर्वाचन क्षेत्र (constituency)	संवेदनशील (sensitive)
निष्क्रिय लेखा (dead account)	संस्कृति (culture)
समाजशास्त्र (sociology)	सौंदर्य शास्त्र (aesthetics)
समालोचना (criticism)	स्वेच्छाचारी (autocratic)
सीमाशुल्क (custom duty)	हुंडी (bill of exchange)

### प्रशासन (Administration)

अधीक्षक (superintendent)	प्रतिहस्ताक्षर (counter signature)
अभिरक्षा (custody)	प्रदाय (supply)

उपक्रम (undertaking)	प्रभाग (division)
एकक (unit)	प्राधिकार/प्राधिकारी/प्राधिकरण (authority)
एकमुश्त राशि (lumpsum)	बंध-पत्र (bond)
एकाधिकार(monopoly)	मिसिल (file)
कनिष्ठ (junior)	मुआवज़ा,प्रतिपूर्ति (compensation)
कार्यकारी (acting)	रिक्ति (vacancy)
कार्यवृत्त (minutes)	लेखा परीक्षा (audit)
कार्रवाई (action)	वरिष्ठ (senior)
दंड न्यायालय (criminal court)	संस्तुति, सिफ़ारिश (recommendation)
दावेदार (claimant)	सचिव (secretary)
निदेशालय (directorate)	स्मरणपत्र (reminder)
पदावनति (demotion)	स्थानांतरण, हस्तांतरण (transfer)
पात्रता (eligibility)	

### व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर

व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार्य के आधार पर दो वर्गों में बाँटा जाता है —

1. विकारी।
  2. अविकारी।
1. विकारी — विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द हैं; जैसे — लड़का-लड़के, मैं-मेरा, अच्छा-अच्छी, जाना-गया।
  2. अविकारी — ऐसे शब्द जिनके मूलरूप में परिवर्तन या विकार नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द(अव्यय) कहते हैं। क्रियाविशेषण,

संबंधबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक और निपात अविकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं; जैसे — आज, यहाँ, और, अथवा, अरे, ही, तक।

व्याकरणिक प्रकार्य की दृष्टि से शब्दों का विवेचन अगले अध्याय 'पद व्यवस्था' में किया गया है।

### अर्थ के आधार पर

शब्द भाषा की लघुतम इकाई है। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, जिसे मुख्यार्थ कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद किए जाते हैं —

1. पर्यायवाची शब्द
  2. विलोमार्थी शब्द
  3. एकार्थी शब्द
  4. अनेकार्थी शब्द
1. पर्यायवाची शब्द — *जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं।* किंतु अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग में सर्वथा एक-दूसरे का स्थान नहीं ले सकते, कहीं एक शब्द उपयुक्त होता है तो कहीं अन्य। प्रत्येक शब्द का प्रयोग विषय और संदर्भ के अनुसार ही करना उचित होता है। उदाहरण के लिए, पितरों का तर्पण 'जल' से किया जाना उचित है, 'पानी' से नहीं। भाव यह है कि शब्द कहीं पूर्ण पर्यायवाची होते हैं, कहीं आंशिक।

### पर्यायवाची शब्द

- |       |   |                                      |
|-------|---|--------------------------------------|
| अग्नि | - | आग, पावक, हुताशन, दहन, अनल।          |
| अमृत  | - | पीयूष, सुधा, अमिय।                   |
| अश्व  | - | घोड़ा, वाजि, हय, सैधव, तुरग, तुरंगम। |

- असुर** - दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशिचर, निशाचर, रजनीचर ।
- आँख** - चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन, दृग ।
- आकाश** - गगन, व्योम, अंबर, नभ, शून्य, आसमान ।
- इन्द्र** - सुरपति, देवराज, सुरेंद्र, शचीपति, पुरंदर ।
- ईश्वर** - परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, ईश, त्रिलोकनाथ, जगन्नाथ, जगदीश, प्रभु ।
- कपड़ा** - वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर ।
- कमल** - अरविंद, उत्पल, पद्म, कंज, राजीव, इंदीवर, पुंडरीक, सरसीरुह, वारिज, सरसिज, तामरस, नलिन, पंकज ।
- कामदेव** - अनंग, मनोभव, मनसिज, मदन, पंचशर, पुष्पधन्वा, मन्मथ, मार, मनोज, रतिपति, मीनकेतु ।
- कृष्ण** - श्याम, घनश्याम, मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, गिरधर, गोपाल, मोहन, राधावल्लभ, वंशीधर ।
- गणेश** - गजवदन, लंबोदर, गजानन, विनायक, गणपति, गौरीसुत, मूषकवाहन, एकदंत, विघ्नेश ।
- गंगा** - भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, देवनी, जाह्नवी, सुरसरिता ।
- घर** - गृह, आलय, सदन, निकेत, आगार, धाम, मंदिर, निवास ।
- चंद्र** - शशि, सुधांशु, राकेश, निशाकर, मयंक, सोम, मृगांक, कलानिधि, हिमांशु, सुधाकर, विधु, निशापति, शशांक ।
- जल** - पानी, अंबु, सलिल, उदक, जीवन, वारि, पय, तोय ।
- तलवार** - खड्ग, कृपाण, असि, करवाल, शमशीर ।
- तालाब** - सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, ताल, पोखर ।
- देवता** - सुर, अमर, देव, निर्जर, अजर ।
- नदी** - तरंगिणी, सरिता, तटिनी, निर्झरिणी ।
- पक्षी** - चिड़िया, पतंग, द्विज, अंडज, विहग, विहंगम, खग, पखेरू, नभचर ।
- पति** - स्वामी, नाथ, भर्ता, कांत, वर, वल्लभ ।

- पत्नी** - भार्या, दारा, वामांगी, सहधर्मिणी, गृहिणी, अर्धांगिनी।
- पर्वत** - पहाड़, भूधर, महीधर, नग, शैल, गिरि, भूमिधर।
- पवन** - समीर, बयार, अनिल, पवमान, प्रभंजन, वायु, मारुत, हवा।
- पुत्र** - सुत, तनय, बेटा, लड़का, तनुज, आत्मज।
- पृथ्वी** - भू, धरा, उर्वी, धरती, वसुधा, अग्नि, वसुंधरा, धरित्री, मेदिनी, वसुमती, धरणी।
- भौरा** - भ्रमर, भृंग, मधुप, अलि, मधुकर, षट्पद।
- महादेव** - शिव, शंभु, शंकर, सतीश, महेश, त्रिलोचन, चंद्रशेखर, पशुपति, गौरीपति, कैलाशनाथ, त्रिपुरारि।
- मेघ** - बादल, वारिद, घन, जलधर, नीरद, पयोधर।
- रात** - रात्रि, रैन, रजनी, यामिनी, विभावरी।
- सागर** - समुद्र, जलधि, जलनिधि, सिंधु, नदीश, पयोधि, वारीश, रत्नाकर, पयोनिधि।
- सूर्य** - दिनकर, रवि, मार्तंड, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, अर्क, आदित्य, भानु, तरणि, अंशुमाली।
- सेना** - कटक, दल, वाहिनी, फ़ौज।
- सोना** - स्वर्ण, सुवर्ण, कनक, हेम, हाटक, कंचन।
- सिंह** - व्याघ्र, मृगराज, वनराज, केसरी, पंचानन।
- स्त्री** - नारी, ललना, कांता, अंगना, कामिनी, सुंदरी, वनिता, रमणी।

नीचे कुछ ऐसे शब्दों की सूची दी जा रही है जो प्रत्यक्षतः पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, पर जिनके प्रयोग में सूक्ष्म अंतर का ध्यान रखना आवश्यक है— अनुभव-अनुभूति, अनुरूप-अनुकूल, अपराध-पाप, विशेषज्ञ-दक्ष-पारंगत, अवनति-पतन, अवस्था-आयु-वय, अस्त्र-शस्त्र-आयुध, आचार-व्यवहार, आदेश-आज्ञा-अनुज्ञा, आनंद-सुख, ओषधि-औषध, इच्छा-कामना, लालसा-अभिलाषा, ईर्ष्या-द्वेष-स्पर्धा, कपड़ा-वस्त्र, दया-कृपा, करुणा-सहानुभूति,

कष्ट-यंत्रणा-यातना, शोक-विषाद-व्यथा, घमंड-अभिमान-दर्प-गर्व-मद, नारी-स्त्री-महिला, निंदा-अपवाद, कलंक-अपयश, पत्ता-किसलय-पल्लव, प्रमाद-भ्रम, प्रयोग-उपयोग, प्रार्थना-विनती-विनय-अनुरोध, प्रेम-प्रणय-स्नेह-वात्सल्य, शंका-आशंका-संदेह-संशय इत्यादि।

उपर्युक्त में से कुछ के अर्थ-भेद नीचे स्पष्ट किए जा रहे हैं —

**अनुभव-अनुभूति** — व्यवहार या अभ्यास से प्राप्त ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अनुभूति आंतरिक ज्ञान है जो चिंतन या मनन से प्राप्त होता है; जैसे— मोहन को इस कार्य का बहुत अनुभव है।

अनुभूति के बिना कविता नहीं लिखी जा सकती।

**अनुरूप-अनुकूल** — अनुरूप से समानता या उपयुक्तता का बोध होता है। अनुकूल से पक्ष में या अनुसार का भाव प्रकट होता है; जैसे — अमित को उसकी योग्यता के अनुरूप पद नहीं मिला।

अनुकूल वायु पाकर नौका चल पड़ी।

**अस्त्र-शस्त्र** — फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र और हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं; जैसे — आधुनिक युग में दूर-लक्ष्य-वेधी अस्त्रों का प्रयोग अधिकता से होने लगा है।

तलवार जैसे शस्त्रों का प्रयोग आधुनिक युद्धों में बंद-सा हो गया है। धनुष-बाण अस्त्र-शस्त्र दोनों हैं।

**अवस्था-आयु-वय** — आयु समस्त जीवन काल को कहते हैं। वय से उम्र का बोध होता है। अवस्था के अर्थ में भी वय का प्रयोग होता है; जैसे— स्वामी शंकराचार्य ने छोटी अवस्था में ही अद्भुत विद्वत्ता का परिचय दिया था।

नियम-संयम से रहने वाले लंबी आयु पाते हैं।

**अपराध-पाप** — अपराध एक असामाजिक कृत्य है और उसके लिए दंड की व्यवस्था है। पाप धर्म और समाज की दृष्टि से निकृष्ट और अशुभ कार्य हैं; जैसे —

मोहन ने रमेश के घर में चोरी करने का अपराध किया है।  
पशु-पक्षियों को सताना पाप है।

### विलोमार्थी शब्द

किसी शब्द से विपरीत अर्थ देने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थी कहा जाता है; जैसे — मान का विलोमार्थी शब्द अपमान है।

नीचे कुछ शब्द और उनके विलोमार्थी शब्दों की सूची दी जा रही है —

शब्द	विलोमार्थी शब्द	शब्द	विलोमार्थी शब्द
अथ	इति	कुटिल	सरल
अवनति	उन्नति	कृत्रिम	अकृत्रिम, नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्रकृत
अंतरंग	बहिरंग	ग्राह्य	त्याज्य, अग्राह्य
अल्पज्ञ	बहुज्ञ	ज्योति	तम
अल्पायु	दीर्घायु	जीवित	मृत
अक्षम	सक्षम	जटिल	सरल
अनुराग	विराग	ताप	शीत
अनुकूल	प्रतिकूल	तामसिक	सात्त्विक
अधुनातन	पुरातन	तीव्र	मंद
अस्त	उदय	दुर्जन	सज्जन
अमर	मर्त्य	देय	अदेय
अमृत	विष	निर्बल	सबल
अलभ्य/दुर्लभ	सुलभ	ध्वंस	निर्माण
अंधकार	प्रकाश	धृष्ट	विनीत
आयात	निर्यात	निंदा	स्तुति
आविर्भाव	तिरोभाव	परतंत्र	स्वतंत्र
आगत	विगत, निर्गत	पाप	पुण्य

आरोह	अवरोह	यथार्थ	कल्पित
आदान	प्रदान	रिक्त	पूर्ण
आर्द्र	शुष्क	लौकिक	अलौकिक
आदि	अंत	लुप्त	प्रकट
आस्तिक	नास्तिक	विजय	पराजय
आलोक	अंधकार	व्यष्टि	समष्टि
आभ्यंतर	बाह्य	सामिष	निरामिष
उदयाचल	अस्ताचल	सुकर	दुष्कर
ऐहिक	पारलौकिक	सुलभ	दुर्लभ
ऋज	वक्र	सम्मान	अपमान
उपकार	अपकार	हास	वृद्धि
उत्थान	पतन	हर्ष	विषाद
कनिष्ठ	ज्येष्ठ	हार	जीत

### एकार्थी शब्द

जिन शब्दों का अर्थ सभी परिस्थितियों में एक-सा रहता है, उन्हें एकार्थी या एकार्थक शब्द कहते हैं; जैसे —

अहंकार, उत्तम, शस्त्र, अपराध, पाप, निंदा, अपयश, कलंक, अनुराग, आसक्ति, अर्चन, स्वागत, आराधना, ऋषि, तंद्रा, सुषुप्ति, निपुण, अभिनेत्री, निधन, प्रणय, मापदंड, पत्नी, पुष्प, भ्रांति, मित्र, यातना, श्रद्धा, सम्राट।

### अनेकार्थी शब्द

प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं; जैसे —

- अंबर - वस्त्र, आकाश, कपास।  
 अनंत - असीम, आकाश, अविनाशी, विष्णु, शेषनाग।  
 अपेक्षा - आवश्यकता, तुलना में।



अभिजात	-	कुलीन, पूज्य, मनोहर।
अरुण	-	लाल, प्रातःकालीन सूर्य, सूर्य का सारथी।
अलि	-	भौरा, कोयल, सखी।
अवकाश	-	बीच का समय, अवसर, छुट्टी।
अवधि	-	सीमा, निर्धारित समय।
आम	-	एक फल, सामान्य।
आराम	-	बगीचा, सुख-चैन।
उत्सर्ग	-	त्याग, दान, समाप्ति।
कनक	-	सोना, धतूरा।
कर	-	हाथ, किरण, हाथी की सूँड, टैक्स।
कल	-	आगामी या बीता हुआ दिन, मशीन, आराम।
कुंडली	-	साँप की गेंडुरी, जन्मकुंडली।
कुल	-	वंश, सब।
गति	-	चाल, दशा, मोक्ष।
गुरु	-	शिक्षक, बड़ा, भारी, मुश्किल से पचने वाला।
घन	-	बादल, घटा, अधिक बड़ा हथौड़ा।
तार	-	तारघर का तार, लोहे आदि का तार, चासनी का तार, उद्धार।
तीर	-	तट, बाण।
दंड	-	डंडा, सजा, एक व्यायाम, डंठल।
दक्षिण	-	दाहिना, अनुकूल, दक्षिण दिशा।
निशान	-	चिह्न, ध्वजा, डंका।
पत्र	-	चिट्ठी, पत्ता, समाचारपत्र, पत्रा।
पद	-	चरण, कविता की पंक्ति, दर्जा, शब्द।
पृष्ठ	-	पीठ, पन्ना, पीछे का भाग, सतह।
भूत	-	प्रेत, प्राणी, बीता हुआ।
मत	-	राय, संप्रदाय, निषेध।

मुद्रा	-	मोहर, छाया, सिक्का, मुख का भाव।
विजया	-	दुर्गा, भाँग।
विधि	-	कानून, ब्रह्मा, रीति।
व्याज	-	छल, बहाना, सूद।
श्रुति	-	वेद, कान।

### शब्द-निर्माण

हम जान चुके हैं कि मूल शब्दों से कुछ शब्दांशों या शब्दों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। यह शब्द-निर्माण तीन प्रकार से होता है -

1. उपसर्ग द्वारा
2. प्रत्यय द्वारा
3. समास द्वारा

### उपसर्ग

वे लघुतम शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं; जैसे - अ + धर्म = अधर्म, बे + ईमान = बेईमान, क + पूत = कपूत, सु + पुत्र = सुपुत्र।

हिंदी में तीन प्रकार के उपसर्ग हैं -

1. तत्सम उपसर्ग
2. तद्भव उपसर्ग
3. आगत उपसर्ग

**1. तत्सम उपसर्ग** - ये उपसर्ग संस्कृत से आए हैं और तत्सम शब्दों में ही लगते हैं। नीचे कुछ प्रचलित तत्सम उपसर्ग उदाहरण सहित दिए जा रहे हैं -

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
अधि	ऊपर, श्रेष्ठ	अधिनायक, अधिवक्ता, अधिपति।

अनु	पीछे, समान	अनुचर, अनुभव, अनुरूप, अनुकरण, अनुवाद, अनुमान।
अप	बुरा, हीन	अपयश, अपमान, अपशब्द।
आ	तक, पर्यंत	आजीवन, आमरण, आदान।
उत	श्रेष्ठ, ऊपर	उत्थान, उद्गम, उद्योग, उत्कर्ष।
दुर, दुस	बुरा, कठिन	दुस्साहस, दुर्भाग्य, दुर्गुण, दुस्साध्य, दुष्कर।
निर्, निस	नहीं, रहित	निष्काम, निस्संदेह, निर्दोष, निर्जीव, निर्विकार नीरोग, नीरव।
प्र	अधिक, आगे	प्रसिद्ध, प्राचार्य, प्रचार, प्रबंध, प्रस्थान।
वि	विशेष, अलगाव	विशिष्ट, विदेश, विज्ञान, विक्रय, वियोग।
सम्	समान, संयोग	सम्मान, संभव, सम्मेलन, संयम।
अ/अन्	अभाव	अभाव, अज्ञान, अधर्म, अनादि, अनुचित, अनधिकार।
सु	अच्छा, श्रेष्ठ	सुबोध, सुगम, सुपुत्र, स्वागत।
कु	बुरा	कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप, कुयोग, कुमति।

2. **तद्भव उपसर्ग** — हिंदी के अपने कुछ उपसर्ग विकसित हुए हैं। हिंदी के अधिकांश तद्भव उपसर्ग संस्कृत के तत्सम उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं —

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
अ/अन	निषेध, नहीं	अछूत, अनपढ़, अनहोनी।
नि	बुरा, कम	निडर, निहत्था।
दु	बुरा, कम	दुबला, दुसाध्य।

3. **आगत उपसर्ग** — विदेशी भाषाओं के शब्दों के आने के साथ-साथ विदेशी भाषाओं के कुछ उपसर्ग भी हिंदी में आ गए हैं। हिंदी में आगत उपसर्ग मुख्यतः अरबी-फारसी के हैं।

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
ब	से, के साथ	बखूबी, बदौलत, बनाम।
बा	के साथ,	बाअदब, बाकायदा।

बे	बिना	बेअदब, बेवफ़ा।
बद	बुरा	बदसूरत, बदतमीज़।
ला	नहीं, अभाव	लापता, लाजवाब, लापरवाही।
हम	साथ-साथ	हमसफ़र, हमजोली, हमराह, हमदम।
सर	मुख्य	सरपंच, सरहद।

### प्रत्यय

प्रत्यय भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं —

1. कृत् प्रत्यय — क्रिया के मूल रूप (धातु) से जुड़कर संज्ञा अथवा विशेषण बनाते हैं। कृत् प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं।

उदाहरण —

प्रत्यय	शब्द	प्रत्यय	शब्द
हार	खेलनहार, होनहार।	आलू	झगड़ालू
ऐया	गवैया, खिवैया, पढ़ैया।	इयल	सड़ियल, अड़ियल
अक्कड़	भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़।	नी	चटनी, सूँघनी, ओढ़नी
ऊ	खाऊ, उड़ाऊ, रट्टू।	ई	हँसी, बोली
दार	देनदार, लेनदार	आई	पढ़ाई, भलाई

2. तद्धित प्रत्यय — जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।

संज्ञा से संज्ञा

आर	सोना-सुनार, लोहा-लुहार।
इया	डिब्बा-डिबिया, खाट-खटिया, लठ-लठिया।
ई	पहाड़-पहाड़ी, रस्सा-रस्सी, खेत-खेती।

कार	कला-कलाकार, पत्र-पत्रकार, चित्र-चित्रकार, साहित्य-साहित्यकार।
गर	जादू-जादूगर, बाजी-बाजीगर।
दार	किराया-किराएदार, दुकान-दुकानदार।
पन	बच्चा-बचपन, लड़का-लड़कपन।

### विशेषण से संज्ञा

आस	मीठा-मिठास, खट्टा-खटास।
आई	अच्छा-अच्छाई, बुरा-बुराई, भला-भलाई।
आहट	कड़वा-कड़वाहट, गरम-गरमाहट।
ई	अमीर-अमीरी, गरीब-गरीबी।
ता/त्व	लघु-लघुता, लघुत्व, प्रभु-प्रभुता, प्रभुत्व।
पन	काला-कालापन, बड़ा-बड़प्पन।
पा	मोटा-मोटापा, बूढ़ा-बुढ़ापा।

### संज्ञा से विशेषण

ई	गुलाब-गुलाबी, पंजाब-पंजाबी।
ईला	रस-रसीला, चमक-चमकीला।
ऊ	बाज़ार-बाज़ारू, पेट-पेटू, ढाल-ढालू।
इक	धर्म-धार्मिक, समाज-सामाजिक, नीति-नैतिक।

### समास

जिस प्रकार किसी शब्द में प्रत्यय 'और/अथवा' उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनते हैं, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनते हैं। शब्द-निर्माण की इस विधि को समास कहते हैं; जैसे —

माता	+	पिता	=	माता-पिता	-	माता और पिता।
विश्राम	+	गृह	=	विश्रामगृह	-	विश्राम के लिए गृह।
घोड़ा	+	सवार	=	घुड़सवार	-	घोड़े पर सवार।

सामासिक शब्द में प्रायः दो पद होते हैं। पहले, पद को पूर्वपद तथा दूसरे पद को उत्तरपद कहते हैं और समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग-अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं; जैसे — 'गंगाजल' समस्त पद में दो पद हैं 'गंगा' और 'जल'। इसका विग्रह होगा 'गंगा का जल'।

**समास के भेद** — समास के छः भेद होते हैं —

1. तत्पुरुष समास
2. कर्मधारय समास
3. द्विगु समास
4. बहुव्रीहि समास
5. द्वंद्व समास
6. अव्ययीभाव समास

1. **तत्पुरुष समास** — इस समास में उत्तरपद प्रधान होता है और पूर्वपद गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्गों; जैसे — का, से, पर आदि का लोप हो जाता है—

युद्ध क्षेत्र	-	युद्ध	+	क्षेत्र	=	युद्ध का क्षेत्र
राजकुमार	-	राज	+	कुमार	=	राजा का कुमार
रसोईघर	-	रसोई	+	घर	=	रसोई के लिए घर
हस्तलिखित	-	हस्त	+	लिखित	=	हस्त (हाथ) से लिखित
पुस्तकालय	-	पुस्तक	+	आलय	=	पुस्तक का आलय
ध्यानमग्न	-	ध्यान	+	मग्न	=	ध्यान में मग्न

2. **कर्मधारय समास** — कर्मधारय समास में पूर्वपद विशेषण तथा उत्तरपद विशेष्य होता है अथवा पूर्वपद और उत्तरपद में उपमेय-उपमान का संबंध होता है; जैसे —

(i) समस्तपद	विशेषण + विशेष्य	विग्रह
नीलकमल	नील + कमल	नीले रंग का कमल
कालीमिर्च	काली + मिर्च	काले रंग की मिर्च

पनचक्की	पानी	+	चक्की	पानी से चलने वाली चक्की
नीलगगन	नील	+	गगन	नीले रंग का गगन
महाराजा	महान	+	राजा	महान राजा
महात्मा	महान	+	आत्मा	महान आत्मा
(ii) समस्तपद	उपमेय	+	उपमान	विग्रह
कमलनयन	नयन	+	कमल	कमल के समान नयन
मुखचंद्र	मुख	+	चंद्र	चंद्र के समान मुख

3. **द्विगु समास** — जिन समासों का पूर्वपद संख्यावाची शब्द हो, वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह समास प्रायः समूहवाची होता है; जैसे —

तिरंगा	-	तीन रंगों का समाहार
चौमासा	-	चौ (चार) मासों का समाहार
चौराहा	-	चार राहों का समाहार

4. **बहुव्रीहि समास** — बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद ही 'प्रधान' होता है; जैसे —

समस्त पद	गौण पद+गौण पद	विग्रह	अन्य पद
पीतांबर	पीत+अंबर	पीला है अंबर (वस्त्र)जिसका	कृष्ण/विष्णु
दशानन	दश+आनन	दश हैं आनन जिसके	रावण
नीलकंठ	नील+कंठ	नीला है कंठ जिसका	शिव
गजानन	गज+आनन	गज के समान है आनन जिसका	गणेश
गिरिधर	गिरि+धर	गिरि को धारण करने वाला	कृष्ण

5. **द्वंद्व समास** — इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चयबोधक अव्यय का लोप हो जाता है; जैसे —

समस्त पद	विग्रह
भाई-बहन	भाई और बहन
पाप-पुण्य	पाप और पुण्य
सुख-दुख	सुख और दुख
भला-बुरा	भला या बुरा
रात-दिन	रात और दिन
दो-चार	दो या चार

6. **अव्ययीभाव समास** — इस समास में पूर्वपद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय (क्रिया विशेषण) का काम करता है; जैसे — प्रतिदिन, यथाशक्ति। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है; जैसे — साफ़-साफ़, जल्दी-जल्दी, दिनोंदिन।

समस्तपद	विग्रह
प्रत्येक	प्रति-एक
आजन्म	जन्म से लेकर
यथाशक्ति	शक्ति के अनुसार
साफ़-साफ़	बिलकुल स्पष्ट
रातोंरात	रात ही रात में

### युग्म शब्द

'युग्म' का अर्थ है जोड़ा। जब एक शब्द अपने पर्याय, सहयोगी अथवा विलोम शब्द के साथ जोड़ा बनकर प्रयुक्त होता है तो उसे युग्म शब्द कहते हैं; जैसे — धन-दौलत, दाल-रोटी, पाप-पुण्य। ऐसे युग्म शब्दों में एक अतिरिक्त अर्थ निहित रहता है; जैसे — दाल-रोटी का सामान्य अर्थ है दाल, सब्जी, रोटी आदि, किन्तु इसका दूसरा अर्थ भरण-पोषण भी हो



सकता है; जैसे — इस आदमी के सहारे दाल-रोटी चलती है।

युग्म शब्दों के चार भेद किए जा सकते हैं —

1. पर्याय या आपस में मिलते-जुलते अर्थ वाले शब्दों के युग्म —

**संज्ञाएँ** — अन्न-जल, बाल-बच्चे, आचार-विचार, कागज़-पत्र, जीव-जंतु, काम-काज, जान-पहचान, मार-पीट, देख-भाल।

**विशेषण** — हृष्ट-पुष्ट, सीधा-सादा, फटा-पुराना, भरा-पूरा, मोटा-ताज़ा, भूला-भटका।

**सर्वनाम** — जो कोई, सब-कुछ।

**क्रियाएँ** — लड़ते-झगड़ते, चलते-फिरते, गाते-बजाते, सुना-सुनाया, सोच-समझकर, हिलना-डुलना।

**क्रियाविशेषण** — ज्यों-त्यों करके, जहाँ-कहीं, बैठे-ठांले, जैसे-तैसे।

2. विलोम (विपर्यय) शब्दों के युग्म —

**संज्ञाएँ** — देश-विदेश, लेन-देन, जीवन-मरण, आगा-पीछा, उतार-चढ़ाव, धर्म-अधर्म, सुख-दुख, गुण-दोष, जय-पराजय।

**विशेषण** — लंबा-चौड़ा, भला-बुरा; थोड़ा-बहुत, छोटे-बड़े, उलटा-सीधा।

**क्रियाएँ** — आना-जाना, जीना-मरना।

**क्रियाविशेषण** — आगे-पीछे, इधर-उधर, जहाँ-तहाँ, आर-पार।

3. कुछ युग्म सार्थक और निरर्थक शब्दों से बनते हैं —

कागज़-वागज़, भीड़-भाड़, चुप-चाप, हट्टा-कट्टा, गाली-गलौज, टाल-मटोल, आस-पास, आमने-सामने, इने-गिने, अता-पता, अड़ोसी-पड़ोसी, पूछ-ताछ, चुप-चाप, ढूँढ़-ढाँढ़।

4. कभी-कभी युग्म शब्दों के दोनों अंश निरर्थक होते हैं —

ऊटपटाँग, अंटसंट, अनाप-सनाप, अंड-बंड, हक्का-बक्का।

### पुनरुक्त शब्द

**युग्म शब्द का एक प्रकार पुनरुक्त शब्द है। इसमें एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होता है। इसे द्विरुक्त शब्द भी कहते हैं।** इसमें अर्थ में अतिशयता, भिन्नता, निरंतरता आदि का बोध होता है; जैसे — हँसी-हँसी, घड़ी-घड़ी (अतिशयता), रंग-रंग, देश-देश (भिन्नता) पाँव-पाँव, बूँद-बूँद (रीति) छोटे-छोटे, हरी-हरी (एकजातीयता) घर-घर, चलते-चलते, रोते-रोते (निरंतरता)।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण आदि शब्दों से पुनरुक्त शब्दों का निर्माण होता है; जैसे —

**संज्ञा** — गाँव-गाँव, भाई-भाई, गली-गली, रंग-रंग, आदमी-आदमी।

**विशेषण** — बड़े-बड़े, पके-पके, नए-नए, फीकी-फीकी, काले-काले।

**सर्वनाम** — कौन-कौन, कोई-कोई, जो-जो।

**क्रिया** — हँसते-हँसते, देखते-देखते, आते-आते, जा-जाकर।

**क्रियाविशेषण** — धीरे-धीरे, ऊपर-ऊपर, नीचे-नीचे, हाय-हाय

कुछ अनुकरणात्मक अथवा निरर्थक शब्दों की पुनरुक्ति से भी नए सार्थक शब्द प्राप्त होते हैं; जैसे —

**संज्ञा** — खटाखट, खटखट, गड़गड़, टनटन।

**विशेषण** — भड़भड़िया, खटपटिया, गड़बड़िया।

**क्रिया** — हिनहिनाना, बिलबिलाना, झनझनाना।

**क्रियाविशेषण**— दनादन, घड़ाधड़, झटपट।

कभी-कभी, पुनरुक्त शब्द के बीच में 'न', 'ही', 'तो', आदि निपात अथवा कोई परसर्ग आने से नए अर्थ का बोध होता है; जैसे —

कुछ-न-कुछ, कोई-न-कोई, आप-ही-आप, रंग-ही-रंग, मैं-ही-मैं, साथ-ही-साथ, और-तो-और, और-का-और, घर-का-घर।

### प्रश्न-अभ्यास

1. शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्गीकरण के आधार बताइए।
2. स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बाँटा जाता है? उदाहरण सहित समझाइए।
3. देशज और आगत (विदेशी) शब्दों के भेद उदाहरण सहित बताइए।
4. निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, आगत और देशज शब्द छाँटिए —  
आँख, मयूर, आम्र, अखबार, वकील, मुहावरा, लोटा, विष, अँगूठा, खुशामद, दफ़्तर, बजट, बीमा, लॉटरी, चाय, रवि।
5. रचना के आधार पर शब्द-भेद उदाहरण सहित समझाइए।
6. पारिभाषिक शब्द से क्या अभिप्राय है? मानविकी और विज्ञान के पाँच-पाँच पारिभाषिक शब्द लिखिए।
7. अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कौन-कौन से भेद हैं? उदाहरण सहित बताइए।
8. विकारी और अविकारी शब्दों में सोदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए।
9. निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए —  
अमृत, गंगा, कमल, चंद्र, जल, नदी, पृथ्वी, पवन।
10. निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थी शब्द लिखिए —  
अनुराग, अमर, आयात, आस्तिक, कृत्रिम, दुर्जन, विजय।
11. निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो-दो अर्थ लिखिए —  
अलि, कर, गुरु, धन, दंड, अनंत, मुद्रा।
12. निम्नलिखित उपसर्गों से दो-दो शब्दों का निर्माण कीजिए —  
अन्, अन, अनु, अधि, उप, अभि, वि, सम्
13. निम्नलिखित प्रत्ययों से शब्दों का निर्माण कीजिए —  
ता, त्व, ईय, इक, इयल, आई, आर, हार।
14. समास और संधि का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
15. निम्नलिखित समस्तपदों का विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए —  
'शरणागत, पाप-पुण्य, अकालपीडित, पीतांबर, देशभक्ति, कमलनयन, मृगनयनी, आजन्म।
16. युग्म शब्द और पुनरुक्त शब्दों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए।

## शब्द और पद

पिछले अध्याय में बताया गया है कि शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो यह शब्द होता है, किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहा जाता है; जैसे — 'लड़का' एक शब्द है। 'लड़का' शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाए तो इसके विभिन्न रूप मिलेंगे; जैसे —

1. लड़का किताब पढ़ता है।
2. लड़के ने किताब पढ़ी।
3. लड़कों को पढ़ने दो।
4. लड़को! किताब पढ़ो।

उपर्युक्त वाक्यों में लड़का, लड़के, लड़कों, लड़को रूप अब अपने-आप में स्वतंत्र शब्द नहीं हैं। 'लड़का' शब्द के ये अलग-अलग रूप हैं। ये ही रूप 'पद' कहलाते हैं। 'लड़का' शब्द का अर्थ कोश से प्राप्त हो सकता है, किंतु लड़के, लड़कों और लड़को शब्दों के अर्थ कोश से प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए 'लड़का' शब्द **कोशीय शब्द** कहलाता है, जबकि लड़के, लड़कों और लड़को पद कोशीय अर्थ के साथ-साथ अन्य संदर्भपरक अर्थ भी लिए हुए है।

## कोशीय और व्याकरणिक शब्द

कोशीय शब्दों के अतिरिक्त **व्याकरणिक शब्द** भी होते हैं, जो व्याकरणिक कार्य करते हैं; जैसे —

(क) मैं आजकल मोहन के घर नहीं जाता।

(ख) मुझसे आजकल खाना नहीं खाया जाता।

वाक्य (क) में 'जाता' कोशीय शब्द है, जिससे 'जाने' की क्रिया का अर्थ मिलता है, किंतु वाक्य 'ख' में 'जाता' कोशीय अर्थ नहीं, अपितु व्याकरणिक अर्थ दे रहा है। यहाँ 'जाता' शब्द में पहले वाक्य की भाँति जाने की क्रिया नहीं है, वरन् इससे कर्मवाच्य का बोध होता है। अतः यह व्याकरणिक शब्द है। इस प्रकार 'जाता' पद वाक्य (क) में कोशीय शब्द है और वाक्य (ख) में व्याकरणिक शब्द।

### पद के भेद

पद के निम्नलिखित पाँच भेद किए गए हैं —

1. संज्ञा 2. सर्वनाम 3. विशेषण 4. क्रिया और 5. अव्यय।

### संज्ञा

**संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं;** जैसे — रमेश, गंगा, गाय, सेब, हैदराबाद, प्रेम।

निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर संज्ञा को पहचाना जा सकता है।

1. कुछ संज्ञा शब्द **प्राणिवाचक** होते हैं और कुछ **अप्राणिवाचक**। प्राणिवाचक शब्द बच्चा, भैंस, चिड़िया, आदमी, रमेश हैं और अप्राणिवाचक शब्द हैं — किताब, मकान, रेलगाड़ी, रोटी, पर्वत।
2. कुछ संज्ञा शब्दों की गिनती की जा सकती है और कुछ की गिनती नहीं की जा सकती; जैसे — आदमी, पुस्तक, केला की गणना की जा सकती है, इसलिए ये **गणनीय संज्ञाएँ** हैं और दूध, हवा, प्रेम की गणना नहीं हो सकती, इसीलिए ये **अगणनीय संज्ञाएँ** हैं।
3. संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक आदि की भूमिकाएँ निभा सकता है; जैसे —

(क) शीला खेल रही है। (कर्ता के रूप में)

(ख) मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। (कर्म के रूप में)

(ग) रमेश छात्र है। (पूरक के रूप में)

4. संज्ञा पद के बाद परसर्ग (ने, को, से, में, पर आदि) आ सकते हैं; जैसे — मोहन ने, फलों को, डंडे से, कमरे में, मेज़ पर।
5. संज्ञा शब्द के पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है; जैसे — काला जूता, सफ़ेद कमीज़, नया घर, अँधेरी रात, सुंदर साड़ी। इन संज्ञा पदों के पहले क्रमशः काला, सफ़ेद, नया, अँधेरी, सुंदर विशेषण आए हैं।

**संज्ञा के भेद** — संज्ञा के तीन भेद माने गए हैं —

(क) व्यक्तिवाचक संज्ञा (ख) जातिवाचक संज्ञा (ग) भाववाचक संज्ञा।

(क) **व्यक्तिवाचक संज्ञा** : जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु का बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे — रमेश (व्यक्ति-विशेष), कामधेनु (गाय-विशेष), गंगा (नदी-विशेष), हिमालय (पर्वत-विशेष), भारत (देश-विशेष)।

(ख) **जातिवाचक संज्ञा** : जिस संज्ञा से जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं; जैसे — मनुष्य, गाय, नदी, पर्वत, देश।

(ग) **भाववाचक संज्ञा** : जो संज्ञा किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का बोध कराती है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ये सभी संकल्पनाएँ होती हैं, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता; जैसे — सच्चाई, प्रेम, बचपन, ईमानदारी, शीतलता।

**व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में** —

कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती हैं; जैसे —

1. आज भी **हरिश्चंद्रों** की कमी नहीं है।
2. हमें **जयचंदों** से बचना चाहिए।
3. किसी-न-किसी परिवार में **विभीषण** मिल ही जाते हैं।

**जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में** —

कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ हो जाते हैं और किसी व्यक्ति-विशेष को निर्दिष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए —

1. पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
2. नेता जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा।
3. पुरी में रथयात्रा बड़ी सुंदर होती है।

उपर्युक्त वाक्यों में पंडित जी, नेता जी, पुरी आदि शब्द क्रमशः जवाहरलाल नेहरु, सुभाषचंद्र बोस, जगन्नाथ पुरी का बोध कराते हैं।

**भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में —**

जब भाववाचक संज्ञा पद बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है; जैसे —

**बुराइयों से सदैव दूर रहिए।**

आजकल **दूरियाँ** बढ़ती जा रही हैं।

### लिंग

लिंग का अर्थ है — चिह्न। व्याकरण में इसे स्त्री-पुरुष के भाव का भेदक माना जाता है।

हिंदी में दो लिंग हैं —

(क) पुल्लिंग

(ख) स्त्रीलिंग

हिंदी में लिंग-विधान का व्याकरणिक महत्त्व है। जीव जगत में लिंग का भेद प्राकृतिक है किंतु भाषा में इसे व्याकरण की दृष्टि से देखना अपेक्षित है। प्राणिवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उनके नर या मादा होने के कारण सरलता से हो जाती है, किंतु अप्राणिवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण पद से ही हो सकती है; जैसे —

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| (1) आदमी भोजन कर रहा है। | (प्राकृतिक लिंग भेद) |
| (2) औरत खाना बना रही है। | (प्राकृतिक लिंग भेद) |
| (3) पंखा चल रहा है।      | (क्रिया से पहचान)    |
| (4) घड़ी चल रही है।      | (क्रिया से पहचान)    |

(5) यह बड़ा कमरा है। (विशेषण से पहचान)

(6) यह बड़ी कुरसी है। (विशेषण से पहचान)

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (1) और (2) में आदमी तथा औरत प्राणिवाचक संज्ञापद हैं। आदमी पुल्लिंग है, औरत स्त्रीलिंग है। वाक्य (3), (4), (5) और (6) में पंखा, घड़ी, कमरा और कुरसी अप्राणिवाचक संज्ञापद हैं। इनमें पंखा, घड़ी के साथ प्रयुक्त क्रियापद 'रहा', 'रही' तथा कमरा और कुरसी के साथ प्रयुक्त विशेषण 'बड़ा', 'बड़ी' से उनके लिंग का बोध हो रहा है।

कुछ जीवों के नाम ऐसे हैं, जिनका प्रयोग या तो पुल्लिंग में होता है या स्त्रीलिंग में।

**केवल पुल्लिंगवाची जीव :** चीता, भेड़िया, गीदड़, तोता, कौवा, मच्छर।  
**केवल स्त्रीलिंगवाची जीव :** छिपकली, गिलहरी, बुलबुल, तितली, मैना, चींटी। कभी-कभी इनके लिंग को स्पष्ट करने के लिए उसके पहले नर और मादा जोड़ दिया जाता है; जैसे — नर चीता और मादा चीता, नर मैना और मादा मैना।

हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में कई प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं। ये इस प्रकार हैं :

- (क) कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का अंतर छोटे-बड़े आकार के आधार पर होता है; जैसे — नाला-नाली, चींटा-चींटी, लोटा-लुटिया।  
 (ख) रिश्ते-नाते के अधिकांश शब्दों में लिंग भेद पति-पत्नी सूचक है। उदाहरण के लिए; दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, मामा-मामी, बेटा-बहू, भाई-भाभी, साला-सलहज, साली-साढ़ू आदि, किंतु बेटा-बेटी, साला-साली अपवाद हैं क्योंकि इनमें भाई-बहन का रिश्ता है, न कि पति-पत्नी का।  
 (ग) हिंदी में पदवी/उपाधिसूचक नाम उभयलिंगी हो गए हैं। उनमें लिंग-विधान का निर्धारण क्रिया के द्वारा ही हो पाता है।



(1) प्रधानमंत्री इस समारोह का उद्घाटन करेंगे।

(2) प्रधानमंत्री आज विदेश यात्रा पर जा रही हैं।

इसी प्रकार कई अन्य शब्द पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं; जैसे — प्रोफेसर, सचिव, सभापति, निदेशक।

### वचन

**संज्ञा तथा अन्य विकारी शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं।** हिंदी में दो वचन हैं — एकवचन और बहुवचन।

जो संज्ञापद एक का बोध कराए उसे एकवचन कहते हैं; जैसे— घोड़ा, मेज़, नदी।

जो एक से अधिक का बोध कराए, उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे — घोड़े, मेज़ें, नदियाँ।

गणनीय संज्ञा पदों के बहुवचन रूप होते हैं; जैसे — लड़का-लड़के, लड़की-लड़कियाँ, वस्तु-वस्तुएँ। अगणनीय संज्ञा पदों का बहुवचन रूप नहीं बनता; जैसे — दूध, चीनी, पानी।

### वचन संबंधी कुछ नियम

(1) कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इनका प्रयोग एकवचन में ही होता है; जैसे —

(क) यह देखकर **जनता** चिल्ला उठी।

(ख) **पुलिस** चुप नहीं बैठेगी।

(ग) **भीड़** आगे बढ़ती गई।

इसमें 'जनता', 'पुलिस', 'भीड़' संज्ञापद समूहवाचक होते हुए भी एकवचन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ एकवचन का प्रयोग समुदाय को एक इकाई के रूप में लेकर हुआ है।

(2) कहीं-कहीं एकवचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है; जैसे —

- (क) मुझे आपके दर्शन नहीं हुए।  
 (ख) उसके प्राण निकल गए।  
 (ग) सीता के आँसू नहीं थमे।  
 (घ) मोहन के हस्ताक्षर नहीं हुए।

उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि रेखांकित शब्दों का प्रयोग केवल बहुवचन में ही होता है।

(3) आदर व्यक्त करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है; जैसे —

- (क) शर्मा जी दफ़्तर गए हैं।  
 (ख) पिता जी कब आ रहे हैं।  
 (ग) माता जी खाना बना रही हैं।  
 (घ) क्या आप मेरे घर आएँगे।  
 (ङ) नीरा जी कल चेन्नै जा रही हैं।

(4) कभी-कभी बहुवचन बनाने के लिए 'जन', 'गण', 'वर्ग', 'वृंद' या 'लोग' आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं; जैसे — गुरुजन, छात्रगण, कृषक वर्ग, शिशु-वृंद, डॉक्टर लोग।

### कारक

वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा-सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कारक कहते हैं। ये संबंध अर्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं; जैसे — 'राम ने रावण को बाण से मारा'। इस वाक्य में 'राम', 'रावण', 'बाण' संज्ञापदों का संबंध 'मारा' क्रिया से सूचित हो रहा है। इस प्रकार कारक एक ऐसी व्याकरणिक कोटि है जिससे यह पता चलता है कि संज्ञा पद वाक्य में स्थित क्रिया के साथ किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं।

कारक के छः मुख्य भेद माने गए हैं —

1. कर्ता (क्रिया को करने वाला)
2. कर्म (जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े)

3. **करण** (जिस साधन से क्रिया हो)
4. **संप्रदान** (जिसके लिए क्रिया की जाए)
5. **अपादान** (जिससे अलग होने या निकलने का बोध हो)
6. **अधिकरण** (क्रिया के स्थान, समय आदि का आधार)

कुछ विद्वान कारक के दो अन्य भेद भी मानते हैं, किंतु इन पर विवाद है, क्योंकि इनका संबंध प्रत्यक्ष रूप में क्रिया से नहीं होता। ये दो कारक हैं —

1. **संबंध** (क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध सूचित करनेवाला)
2. **संबोधन** (जिस संज्ञा को पुकारा जाए)

उपर्युक्त कारकों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है।

कारक	परसर्ग/विभक्ति	वाक्य-प्रयोग
कर्ता	ने	1. माणिक आम खाता है। (ने-रहित) 2. माणिक ने आम खाए। (ने-सहित)
कर्म	को (ए, एँ)	1. शीला ने पत्र लिखा। (को-रहित) 2. शीला ने मोहन को डाँटा। (को-सहित) 3. शीला ने उसे बुलाया। (को के स्थान पर 'ए') 4. शीला ने हमें समझाया। (को के स्थान पर 'एँ')
करण	से (द्वारा)	1. सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। 2. मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया।
संप्रदान	को (ए, एँ), के लिए	1. भिक्षुक को भिक्षा दे दो। 2. माँ के लिए दवा ले आओ। 3. उसने ये पुस्तकें मुझे दी हैं।

अपादान	से (अलंग होने में)	1. पेड़ से कई आम गिरे। 2. अनिल मथुरा से आज ही गया है।
अधिकरण	में, पर	1. मोहन कमरे में बैठा है। 2. प्रभात ने मेज़ पर सामान रखा।
संबंध	का (के,की), रा (रे, री), ना (ने, नी)	1. यह पीने का पानी है। 2. मोहन के दो बेटे हैं। 3. यह मेरा चश्मा है। 4. अपना काम पूरा करो।
संबोधन	ऐ, हे, अरे, ओ आदि (ऐ, हे, अरे। आदि स्वतंत्र संबोधन हैं परसर्ग नहीं)	1. (ऐ) लड़के! वहाँ से कुर्सी ले आओ। 2. (हे) ईश्वर! मेरी रक्षा करो। 3. (अरे) भाई! ऐसा काम क्यों करते हो?

### सर्वनाम

सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं, जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों (संज्ञाओं) के लिए या उनके स्थान पर हो सके। एक ही संज्ञा को बार-बार उसी रूप में अगले वाक्यों में दुहराए जाने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है; उदाहरण के लिए —

समीर कल मेरे घर आया था। समीर बहुत दुखी था क्योंकि समीर की पुस्तक खो गई थी। मैंने समीर को अपनी पुस्तक दे दी।

उपर्युक्त वाक्यों में 'समीर' चार बार आया है, इससे यह अंश अटपटा-सा लग रहा है। सर्वनाम का प्रयोग करने से ये वाक्य इस प्रकार बनेंगे —

समीर कल मेरे घर आया था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई थी। मैंने उसे अपनी पुस्तक दे दी।

इस प्रकार **सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में आते हैं।**

### सर्वनाम के भेद

सर्वनाम के छः भेद माने गए हैं — 1. पुरुषवाचक 2. निश्चयवाचक  
3. अनिश्चयवाचक 4. प्रश्नवाचक 5. निजवाचक 6. संबंधवाचक।

**1. पुरुषवाचक** — यह सर्वनाम व्यक्ति, प्राणी आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत वक्ता को केंद्र में रखा जाता है।

पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार हैं —

(क) **उत्तम पुरुष सर्वनाम** : वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं; जैसे — मैं, हम, मुझे, मुझको, हमें, हमको।

(ख) **मध्यम पुरुष सर्वनाम** : श्रोता से बात करते हुए उसके नाम के बदले जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं; जैसे — तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, आपको।

(ग) **अन्य पुरुष सर्वनाम** : जिसके बारे में बात करने या लिखने में उसके नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे — वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, उसने, उन्होंने।

**2. निश्चयवाचक सर्वनाम** — जिस सर्वनाम से दूरवर्ती अथवा समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे —

(क) वह मनुष्य नहीं, देवता है।

(ख) यह तुम्हारी पुस्तक है।

इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं।

इस संबंध में यह ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि 'यह' और 'वह' पुरुषवाचक (अन्य पुरुष) सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार होगा :

- (क) मोहन मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। (अन्य पुरुष सर्वनाम)  
 (ख) यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। (निश्चयवाचक सर्वनाम)

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम — जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चय की यह स्थिति तब आती है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का आभास तो हो, किंतु उसकी संज्ञा (नाम) के बारे में निश्चय न हो; जैसे — कोई, कुछ।

'कोई' सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराता है और 'कुछ' सर्वनाम किसी वस्तु का। किंतु इनसे किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता; जैसे —

(क) दरवाज़े पर कोई आया है।

(ख) दूध में कुछ पड़ गया है।

4. प्रश्नवाचक सर्वनाम — जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे —

(क) दरवाज़े पर कौन खड़ा है?

(ख) आप मुझसे क्या चाहते हैं?

5. निजवाचक सर्वनाम — जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपना, अपनी, अपने, अपने-आप, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। इनका प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में दिया गया है; जैसे —

(क) मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ?

(ख) मोहन यह काम खुद कर लेगा।

(ग) वह यहाँ स्वयं आया था।

(घ) मोहन का अपना लड़का कहीं गया है।

(ङ) मोहन (अपने) आप गया है।

6. संबंधवाचक सर्वनाम — जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे — जो, जिस। इस सर्वनाम का प्रयोग प्रायः मिश्रवाक्य में होता है; उदाहरण के लिए —

(क) जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा।

(ख) जिसको आपने बुलाया था, वह बाज़ार गया है।

### परसर्ग के कारण सर्वनामों का रूपांतरण

पुरुषवाचक सर्वनामों के साथ परसर्ग लगने पर अधिकतर सर्वनामों में परिवर्तन हो जाता है; जैसे —

(क) अन्य पुरुष सर्वनाम (वह, यह, वे, ये) के साथ 'ने' लगने पर ये सर्वनाम क्रमशः 'उसने, इसने, उन्होंने, इन्होंने' रूपों में बदल जाते हैं।

(ख) उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनामों के साथ 'को' परसर्ग लगने पर प्रायः अंतर आ जाता है; जैसे — मैं + को = मुझको या मुझे, तू + को = तुझको या तुझे, तुम + को = तुमको या तुम्हें, वह + को = उसको या उसे, वे + को = उनको या उन्हें, हम + को = हमको या हमें। इसी प्रकार से, के लिए, में, पर आदि परसर्गों के लगने से भी मूल सर्वनामों में प्रायः अंतर आता है।

(ग) उत्तम पुरुष तथा मध्यमपुरुष सर्वनामों के साथ 'ने' परसर्ग लगने पर परिवर्तन नहीं होता; जैसे — 'मैंने, तुमने, हमने, आपने'।

### सर्वनामों का प्रयोग

1. सर्वनाम का अपना कोई लिंग विधान नहीं है। वाक्य में संज्ञा के लिए जिस लिंग का प्रयोग होता है, उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम के लिए भी उसी लिंग का प्रयोग होता है।

सर्वनाम के लिंग क्री जानकारी क्रिया-रूपों से मिलती है; जैसे —

(क) कुत्ता घर में घुस आया है, वह भौंक रहा है।

(ख) शीला के पैर में चोट आई है, वह चल नहीं सकती।

2. मध्यम पुरुष सर्वनाम 'तू' एकवचन है। इसका प्रयोग अत्यंत आत्मीयता, अधिक घनिष्ठता, निरादर, हीनता अथवा भक्ति-भाव की स्थितियों में होता है; जैसे —

(क) मोहन! तू मेरे भाई की शादी पर अवश्य आएगा।

(ख) ऐ, तू मेरा क्या कर लेगा।

(ग) हे ईश्वर! तू दीनबंधु है।

3. 'कौन-सा' सर्वनाम का प्रयोग प्रायः अप्राणिवाचक रूपों के साथ होता है; जैसे — आप कौन-सा कमरा लेंगे?

### विशेषण

**संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहते हैं।** विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे 'विशेष्य' कहते हैं; जैसे — ऊँचा कद, लाल आँखें, बहुत लोग, कई लड़कियाँ, मोटा आदमी। इनमें ऊँचा, लाल, बहुत, कई, मोटा विशेषण हैं और कद, आँखें, लोग, लड़कियाँ, आदमी क्रमशः इन विशेषणों के विशेष्य हैं।

विशेषण के चार भेद माने गए हैं :

1. गुणवाचक विशेषण 2. परिमाणवाचक विशेषण 3. संख्यावाचक विशेषण 4. सार्वनामिक विशेषण।

#### 1. गुणवाचक विशेषण

**जो विशेषण विशेष्य (संज्ञा या सर्वनाम) के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दशा, स्थिति आदि की विशेषता का बोध कराता है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है; जैसे —**

(क) वह अच्छा लड़का है। (गुणवाचक)

(ख) लंबा आदमी इस घर का मालिक है। (आकार-बोधक)

(ग) तुम ने मेरी नीली कमीज़ देखी है। (रंग-सूचक)

(घ) गीली कमीज़ को धूप में रख दो। (दशा-बोधक)

(ङ) आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। (काल-बोधक)



## 2. परिमाणवाचक विशेषण

जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल (परिमाण) का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं; जैसे —

- (क) पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है।
- (ख) मज़दूर भारी बोझ से दबा जा रहा था।
- (ग) इस साल कम उपज हुई है।
- (घ) वहाँ थोड़े लोग थे।

## 3. संख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है; जैसे —

- (क) उनको आने में अभी पंद्रह दिन शेष हैं।
- (ख) खेल प्रतियोगिता में मोहन तीसरे स्थान पर आया है।
- (ग) उसके पास आधे पैसे रह गए हैं।
- (घ) इस स्कूल में कई लड़कियों ने प्रतियोगिता जीती।
- (ङ) सब बालकों ने उसका ध्यान रखा।

संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं — निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध होता है; जैसे — पंद्रह, तीसरा, आधा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता, अपितु संख्या का अनुमान कराने वाले रूप प्रयुक्त होते हैं; जैसे— कई, कुछ, सब, काफ़ी, सैकड़ों, दस-बीस।

## 4. सार्वनामिक विशेषण

जो सर्वनाम संज्ञा रूप के पहले आता है और विशेषण का कार्य करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं; जैसे —

- (क) वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है।
- (ख) यह मकान बड़ा है।
- (ग) वहाँ कौन आदमी जा रहा है?

### निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर

निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में सूक्ष्म-अंतर है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि की निश्चितता का बोध कराता है जबकि सार्वनामिक विशेषण से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता का द्योतन होता है; जैसे —

- (क) (i) यह मोहन की पुस्तक है।  
 (ii) वह शीला का घर है।  
 (ख) (i) यह पुस्तक मोहन की है।  
 (ii) वह घर शीला का है।

उपर्युक्त (क) के अंतर्गत वाक्य (i) और (ii) में 'यह' और 'वह' क्रमशः 'मोहन की पुस्तक' और 'शीला का घर' की निश्चितता का बोध कराते हैं इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हैं, जबकि (ख) के अंतर्गत वाक्य (i) और (ii) में 'यह पुस्तक' और 'वह घर' में 'यह' पुस्तक की और 'वह' घर की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हैं।

### प्रविशेषण

कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं; जैसे —

- (क) आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की।  
 (ख) मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है।  
 (ग) कारखानों से अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है।  
 (घ) मेरा भाई अत्यंत कुशल और अति सक्षम अधिकारी है।  
 (ङ) चंद्रशेखर आज़ाद महान पराक्रमी क्रांतिकारी थे।

विशेषणों के बारे में कुछ अन्य बातें

- (क) विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं; जैसे —  
 (i) यह पानी ठंडा है।

लाल है।

ल डाकू क्रूर और निर्दयी था।

न ऊँचा है।

लग विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं;  
अच्छे, हरा-हरे, बड़ा-बड़े।

परसर्ग लगने पर आकारांत विशेषण एकवचन में  
जाता है; जैसे — अच्छे लड़के ने, ऊँचे मकान में,

में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता;  
उम्दा, ज्यादा, सुखी, सुंदर, उत्तम।

ग विशेषण एकवचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में  
न साथ परसर्ग लगने पर भी ईकारांत ही रहते हैं;  
करी — काली बकरियों ने, अच्छी लड़की — अच्छी  
बड़ी कलम से — बड़ी कलमों से।

ना कुछ विशेषण संज्ञा की भाँति प्रयुक्त होते हैं;

को देखो

कहना मानना चाहिए।

रे ने कुछ नहीं किया।

कभी पुनरुक्त रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार  
र्थ में अतिशयता आ जाती है; जैसे —  
हरे पेड़ दिखाई देते हैं।

टे लड़के कितने सुंदर लग रहे हैं!

शेष्यों के गुणों की तुलना करने के लिए विशेषण से पहले  
'में', 'की अपेक्षा' आदि का प्रयोग होता है; जैसे —  
मालय उसके विद्यालय से अच्छा है।

- (ii) मेरा विद्यालय उसके विद्यालय की तुलना में अच्छा है।  
 (iii) मेरा विद्यालय उसके विद्यालय की अपेक्षा अधिक अच्छा है।

### क्रिया

क्रिया से किसी कार्य के करने का अथवा किसी प्रक्रिया में या किसी स्थिति में होने का बोध होता है; जैसे —

- (क) यह पुस्तक है।  
 (ख) रमेश रोज़ स्कूल जाता है।  
 (ग) शीला ने सेब खाया।  
 (घ) चिड़िया आकाश में उड़ रही है।

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (क) में 'है' से पुस्तक की स्थिति का पता चलता है। वाक्य (ख) में रमेश के 'रोज़' जाने की जानकारी मिलती है। वाक्य (ग) में शीला के द्वारा 'खाना' कार्य करने का बोध होता है। वाक्य (घ) में चिड़िया के 'उड़ने' की प्रक्रिया का बोध होता है। अतः ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे अंश 'है', 'जाता है', 'खाया' तथा 'उड़ रही है' क्रियापद हैं।

जाऊंगा, जाता है, जा रहा होगा, जाता था, जाना चाहिए, जाइए आदि क्रियापदों में 'जा' सभी रूपों में समान रूप से मिलता है। इस समान रूप में मिलने वाले अंश को धातु अथवा क्रियामूल कहते हैं।

आना, करना, रखना, उठना, बैठना, पढ़ना, दौड़ना सभी क्रियापद हैं। इन क्रियापदों से 'ना' हटा देने पर क्रियाओं का धातु रूप बनता है — आ, कर, रख, उठ, बैठ, पढ़, दौड़।

### क्रिया के भेद

क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं : (i) अकर्मक क्रिया (ii) सकर्मक क्रिया।

1. अकर्मक क्रिया — वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रियापद

से कार्य का होना या करना स्वतः ही पता चल जाता है तथा इसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है; जैसे —

- (क) राम आता है।
- (ख) पक्षी उड़ रहे हैं।
- (ग) शीला हँसेगी।
- (घ) बच्चा रो रहा है।

उपर्युक्त वाक्यों में 'आना', 'उड़ना', 'हँसना' और 'रोना' क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं है। इनका प्रभाव क्रमशः 'राम', 'पक्षी', 'शीला' और 'बच्चे' पर पड़ रहा है।

2. सकर्मक क्रिया — वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं; जैसे —

- (क) मोहन मकान देख रहा है।
- (ख) शीला ने सेब खाया।
- (ग) वह पानी पी रहा है।
- (घ) कुली सामान उठाता है।

उपर्युक्त वाक्यों में देखना, खाना, पीना, उठाना क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता है। इनमें कर्म के बिना क्रिया पूर्ण नहीं है। यदि वाक्य में कर्म उपस्थित न भी हो, किंतु क्रिया को उसकी अपेक्षा हो तो वह सकर्मक क्रिया ही होगी; जैसे —

राम पढ़ता है।

शीला खा रही है।

कुछ सकर्मक क्रियाओं के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है। इन क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया भी कहते हैं; जैसे —

- (क) मोहन ने मोहन को अपनी घड़ी दी।
- (ख) रमेश ने सुरेश से मकान खरीदा।
- (ग) शीला ने रमा को गाना सुनाया।
- (घ) रेखा ने सीमा को अपना पता बताया।

उपर्युक्त वाक्यों में देना, खरीदना, सुनाना, बताना क्रियाएँ द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि इनके साथ दो-दो कर्म हैं।

(i) हिंदी में कुछ अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रिया के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है; जैसे —

मरना  $\Rightarrow$  मारना, चलना  $\Rightarrow$  चलाना, उठना  $\Rightarrow$  उठाना

(ii) इसी प्रकार सकर्मक क्रियाओं को अकर्मक क्रिया बनाया जा सकता है; जैसे —

घेरना  $\Rightarrow$  घिरना, खोलना  $\Rightarrow$  खुलना, लूटना  $\Rightarrow$  लुटना

(iii) ध्यान देने की बात है कि 'उड़ना' क्रिया मूल अकर्मक क्रिया है तथा सकर्मक क्रिया 'उड़ाना' से व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया के रूप में भी कार्य करती है; जैसे —

(क) चिड़िया उड़ रही है। (मूल अकर्मक 'उड़ना')

मोहन चिड़िया को उड़ा रहा है। (अकर्मक 'उड़ना' से व्युत्पन्न सकर्मक)

(ख) मोहन पतंग उड़ा रहा है। (मूल सकर्मक रूप में प्रयुक्त 'उड़ाना')  
पतंग आकाश में उड़ रही है। (सकर्मक 'उड़ाना' का व्युत्पन्न अकर्मक)

(iv) कुछ सकर्मक क्रियाएँ अकर्मक क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त हो सकती हैं; जैसे —

(क) मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। (सकर्मक 'पढ़ना')

(ख) श्याम आजकल पढ़ रहा है। (अकर्मक 'पढ़ना' अर्थात् अध्ययन करना)

### प्रेरणार्थक क्रिया

जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं काम करने का बोध नहीं होता वरन किसी अन्य व्यक्ति से कराए जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया मूलतः सकर्मक क्रिया होती है; जैसे —

(क) मोहन सोहन से काम कराता है।

(उ) माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है।

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (क) में 'काम करने' का कार्य मोहन नहीं कर रहा है वरन मोहन की प्रेरणा से सोहन काम करता है अर्थात् मोहन सोहन के द्वारा काम कराता है। वाक्य (ख) में बच्चे को दूध पिलाने का काम माँ नहीं करती बल्कि माँ की प्रेरणा से अर्थात् कहने पर नौकरानी दूध पिलाती है। इसलिए 'कराना' और 'पिलवाना' क्रिया प्रेरणार्थक क्रियाएँ हैं।

प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है — (क) प्रथम प्रेरणार्थक और (ख) द्वितीय प्रेरणार्थक।

प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रायः मूल सकर्मक क्रिया का भी काम करती है। इसके धातु रूप के बाद 'आ' जुड़ता है; जैसे — करना-कराना, भूलना- भुलाना, खेलना-खिलाना, पीना-पिलाना।

द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में धातु के बाद प्रायः 'वा' जुड़ता है; जैसे — करना-करवाना, भुलाना- भुलवाना, खिलाना-खिलवाना, पिलाना-पिलवाना।

### संयुक्त क्रिया

वाक्य में क्रिया पद के भीतर एक से अधिक क्रियाएँ भी आती हैं; जैसे — दिखाई दिया, बैठ जाओ, लौट आया, चल पड़ा। इन क्रियापदों को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इनमें दिखाई, बैठ, लौट और चल क्रियाएँ मूल क्रियाएँ हैं जो कोशीय अर्थ देती हैं। दिया, जाओ, आया, पड़ा क्रियाएँ रंजक क्रियाएँ हैं जो कोशीय अर्थ को रंजित करती हैं अर्थात् विशेष अर्थच्छाया देती हैं।

**इस प्रकार दो स्वतंत्र अर्थ देने वाली क्रियाएँ जब मुख्य क्रिया और रंजक क्रिया के रूप में एक साथ मिल जाती हैं तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए —**

(क) उसे मोहन आता दिखाई दिया। (देना — पूर्णता का भाव)

(ख) तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। (जाना — पूर्णता का भाव)

- (ग) वर्षा के कारण वह बीच में **चला आया**। (आना - अनायासता का भाव)
- (घ) वह विद्यालय की ओर **चल पड़ा**। (पड़ना - शीघ्रता का भाव)
- (ङ) मोहन स्कूल **जाने लगा**। (लगना - आरंभ का भाव)
- (च) शीला **चिल्ला उठी**। (उठना - आकस्मिकता का भाव)
- (छ) उसने कुत्ते को **मार डाला**। (डालना - बलात का भाव)
- उपर्युक्त वाक्यों में देना, जाना, आना, पड़ना, लगना, उठना और डालना रंजक क्रियाएँ हैं।

### संयुक्त क्रिया के अन्य लक्षण

- कहीं-कहीं संयुक्त क्रिया के दोनों पदों का क्रम तथा रूप बदलने पर अर्थ में परिवर्तन आ जाता है; जैसे -
  - (क) उसने उसे **मार दिया**। (जान से मार देना)
  - (ख) उसने उसे **दे मारा**। (उठाकर नीचे पटक देना)
- निषेधात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया के साथ रंजक क्रिया नहीं लगती, जैसे -
  - (क) उसे **भूख लग आई** ⇒ उसे भूख नहीं लगी।  
यह सुनकर मोहन **चिल्ला उठा** ⇒ यह सुनकर मोहन नहीं चिल्लाया।  
महेंद्र सारे आम खा गया ⇒ महेंद्र ने सारे आम नहीं खाए।  
सुरेश ने काम कर लिया ⇒ सुरेश ने काम नहीं किया।
- संयुक्त क्रिया में 'सकना' और 'चुकना' जैसी क्रियाएँ रंजक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं। वास्तव में ये रंजक क्रियाएँ नहीं हैं और न ही इनका कोई स्वतंत्र अर्थ होता है, किंतु वे मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया के सामर्थ्य, पूर्णता आदि का बोध कराती हैं; जैसे -
  - (क) रमेश यह काम कर **सकता** है। (सामर्थ्य का भाव)
  - (ख) शीला मुंबई जा **चुकी** है। (पूर्णता का भाव)



### समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया

**समापिका क्रिया** — सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है और प्रायः वाक्य के अंत में रहती है, उसे समापिका क्रिया कहते हैं; जैसे —

- (क) मोहन डॉक्टर है।
- (ख) लड़का पढ़ता है।
- (ग) मैं निबंध लिखूँगा।

उपर्युक्त वाक्यों में है, पढ़ता है, लिखूँगा क्रियापद वाक्य के अंत में हैं। इनका संबंध व्याकरणिक कर्ता से है।

**असमापिका क्रिया** — वाक्य में जो क्रिया विधेयगत क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त न होकर अन्य स्थान पर प्रयुक्त होती है उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। इन्हें कृदन्ती रूप भी कहा जाता है। यह क्रिया समापिका क्रिया के लिए निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त नहीं होती; जैसे —

- (क) मोहन ने घर आकर भोजन किया।
- (ख) पानी में बहते हुए बच्चा नदी में डूब गया।
- (ग) बड़ों के कहने पर चला करो।
- (घ) कुरसी पर बैठे हुए मोहन ने बच्चे को उठा लिया।
- (ङ) मेज़ पर पड़ी किताब उठा लाओ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'आकर', 'बहते हुए', 'कहने पर', 'बैठे हुए', 'पड़ी' असमापिका क्रियाएँ (कृदन्त) हैं।

कृदन्त मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं —

- (क) अपूर्ण कृदन्त — खिलता फूल, बहती नदी, चलती गाड़ी।
- (ख) पूर्ण कृदन्त — बैठा आदमी, पका (हुआ) फल।
- (ग) क्रियार्थक कृदन्त — पढ़ने के लिए।
- (घ) पूर्वकालिक कृदन्त — बैठकर, खड़े होकर।
- (ङ) कृदन्तीय संज्ञा (क्रियार्थक संज्ञा) — टहलना, उठना, बैठना।
- (च) कृदन्तीय क्रियाविशेषण — गिरते ही, बैठे-बैठे।

(छ) कर्तृवाचक कृदंत - भागने वाला, बोलने वाला।

(ज) तात्कालिक कृदंत - आते ही, बैठते ही।

ध्यान दें कि अपूर्ण, पूर्ण और कर्तृवाचक कृदंत प्रायः विशेषण होते हैं। पूर्वकालिक कृदंत प्रायः क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

### काल, पक्ष और वृत्ति

**काल** - क्रिया किस समय हुई, इसका बोध कराने का कार्य काल करता है। वास्तव में व्याकरणिक दृष्टि से कथन के क्षण और क्रिया होने या करने के क्षण का समयपरक संबंध काल है। उदाहरण के लिए -

1. श्याम पढ़ता है।
2. श्याम कल पढ़ रहा था।
3. श्याम कल पढ़ेगा।

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (1) में पढ़ने का कार्य वर्तमान में अर्थात् इस समय हो रहा है। वाक्य (2) में पढ़ने का कार्य भूतकाल अर्थात् बीते हुए समय 'कल' हुआ था और वाक्य (3) में पढ़ने का कार्य भविष्य में अर्थात् आने वाले 'कल' में होगा।

काल तीन प्रकार के होते हैं - (1) वर्तमान काल (2) भूतकाल और (3) भविष्यत् काल।

1. वर्तमान काल - कथन के क्षण के साथ-साथ क्रिया-व्यापार का होना अर्थात् वर्तमान समय में होना, वर्तमान काल के अंतर्गत आता है; जैसे - मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वह जाता है।
2. भूतकाल - कथन के क्षण के पूर्व क्रिया-व्यापार का होना अर्थात् बीते हुए समय में होना भूतकाल है; जैसे - मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, शीला ने पुस्तक पढ़ी और मोहन और सोहन ने पुस्तक पढ़ी थी।
3. भविष्यत् काल - कथन के क्षण के बाद क्रिया-व्यापार का होना अर्थात् आगे आने वाले समय में होना भविष्यत् काल है; जैसे - शीला गाना गाएंगी, वे जाएँगे, शायद वर्षा हो।

## पक्ष

प्रत्येक कार्य-व्यापार किसी काल-अवधि के बीच होता है जो प्रारंभ से अंत तक फैला होता है। इस फैली हुई काल-अवधि में कार्य व्यापार को देखना पक्ष कहलाता है। वास्तव में यह कार्य कभी अपूर्णता, कभी आवृत्ति, कभी निरंतरता और कभी पूर्णता व्यक्त करता है।

हिंदी में पक्ष मुख्यतः चार प्रकार के माने गए हैं :

1. नित्यताबोधक अपूर्ण पक्ष — इसमें क्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है और पूरी नहीं होती; जैसे — मोहन डॉक्टर है। सुरेश अध्यापक था।
2. आवृत्तिमूलक पक्ष — इसमें क्रिया सदैव बनी रहती है; जैसे — सूर्य पूर्व से निकलता है। मोहन पढ़ता है। श्याम स्कूल जाता था।
3. सातत्यबोधक पक्ष — इसमें उस समय का बोध होता है जब कार्य निरंतर चल रहा हो; जैसे — सतीश पढ़ रहा है। सीता लिख रही थी। मोहन सोच रहा होगा।
4. पूर्णकालिक पक्ष — इसमें कार्य व्यापार पूरा या समाप्त हो चुका होता है; जैसे — सुरेश काफ़ी दौड़ चुका है। शीला ने यह पुस्तक पढ़ी है। मोहन घर गया।

## वृत्ति

जब क्रिया-रूप वक्ता या लेखक की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है तो उसे वृत्ति कहते हैं। 'वृत्ति' को क्रियार्थ भी कहते हैं। इसकी क्रियाएँ प्रायः काल निरपेक्ष होती हैं।

वृत्ति के छः मुख्य भेद माने गए हैं —

1. आज्ञार्थ — इसमें क्रिया के द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि प्रकट होते हैं; जैसे — (क) तुम अपने घर जाओ। (ख) हे प्रभु! मेरे अपराध क्षमा करो (ग) सदैव सच बोलो।
2. इच्छार्थ — इसमें वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद, वरदान, शाप

- आदि का पता चलता है; जैसे — (क) मैं चाहता हूँ कि मोहन मेरे पास आ जाए (ख) ईश्वर सबका भला करे। (ग) तुम सुखी रहो।
3. संभावनार्थ — इसमें कार्य के होने में संदेह या संशय बना रहता है; जैसे — (क) आज (शायद) पानी न बरसे। (ख) कदाचित् वह अभी तक वहाँ हो। (ग) संभवतः मैं कल न आऊँ।
4. निश्चयार्थ — इसमें कथन सूचना-प्रधान होता है और इसमें सत्य-असत्य की जाँच की जा सकती है; जैसे — (क) मुझे आज दिल्ली जाना पड़ेगा। (ख) शीला ने यह पुस्तक पढ़ ली है। (ग) मोहन कल फ़िल्म देखने गया था।
5. संकेतार्थ — इसमें कार्यसिद्धि के लिए वक्ता कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक समझता है; जैसे — (क) यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। (ख) अगर वर्षा हुई तो मोहन नहीं आएगा। (ग) जैसा करोगे वैसा भरोगे।
6. प्रश्नार्थ — इसमें वक्ता के मन में जिज्ञासा या शंका हो और वह उसके निर्णय पाने के लिए कोई प्रश्न कर देता है; जैसे — (क) अब मैं क्या करूँ? (ख) क्या तुम मेरा काम कर दोगे?

### वाच्य

वाच्य उस रूप-रचना को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या कर्म।

हिंदी में दो मुख्य वाच्य हैं : (1) कर्तृवाच्य और (2) अकर्तृवाच्य

1. कर्तृवाच्य — जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस वाक्य में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाएँ हो सकती हैं। इसमें कर्ता प्रमुख होता है और कर्म गौण होता है; जैसे —
- (क) पिता जी आ रहे हैं। (अकर्मक)
- (ख) माता जी सो रही हैं। (अकर्मक)
- (ग) मज़दूर काम कर रहे हैं। (सकर्मक)
- (घ) मोहन ने पुस्तक पढ़ी। (सकर्मक)

2. अकर्तृवाच्य — जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है, उसे अकर्तृवाच्य कहते हैं। अकर्तृवाच्य के दो प्रमुख भेद हैं — कर्मवाच्य और भाववाच्य।

(अ) कर्मवाच्य — कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसके कारण वाक्य में कर्ता का लोप हो जाता है अथवा कर्ता के बाद 'से' अथवा 'द्वारा' का प्रयोग होता है; जैसे —

(क) दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है।

(कर्ता का लोप)

(ख) आपका काम कर दिया गया है।

(कर्ता का लोप)

(ग) प्रेमचंद द्वारा यह उपन्यास लिखा गया। (कर्ता + द्वारा)

(घ) यह मेज़ मोहन से टूट गई है।

(कर्ता + से)

यह उल्लेखनीय है कि कर्मवाच्य में (i) कर्ता का लोप होता है अथवा कर्ता के साथ 'द्वारा' या 'से' जोड़ा जाता है। इस कारण कर्ता गौण हो जाता है। (ii) इसमें सकर्मक क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं।

कर्मवाच्य रचना के अंतर्गत असमर्थतासूचक वाक्य भी आते हैं, किंतु इसमें 'द्वारा' के स्थान पर प्रायः 'से' परसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें भी सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। ये वाक्य केवल निषेधात्मक रूप में प्रयुक्त होते हैं और कर्ता की असमर्थता सूचित करते हैं; जैसे —

(क) मुझसे यह दरवाज़ा नहीं खोला जाता।

(ख) मोहन से भोजन नहीं किया जाता।

हिंदी में क्रिया का एक ऐसा रूप भी है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है। वह है सकर्मक क्रिया से बना इसका अकर्मक रूप जिसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं; जैसे —

(क) दरवाज़ा खुल गया। (खोलना ⇒ खुलना)

(ख) गिलास टूट गया। (तोड़ना ⇒ टूटना)

(ग) भोजन पक गया। (पकाना ⇒ पकना)

(आ) भाववाच्य — इसमें वक्ता का कथ्य-बिंदु क्रिया से प्रकट होता है। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वस्तुतः अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य है; जैसे —

(क) अब चला जाए।

(ख) थोड़ी देर सो लिया जाए।

(ग) मुझ से चला नहीं जाता।

### अव्यय

हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापदों का अध्ययन किया और देखा कि इन पदों के रूपों में परिवर्तन होता है, अतः इन्हें विकारी पद कहते हैं। अब उन पदों का अध्ययन किया जाएगा जिनका रूप सदैव एक ही बना रहता है और उनमें परिवर्तन नहीं होता। एक ही रूप बने रहने के कारण इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है जिसका व्यय न हो अर्थात् जिनमें विकार न आए। इन्हें अविकारी पद भी कहते हैं।

**अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से कोई विकार या रूप-परिवर्तन नहीं होता।**

अव्यय के पाँच मुख्य भेद माने गए हैं :

1. क्रियाविशेषण — जो पद क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रियाविशेषण अव्यय कहते हैं; जैसे — धीरे-धीरे, आजकल, के पास, बिलकुल।

क्रियाविशेषण के चार भेद माने गए हैं —

(क) कालवाचक क्रियाविशेषण : जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है, उसे कालवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं; जैसे —

1. तुम चैनै कब जाओगे?

2. संजय परसों जयपुर से आया था।

3. शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है।

4. महँगाई आजकल बढ़ती जा रही है।

(ख) स्थानवाचक क्रियाविशेषण : जो पद क्रिया के स्थान का बोध कराता है, उसे स्थानवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं; जैसे —

1. वह यहाँ रहता है।
2. माता जी बाहर गई हैं।
3. तुम इधर-उधर मत जाओ।
4. वर्षा में कहाँ जाओगे?

(ग) रीतिवाचक क्रियाविशेषण : जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है, उसे रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं; जैसे —

1. कार तेज़ दौड़ती है।
2. साइकिल धीरे-धीरे चलती है।
3. मुदिता ध्यानपूर्वक पढ़ती है।
4. मोहन यहाँ कैसे आया है?

(घ) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण : जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए, वह परिमाणवाचक क्रियाविशेषण है; जैसे —

1. मैं बिलकुल थक गया हूँ।
2. बंगाल में चावल अधिक खाया जाता है।
3. तुम कम बोलो।
4. थोड़ा खाओ, खूब चबाओ।

2. संबंधबोधक अव्यय — संबंधबोधक अव्यय अपने पूर्वपद के साथ संबंध जोड़ता है। इस पद के पहले किसी-न-किसी परसर्ग की अपेक्षा रहती है; जैसे — से दूर, के साथ, के बिना, के कारण, के वास्ते, की अपेक्षा, की जगह, के अनुसार, की तरफ़। उदाहरण के लिए —

1. मैं घर से दूर पहुँच गया था।
2. इस मकान के पीछे शिव मंदिर है।
3. मोहन बाज़ार की ओर गया है।
4. उसके सामने तुम कहीं नहीं ठहर सकते।

3. समुच्चयबोधक अव्यय — जो अव्यय पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं; जैसे — और, कि, अथवा, क्योंकि, इसलिए।

समुच्चयबोधक अव्यय के दो भेद हैं :

(क) समानाधिकरण समुच्चयबोधक : जो दो या उससे अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है, वह समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाता है; जैसे —

1. नरेंद्र शाम को रोटी और दाल खाता है।
2. जोगेंद्र रसमलाई या गुलाबजामुन खाता है।
3. उसने मोहन को बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना।
4. मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाऊँगा।

(ख) व्यधिकरण समुच्चयबोधक : जो पद किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है, वह व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाता है; जैसे —

1. शेख घर चला गया है क्योंकि उसके सिर में दर्द था।
2. पिताजी ने कहा कि मोहन को तुरंत बुलाओ।
3. मैं घर जा रहा हूँ ताकि माँ को दवा पिला सकूँ।
4. उसने परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हो पाया।

4. विस्मयादिबोधक अव्यय — विस्मयादिबोधक अव्यय वे रूप हैं जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, व्यथा, घृणा आदि मनोभावों के उद्गार को व्यक्त करते हैं। उद्गार प्रायः अपने-आप मुँह से निकल जाते हैं और इनका उद्देश्य प्रायः सुनने वाले को कोई सूचना देना नहीं होता; जैसे —

- (क) वाह! क्या सुंदर दृश्य है। (आश्चर्य)
- (ख) अरे! गाड़ी से बचो। (चेतावनी)
- (ग) क्या बोलूँ! (व्यथा)
- (घ) शाबाश! बहुत बड़ा काम किया तुमने। (प्रशंसा)
- (ङ) छिः! ऐसी गंदी बात करता है। (घृणा)
- (च) वाह! यह सुनकर मन खिल उठा। (हर्ष)



5. निपात — वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव पैदा करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात या अवधारणामूलक शब्द कहते हैं; जैसे —

1. राम ही कल जाएगा।
2. राम कल ही जाएगा।
3. कल राम भी जाएगा।
4. मैंने तो कुछ नहीं किया।
5. तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं।

### प्रश्न-अभ्यास

1. शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करते हुए पद के प्रकार उदाहरण सहित बताइए।
2. संज्ञा के भेद बताते हुए प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।
3. निम्नलिखित शब्द संज्ञा के किन भेदों के अंतर्गत आते हैं?  
पर्वत, गंगा, कोच्चिन, इच्छा, हरिद्वार, हिमालय, सोना, पुलिस, शांति, मुंबई।
4. पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के प्रमुख नियम उदाहरण सहित बताइए।
5. निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप (परसर्ग रहित) लिखिए —  
दरवाज़ा, नदी, आँख, डाकू, कक्षा, कुरसी, मुनि, माला।
6. निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप (परसर्ग सहित) लिखिए —  
आदमी (ने), लड़की (को), कमरा (में), कवि (से), कपड़ा (पर), पशु (को), बहन (ने), बहू (को)।
7. कारक किसे कहते हैं? इसके भेद उदाहरण सहित बताइए।
8. निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों को उपयुक्त परसर्गों से पूरा कीजिए —
  1. सुरेश ————— कई सेब खाए।
  2. गंगा हिमालय ————— निकलती है।
  3. माँ बच्चे ————— खिलौना लाती है।
  4. शीला ने भाई ————— पत्र लिखा।

5. नौकर ————— बुलाओ।
6. मोहन ने राम ————— डंटा।
7. मैंने सुरेश ————— बोलना बंद कर दिया।
8. उसने चाकू ————— फल काटे।
9. सर्वनाम से क्या अभिप्राय है? इसे स्पष्ट करते हुए इस के प्रकार उदाहरण सहित बताइए।
10. अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
11. विशेषण के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए।
12. निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
13. प्रविशेषण से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित समझाइए।
14. क्रिया किसे कहते हैं? इसके भेद उदाहरण सहित बताइए।
15. संयुक्त क्रिया से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित समझाइए।
16. काल के कितने भेद हैं? प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।
17. वृत्ति से क्या तात्पर्य है? सभी वृत्तियों का एक-एक उदाहरण दीजिए।
18. पक्ष से क्या अभिप्राय है? पक्ष कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक का एक-एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
19. अव्यय के भेद बताते हुए प्रत्येक के दो-दो उदाहरण दीजिए।
20. क्रियाविशेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का विवेचन उदाहरण सहित कीजिए।
21. निम्नलिखित शब्दों के प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाइए —  
पीना, सुनना, रोना, चलना, देना, बनना, काटना।
22. वाच्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का विवेचन उदाहरण सहित कीजिए।
23. निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य बताइए —  
(क) मुझ से गलती हो गई।  
(ख) राम अभी नहीं सोया।

- (ग) मज़दूरों ने एक साल में यह पुल तैयार किया।  
 (घ) बच्चे से गिलास टूट गया।  
 (ङ) मुझसे चला नहीं जाता।
24. निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य पर सही (✓) का निशान लगाइए और यदि कोई वाक्य गलत हो तो उसे शुद्ध कीजिए -
- (क) शीला घर पर होगी।  
 (ख) मैंने काम करा।  
 (ग) मेरे को कल मुंबई जाना है।  
 (घ) मुझे दो सौ रुपए की ज़रूरत होवेगी।  
 (ङ) राम ने बहुत बड़ी गलती करी।  
 (च) मुझे दो किताबें चाहिए।  
 (छ) मोहन सोहन को अपना पेन देगा।  
 (ज) कौन पत्र लिखा है।

हम जान चुके हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। उन शब्दों का व्याकरणिक परिचय पद-परिचय कहलाता है।

पद-परिचय बताने के लिए पद के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना भी आवश्यक है।

### पद-परिचय के लिए आवश्यक संकेत

संज्ञा	संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध।
सर्वनाम	सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, क्रिया के साथ संबंध।
विशेषण	विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य।
क्रिया	क्रिया के भेद, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, कर्ता और कर्म का संकेत।
अव्यय	क्रियाविशेषण-भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में निर्देश। समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक-भेद तथा उनका संबंध, निर्देश आदि।

### उदाहरण

(क) हम अपने देश पर मर मिटेंगे।

हम	सर्वनाम, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक।
अपने	सर्वनाम, निजवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, संबंधकारक, 'देश' से संबंध
देश पर	संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक।

**मर भित्तेंगे** अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, भविष्यत् काल, उत्तम पुरुष, अपूर्ण पक्ष, कर्तृवाच्य, हम कर्ता की क्रिया।

**(ख) रमेश वहाँ दसवीं कक्षा में बैठा है।**

**रमेश** संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्ता कारक, 'बैठा है' क्रिया का कर्ता।

**वहाँ** स्थानवाचक क्रियाविशेषण 'बैठा है' क्रिया का स्थान निर्देश।

**दसवीं** विशेषण, संख्यावाचक, क्रमसूचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कक्षा विशेष्य का विशेषण।

**कक्षा में** संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक। बैठा क्रिया से संबद्ध।

**बैठा है** अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एकवचन, अन्य पुरुष, पूर्णपक्ष, कर्तृवाच्य, इसका कर्ता रमेश।

**(ग) भागकर जाओ और बाज़ार से कुछ तो लाओ।**

**भागकर** पूर्वकालिक क्रिया, रीतिवाचक क्रियाविशेषण।

**बाज़ार से** संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, अपादान कारक।

**कुछ** अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्मकारक।

**तो** निपात।

### प्रश्न-अभ्यास

1. निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों का पद-परिचय दीजिए।

(क) भूषण वीर रस के कवि थे।

(ख) वह कल आएगा।

(ग) मैं दसवीं कक्षा में पढ़ता हूँ।

(घ) वह अचानक दिखाई पड़ा।

(ङ) यह पुस्तक किसकी है?

भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है, जिससे किसी भाव को पूर्णरूप से व्यक्त किया जा सकता है। इस कथन में 'दो बातें' दिखाई देती हैं —

1. वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने-आप में स्वतंत्र है।
2. वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्णतया प्रकट करता है। इस प्रकार *वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है, जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है।*

### वाक्य के अंग

निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए —

1. रमेश पुस्तक पढ़ता है।
2. कृष्ण कुमार कहानी लिखता है।

उपर्युक्त वाक्यों में दो अंग हैं। एक अंग कर्ता के बारे में सूचना देता है; जैसे — रमेश, कृष्ण कुमार। दूसरा अंग क्रिया के बारे में सूचना देता है; जैसे — पढ़ता है, कहानी लिखता है।

उपर्युक्त वाक्यों में पहला अंग उद्देश्य कहलाता है और दूसरा विधेय। इस प्रकार वाक्य के दो अंग हैं — उद्देश्य और विधेय।

उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है; जैसे --

उद्देश्य	विधेय
मेरा भाई	होशियार है।
सुरेश	को बुखार है।

कई बार वाक्य में प्रकट रूप में उद्देश्य दिखाई नहीं देता। आज्ञासूचक वाक्य देखिए —

उद्देश्य	विधेय
(तुम)	वहाँ मत जाओ।
(आप)	खाना खाइए।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों में उद्देश्य का लोप है। 'तुम' और 'आप' के बिना भी ये वाक्य पूर्ण हैं। इसीलिए तुम और आप को कोष्ठक में रखा गया है अर्थात् ये दोनों अंग वाक्य में अप्रकट रूप में निहित हैं।

इसी प्रकार कई वाक्यों में प्रकट रूप में विधेय भी दिखाई नहीं देता; जैसे —

कोई पूछता है 'दिल्ली कौन गया है?'  
उत्तर मिलता है — 'मोहन'।

उत्तर वाक्य में पूरा वाक्य बनता है 'मोहन दिल्ली गया है।' किंतु यहाँ 'दिल्ली गया है' विधेय का लोप है। विधेय का यह अंग अप्रकट रूप में वाक्य में निहित है।

उद्देश्य और विधेय एक-एक पद के भी हो सकते हैं और एक से अधिक पदों के भी। उदाहरण के लिए —

उद्देश्य	विधेय
1. मोहन	जाता है।
2. मेरा भाई मोहन	स्कूल जाता है।
3. मेरा छोटा भाई मोहन	प्रतिदिन दोपहर को स्कूल जाता है।

उपर्युक्त वाक्यों के वाक्य (2) और (3) के उद्देश्य 'मेरा भाई मोहन'।

तथा 'मेरा छोटा भाई मोहन' वाक्य (1) के उद्देश्य 'मोहन' के विस्तार हैं और विधेय 'स्कूल जाता है' और 'प्रतिदिन दोपहर को स्कूल जाता है' वाक्य (1) के विधेय 'जाता है' के विस्तार हैं।

इस प्रकार वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसके दो ही अंग होते हैं — एक, उद्देश्य और दूसरा, विधेय। उद्देश्य प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है और विधेय उद्देश्य के बाद में। उद्देश्य और विधेय में कर्ता और क्रिया अनिवार्य अंग हैं। किंतु इनमें कर्म, पूरक, अधिकरण आदि की भी आवश्यकता रहती है; जैसे —

1. ईश्वर है।
2. मोहन डॉक्टर है।
3. शीला सेब खाती है।
4. वह घर में है।
5. मोहन ने सोहन को किताब दी।

उपर्युक्त वाक्य मूलभूत वाक्य हैं क्योंकि इनको छोटा करने पर अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इन वाक्यों का विस्तार किया जा सकता है।

### वाक्य-रचना

वाक्य शब्दों या पदों का मात्र समूह नहीं होता है। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद किसी-न-किसी संबंध से परस्पर जुड़ा रहता है। यह संबंध ही पदों के समूह को वाक्य का रूप प्रदान करता है। इस संबंध को दो प्रकार से समझा जा सकता है — (1) पदक्रम और (2) अन्विति। वाक्य-रचना की दृष्टि से ये दोनों तत्त्व अनिवार्य हैं।

### पदक्रम

वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, क्रियाविशेषण आदि पद सामान्य रूप से जिस क्रम में आते हैं, उसको पदक्रम कहते हैं। पदक्रम सभी भाषाओं में एक जैसा नहीं होता। हिंदी में सामान्य पदक्रम कर्ता + कर्म + क्रिया



है। अर्थात् पहले कर्ता आता है, फिर कर्म और अंत में क्रियापद आता है।  
उदाहरण के लिए —

मोहन सेब खाता है।

उपर्युक्त वाक्य में 'मोहन' कर्ता है, 'सेब' कर्म और 'खाता है' क्रिया पद।  
हिंदी वाक्य-रचना में पदक्रम का बड़ा महत्त्व है। पदक्रम में थोड़ा-सा परिवर्तन हो जाने पर अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है; जैसे —

मोहन श्याम को पीटता है।

उपर्युक्त वाक्य में संज्ञापदों का क्रम उलट देने पर वाक्य बनेगा —  
'श्याम मोहन को पीटता है।'

इससे मूल वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। इसी प्रकार 'पीटता है श्याम को मोहन' यह वाक्य अस्पष्ट है और कोई अर्थ नहीं देता। इसलिए वाक्य रचना में उचित पदक्रम का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं, उनमें प्रायः पहले गौण कर्म (या संप्रदान) और बाद में मुख्य कर्म आता है; जैसे —

शीला ने रमा को अपनी कार बेची। ('रमा' गौण कर्म, 'कार' मुख्य कर्म)

संबोधन तथा विस्मयसूचक शब्द वाक्य से पहले प्रयुक्त होते हैं; जैसे —

1. अहा! बहुत सुंदर दृश्य है।
2. शर्मा जी! मैं कल कार्यालय नहीं आ पाऊँगा।

कई बार पदक्रम में परिवर्तन करने से अर्थ तो नहीं बदलता, किंतु वाक्य के जिस अंश पर हम बल देना चाहते हैं, वह थोड़ा बदल जाता है। अतः वाक्य के किसी पद पर विशेष बल देने के लिए हम हिंदी में कभी-कभी उस पद को पहले स्थान पर ले जाते हैं या पदक्रम में थोड़ा-सा हेर-फेर कर देते हैं; जैसे —

1. आपको कहाँ जाना है?
2. कहाँ जाना है आपको?

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (1) सामान्य वाक्य है, जिसमें पदक्रम व्यवस्थित है। वाक्य (2) में 'कहाँ' पद पहले आया है। यहाँ स्थान-विशेष की जानकारी प्राप्त करने पर बल दिया गया है।

पदक्रम में अधिकतर अशुद्धियाँ विशेषणों के प्रयोग में होती हैं; जैसे —

1. (क) यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। (अशुद्ध)  
(ख) यहाँ गाय का असली दूध मिलता है। (शुद्ध)
2. (क) कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। (अशुद्ध)  
(ख) रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। (शुद्ध)
3. (क) मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए। (अशुद्ध)  
(ख) मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए। (शुद्ध)

### अन्विति

जब वाक्य के किसी एक संज्ञापद के लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के अनुसार किसी दूसरे पद में समान परिवर्तन हो जाता है तो उसे अन्विति कहते हैं। हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण का तथा संबंध (कारक) का संबंधी से अन्वय होता है। हिंदी में अन्विति के दो मुख्य क्षेत्र हैं :

#### 1. कर्ता और कर्म तथा क्रिया के बीच अन्विति

(क) कर्ता-क्रिया अन्विति :


- (i) यदि कर्ता और कर्म के बाद किसी परसर्ग (कारक चिह्न) का प्रयोग न हुआ हो तो क्रिया की अन्विति कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है; जैसे — (1) गौरव दूध पीता है।



4. शीला ने सभी फल खाए। (कर्म-क्रिया)  
 5. बच्चों को तेज़ बुखार था। (पूरक-क्रिया)  
 6. मुझ को नींद आ रही थी। (पूरक-क्रिया)

(‘बच्चों’ और ‘मुझ’ के साथ ‘को’ लगने पर भी वे दोनों कर्ता कारक हैं।)


इस नियम को आरेख से समझा जा सकता है :



(ग) **निरपेक्ष अन्विति** : यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के बाद परसर्ग हो तो क्रिया की अन्विति न तो कर्ता के साथ होगी और न ही कर्म के साथ। इस स्थिति में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। यहाँ अन्विति निरपेक्ष है; जैसे —

1. शीला ने नौकर को बहुत डाँटा।
2. मैंने शीला को डराया।
3. अध्यापक ने सभी छात्रों को बुलाया।
4. कुत्तों ने बिल्लियों को भगाया।

इसे आरेख द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है :



## 2. संज्ञा-सर्वनाम अन्विति

वाक्य में प्रयुक्त सर्वनामों के लिए वचन उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार होते हैं, जिनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है; जैसे —

(क) रमेश मेरा भाई है। वह हमारे स्कूल में पढ़ता है।

(ख) मेरी बहन सुशीला है। वह आज स्कूल नहीं आई।

### 3. विशेषण-विशेष्य अन्विति

(क) यदि विशेष्य (संज्ञा) के पहले या बाद में विशेषण का प्रयोग हो तो आकारांत विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन के अनुसार प्रभावित होगा; जैसे — काला बैल, काली गाय, बड़े लड़के, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, आदमी मोटा, औरत मोटी।

(ख) अन्य सभी विशेषण विशेष्य के लिंग, वचन आदि के अनुसार न बदलकर एक समान ही रहेंगे। जैसे — सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदर लड़कियाँ, परिश्रमी छात्र, परिश्रमी छात्राएँ।

### 4. संबंध-संबंधी अन्वय

(क) संबंध कारक रूप का लिंग, वचन संबंधी के अनुसार होता है; जैसे —

1. यह मोहन का लड़का है।
2. वह मोहन की पत्नी है।
3. यह मेरी पुस्तक है।
4. सुरेश का खिलौना टूट गया।

(ख) यदि एक ही वाक्य में भिन्न-भिन्न लिंग और वचन के अनेक संबंधी हों तो क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में होती है; जैसे —

1. मेरी बहन के पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू चेंने गए हुए हैं।
2. आजकल मेरे भाई की बेटी और दामाद आए हुए हैं।

### वाक्य के घटक

वाक्य के प्रमुख घटक कर्ता और क्रिया हैं। लघुतम सरल वाक्य में भी क्रिया और कर्ता दो आवश्यक घटक हैं; उदाहरण के लिए —

1. मोहन सो रहा है।
2. मोहन सेब खा रहा है।

वाक्य में 'सोना' क्रिया और सोने वाले व्यक्ति 'मोहन' की भूमिका अनिवार्य है। इसी प्रकार वाक्य (2) में 'खाना' क्रिया के साथ खाने वाले व्यक्ति 'मोहन' तथा खाई जाने वाली वस्तु 'सेब' दोनों की भूमिका अनिवार्य है। अतः 'खाना' क्रिया से बने वाक्य में क्रिया के अतिरिक्त कर्ता और कर्म अनिवार्य घटक हैं। इस प्रकार वाक्य में जिन घटकों के न होने से वाक्य अधूरा होता है और भाव स्पष्ट नहीं होता वह **अनिवार्य घटक** कहलाता है।

वाक्य के अनिवार्य घटक के अतिरिक्त कुछ ऐसे घटक भी होते हैं जिनके वाक्य में होने से अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है किंतु इनके न होने पर वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से अधूरा नहीं माना जाता। ऐसे घटक को **ऐच्छिक घटक** कहते हैं, क्योंकि वाक्य में इन्हें रखना वक्ता की इच्छा पर निर्भर है; जैसे —

1. मोहन सोहन के लिए पुस्तक लाया है।
2. शीला कल शाम को सुरेश के साथ मुंबई जाएगी।

उपर्युक्त वाक्यों में 'सोहन के लिए' और 'कल शाम को सुरेश के साथ' घटक रखना आवश्यक नहीं है। इन घटकों को हटा देने से वाक्य में कोई अधूरापन नहीं रहता। अतः ये ऐच्छिक घटक हैं।

### पदबंध

**कई पदों के योग से बने वाक्यांश को, जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहते हैं।** कई पदों का समूह पदबंध होता है और भाषा में एक सार्थक इकाई के रूप में काम करता है। पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। वह स्वयं पद की भाँति वाक्य में प्रयुक्त होता है। पदबंध को 'वाक्यांश' भी कहते हैं; जैसे —

1. सब से तेज़ दौड़ने वाला छात्र जीत गया।
2. यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है।
3. नदी बहती चली जा रही है।
4. नदी कल-कल करती हुई बह रही थी।

उपर्युक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द कई पदों के योग से बने हैं। ये अनेक पद एक ही पद का काम कर रहे हैं। 'सब से तेज़ दौड़ने वाला छात्र' में पाँच पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद संज्ञा या कर्ता का कार्य कर रहे हैं। 'अत्यंत सुशील' और 'परिश्रमी' में भी चार पद हैं, किंतु वे मिल कर एक ही पद अर्थात् विशेषण का कार्य कर रहे हैं। 'बहती चली जा रही है' में भी कई पद हैं किंतु वे सभी मिलकर एक पद अर्थात् क्रिया का काम कर रहे हैं। 'कल-कल करती हुई' में भी कई पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात् क्रियाविशेषण का काम कर रहे हैं। कई पदों के योग से बने ये अंश पदबंध कहलाते हैं।

पदबंध मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं।

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. संज्ञा पदबंध | 2. विशेषण पदबंध       |
| 3. क्रिया पदबंध | 4. क्रियाविशेषण पदबंध |

1. संज्ञा पदबंध — पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। यह संज्ञा पदबंध कर्ता, कर्म, पूरक आदि के स्थान पर प्रयुक्त होता है; जैसे —

1. चार ताकतवर मज़दूर इस भारी चीज़ को उठा पाए।
2. राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया।
3. अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे।
4. आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया।

उपर्युक्त चारों वाक्यों में मोटे छपे शब्द संज्ञा पदबंध हैं। वाक्य (1) में संज्ञा पदबंध कर्ता कारक में है। वाक्य (2) में संज्ञा पदबंध कर्मकारक

में है। वाक्य (3) में संज्ञा पदबंध संबंध कारक में है और वाक्य (4) में संज्ञा पदबंध वर्तमानकालिक कृदंत (कर्ता कारक) में है।

2. विशेषण पदबंध — *विशेषण पदबंध के शीर्ष में अथवा अंतिम शब्द विशेषण होता है।* अन्य पद उस विशेषण पर आश्रित होते हैं। इसमें प्रमुख रूप से विशेषण होता है। यह पदबंध प्रायः संज्ञा पदों के अंगरूप में कार्य करता है और इसका स्वतंत्र प्रयोग बहुत कम मिलता है; जैसे —

1. तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं।
2. उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है।
3. उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुरतीला और आज्ञाकारी है।
4. बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला।

विशेषण पदबंध वाक्य में अपने विशेष्य के पहले आता है; जैसे — वाक्य (1), (2) और (4)। किंतु कभी-कभी विशेष्य के बाद पूरक के रूप में भी आता है जो अपने-आप में स्वतंत्र होता है; जैसे — वाक्य (3) में।

3. क्रिया पदबंध — *क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। उसके बाद अन्य क्रियाएँ मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं। यही क्रिया पदबंध है; जैसे —*

1. वह बाज़ार की ओर आया होगा।
2. मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है।
3. सुरेश नदी में डूब गया।
4. अब दरवाज़ा खोला जा सकता है।

क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया के साथ कालबोधक सहायक क्रिया, सातत्य बोधक क्रिया, रंजक क्रिया, वाच्यबोधक क्रिया आदि लगते हैं।

4. क्रियाविशेषण पदबंध — *यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रियाविशेषण*



**प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं;**  
जैसे —

1. मैंने रमा की **आधी रात तक** प्रतीक्षा की।
2. उसने साँप को **पीट-पीटकर** मारा।
3. छात्र मोहन की शिकायत **दबी जबान** से कर रहे थे।
4. सीता **गीता से अधिक** मेधावी है।
5. कुछ लोग **सोते-सोते** चलते हैं।

### उपवाक्य

वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य एक उपवाक्य का हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी। जहाँ एक उपवाक्य स्वतंत्र रूप में होता है, वह वास्तव में सरल वाक्य ही है। इस दृष्टि से यदि हम इसी सरल वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़कर एक ही वाक्य बना दें तो यह सरल वाक्य एक उपवाक्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए — 'मेरा भाई मोहन बीमार है' एक सरल वाक्य है। दूसरा उदाहरण है — 'मेरा भाई मोहन बीमार है, इसलिए वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा' भी एक वाक्य है, किंतु इसमें दो उपवाक्य हैं — (1) मेरा भाई मोहन बीमार है; (2) वह आज स्कूल नहीं आ पाएगा।

**उपवाक्य और पदबंध** — उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। 'मेरा भाई मोहन बीमार है' उपवाक्य (अथवा सरल वाक्य) है और इसमें 'मेरा भाई मोहन' संज्ञा पदबंध है। पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है किंतु उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट हो भी सकता है और कभी-कभी नहीं भी। उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है जब कि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं। पदबंधों में क्रिया पदबंध की अपनी अलग सत्ता होती है। उदाहरण के लिए — 'रमेश की बहन शीला तेज़ी से चलती बस से गिर पड़ी और उसे कई चोटें आईं' वाक्य में 'रमेश की बहन शीला तेज़ी

से चलती बस से गिर पड़ी' एक उपवाक्य है, किंतु 'रमेश की बहन शीला' संज्ञा पदबंध, 'तेज़ी से चलती बस' क्रियाविशेषण पदबंध और 'गिर पड़ी' क्रिया पदबंध हैं।

उपवाक्य के तीन प्रकार हैं — (क) संज्ञा उपवाक्य, (ख) विशेषण उपवाक्य, और (ग) क्रियाविशेषण उपवाक्य। इन तीनों प्रकारों का विवेचन आगे 'वाक्यों के प्रकार' में की गई है।

### वाक्य के प्रकार

वाक्यों का विभाजन मुख्यतः दो आधारों पर किया जाता है — (अ) रचना के आधार पर और (आ) अर्थ के आधार पर।

#### (अ) रचना के आधार पर

रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। (1) सरल वाक्य (2) संयुक्त वाक्य (3) मिश्र-वाक्य।

**1. सरल वाक्य** — सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया और क्रिया विशेषण घटकों अथवा इनमें से कुछ घटकों का योग होता है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य है। सरल वाक्य में क्रिया यह निश्चित करती है कि वाक्य में कितने घटक होंगे। अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में केवल कर्ता होता है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों होते हैं। इसमें एक ही समापिका क्रिया होती है; जैसे —

(क) मोहन हँसता है।

(ख) राजेश बीमार है।

(ग) पुलिस ने चोर को पीटा।

(घ) माता जी ने शीला को एक साड़ी दी।

(ङ) शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है।

2. **संयुक्त वाक्य** — संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य अथवा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते। उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। इनके बीच समानाधिकरण संबंध होता है और इसके उपवाक्य और, तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि समानाधिकरण योजक अव्ययों से जुड़े होते हैं; जैसे —

(क) बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई।

(i) बिजली थोड़ी देर के लिए आई; (ii) वह चली गई।

(ख) आप चाय पिएँगे या कॉफी।

(i) आप चाय पिएँगे (ii) (आप) कॉफी (पिएँगे)।

(ग) जल्दी चलिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।

(i) जल्दी चलिए (ii) (आपको) बहुत देर हो जाएगी।

(घ) मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

(i) मैं भी आपके साथ चलता (ii) मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

संयुक्त वाक्य के दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य के कुछ अंश कभी-कभी लुप्त हो जाते हैं। यह स्थिति तब आती है जब एक ही वाक्य के दो उपवाक्यों में समान शब्द आता है; जैसे —

(क) पिता जी प्रातः चाय पीते हैं और (पिता जी) सायंकाल को कॉफी (पीते हैं)।

(ख) मोहन कल मुंबई जाएगा और राजेश कोलकाता (जाएगा)।

3. **मिश्र वाक्य** — मिश्र वाक्य में एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। गौण उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहता है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य 'कि', 'जैसा-वैसा', 'जो-वह', 'जब-

तब', 'क्योंकि', 'यदि-तो' आदि व्यधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं; जैसे —

(क) अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी।

(ख) जो लड़का कमरे में बैठा है, वह मेरा भाई है।

(ग) जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था।

(घ) यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी।

उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य (क) में 'अध्यापक ने बताया' मुख्य उपवाक्य है और 'कल स्कूल में छुट्टी होगी' आश्रित उपवाक्य है, जिसे 'कि' योजक से जोड़ा गया है। वाक्य (ख) में 'मेरा भाई है' मुख्य उपवाक्य है और 'लड़का कमरे में बैठा है' आश्रित उपवाक्य है। वाक्य (ग) में 'साइकिल खूब चलाता था' मुख्य उपवाक्य है और 'मैं छोटा था' आश्रित उपवाक्य। वाक्य (घ) में 'सारी फसल नष्ट हो जाएगी' मुख्य उपवाक्य है और 'इस बार वर्षा न हुई' आश्रित उपवाक्य है। इस प्रकार जिन उपवाक्यों में 'कि, जो, जब, यदि, तो' योजक-अव्यय लगे हों वे आश्रित वाक्य हैं।

आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं : (क) संज्ञा उपवाक्य; (ख) विशेषण उपवाक्य और (ग) क्रियाविशेषण उपवाक्य।

(क) **संज्ञा उपवाक्य** : जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस उपवाक्य से पहले 'कि' का प्रयोग होता है और कभी-कभी 'कि' का लोप भी हो जाता है; जैसे —

1. मुझे विश्वास है कि आप दीपावली पर घर जरूर आएँगे।

2. तुम नहीं आओगे, मैं जानता था।

(ख) **विशेषण उपवाक्य** : विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। हिंदी में 'जो' (जिस, जिस आदि) वाले उपवाक्य प्रायः विशेषण उपवाक्य होते हैं; जैसे —

1. आपकी वह पुस्तक कहाँ है, जो आप कल लाए थे।
2. जो आदमी पत्र बाँटता है, वह डाकिया होता है।
3. जिसे आप ढूँढ़ रहे हैं, वह मैं नहीं हूँ।

अधिकतर विशेषण उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ या अंत में प्रयुक्त होते हैं; जैसे —

4. जो पैसे मुझे मिले थे, वे खर्च हो गए। (प्रारंभ में)
5. वे पैसे खर्च हो गए, जो मुझे मिले थे। (अंत में)

(ग) क्रियाविशेषण उपवाक्य : यह उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। ये क्रियाविशेषण उपवाक्य किसी काल, स्थान, रीति, परिमाण, कार्य-कारण आदि का द्योतन करते हैं। इसमें जब, जहाँ, जैसा, ज्यों-ज्यों आदि समुच्चयबोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं; जैसे —

1. जब बारिश हो रही थी, तब मैं घर में था। (कालवाची)
2. जहाँ तुम पढ़ते थे, वहीं मैं पढ़ता था। (स्थानवाची)
3. जैसा आप ने बताया था, वैसा मैंने किया। (रीतिवाची)
4. यदि मोहन ने पढ़ा होता तो वह अवश्य (कार्य-कारण) उत्तीर्ण होता।

#### (आ) अर्थ के आधार पर

वाक्य का प्रयोग किसी-न-किसी उद्देश्य अथवा प्रयोजन से होता है। कभी हम आज्ञा दे कर कोई काम करवाते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी अपने मन की भावनाओं या इच्छाओं को प्रकट करना चाहते हैं, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं और कभी प्रश्न पूछते हैं। इन आधारों पर वाक्य के छः भेद किए जा सकते हैं।

(क) विधानवाचक वाक्य : कथनात्मक वाक्यों से किसी स्थिति या वस्तु के बारे में सामान्य बात कही जाती है; जैसे —

1. हमारा विद्यालय प्रातः आठ बजे खुलता है।
  2. दीपावली अक्तूबर या नवंबर में मनाई जाती है।
  3. सुरेश को कल बुखार था।
- (ख) निषेधात्मक वाक्य : इसमें किसी कार्य के निषेध का बोध होता है; जैसे —
1. मेरा मित्र आज स्कूल नहीं आया।
  2. आप बाहर न जाएँ।
  3. मैं यह काम नहीं कर सकता।
- (ग) आज्ञार्थक वाक्य : इस वाक्य द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश, आज्ञा या निर्देश देकर काम करवाया जाता है; जैसे —
1. मोहन को बुलाओ।
  2. यहाँ शोर मत करो।
  3. यह पत्र डाकखाने में डाल देना।
- (घ) विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक वाक्य : इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता के विस्मय, इच्छा, संदेह, हर्ष, घृणा आदि मनोभावों का बोध होता है; जैसे —
1. अहा! कितना सुंदर दृश्य है।
  2. ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे।
  3. शायद आज वारिश हो।
  4. छि! कितना गंदा स्थान है।
- (ङ) प्रश्नवाचक वाक्य : इस वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है; जैसे —
1. क्या आप कल मेरे यहाँ आए थे?
  2. तुम्हारा नाम क्या है?
  3. क्या तुम्हारा स्कूल कल बंद है?

(च) संकेतवाचक वाक्य : इसमें एक बात या कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने या न होने पर निर्भर होता है; जैसे —

1. यदि वर्षा होती तो फसल होती।
2. अगर तुम परिश्रम करते तो उत्तीर्ण हो जाते।

### वाक्य विश्लेषण

वाक्य-विश्लेषण या वाक्य-विग्रह का अर्थ है, किसी वाक्य के घटकों को अलग-अलग करना और उनका पारस्परिक संबंध बताना।

सरल वाक्य के विश्लेषण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

1. उद्देश्य + उद्देश्य का विस्तार।
2. विधेय : (क) क्रिया + (ख) क्रिया का विस्तार।  
+ (ग) कर्म + (घ) कर्म का विस्तार।  
+ (ङ) पूरक + (च) पूरक का विस्तार।

वाक्य-विश्लेषण के कुछ उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं।

**सरल वाक्य :** रमेश के भाई मोहन ने अपने दो मित्रों को दीपावली की मिठाई खिलाई।

उद्देश्य		विधेय					
उद्देश्य	उद्देश्य का विस्तार	क्रिया	क्रिया का विस्तार	कर्म	कर्म का विस्तार	पूरक	पूरक का विस्तार
मोहन ने	रमेश के भाई	खिलाई	दीपावली की मिठाई	मित्रों को	अपने दो	X	X

### संयुक्त वाक्य का विश्लेषण

संयुक्त वाक्य के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

1. प्रधान उपवाक्य।
2. प्रधान उपवाक्य का समानाधिकरण।
3. समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय।

**संयुक्त वाक्य :** मेरा मित्र रोज़ विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है।

उद्देश्य			विधेय					
उद्देश्य	उद्देश्य का विस्तार	क्रिया	क्रिया का विस्तार	कर्म	कर्म का विस्तार	पूरक	समुच्चयबोधक अव्यय	
उपवाक्य 1	मित्र	मेरा	जाता है	रोज़ विद्यालय	X	X	X	और
उपवाक्य 2	(वह)	X	पढ़ता है	मन लगा कर	X	X	X	

### मिश्र वाक्य का विश्लेषण

मिश्र वाक्य के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

1. मुख्य उपवाक्य।
2. आश्रित उपवाक्य।
3. आश्रित उपवाक्य का प्रकार और मुख्य उपवाक्य से संबंध।
4. समुच्चयबोधक अव्यय।

**मिश्र वाक्य :** जब मैं छोटा लड़का था तब साइकिल खूब चलाता था।

उपवाक्य का	उपवाक्य अव्यय प्रकार	समुच्चयबोधक	उद्देश्य का	उद्देश्य विस्तार	क्रिया का	क्रिया कर्म का विस्तार	कर्म और पूरक का विस्तार	पूरक और विस्तार
1. साइकिल चलाता था	मुख्य उपवाक्य	तब (व्यधिकरण)	मैं	X	चलाता था	खूब	साइकिल	X
2. मैं छोटा	आश्रित उपवाक्य (क्रिया विशेषण)	जब (व्यधिकरण)	मैं	X	था	X	X	छोटा लड़का



### वाक्य-रचना की अशुद्धियाँ

वाक्यों में प्रायः निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं :

#### 1. उपसर्ग और प्रत्यय का अनावश्यक प्रयोग

अशुद्ध

शुद्ध

(क) वह बेफुज़ूल की बातें करता है।

वह फुज़ूल की बातें करता है।

(ख) उनकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है।

उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ है।

#### 2. 'ने' कारक चिह्न का प्रयोग न होना

अशुद्ध

शुद्ध

(क) तुम मोहन को देखे हो।

तुम ने मोहन को देखा है।

(ख) शीला सारे फल खाई है।

शीला ने सारे फल खाए हैं।

(ग) कौन पत्र लिखा है।

किस ने पत्र लिखा है।

#### 3. प्रयोजनपरक वाक्यों में कारक चिह्नों का अशुद्ध प्रयोग

(क) मैंने घर जाना है।

मुझे घर जाना है।

(ख) राम ने मकान खरीदना है।

राम को मकान खरीदना है।

'ना' अंत्यक्रिया रूपों के लिए कर्ता के साथ कारक चिह्न 'को' अथवा 'ए' विभक्ति लगाई जाती है।

#### 4. सर्वनाम में संबंधसूचक 'रे' और परसर्ग दोनों का एक साथ प्रयोग

(क) मेरे को सौ रुपए चाहिए।

मुझे सौ रुपए चाहिए।

(ख) मोहन तुम्हारे से नहीं डरता।

मोहन तुमसे नहीं डरता।

(ग) तुम्हारे को शीला ने क्या कहा?

तुम को (तुम्हें) शीला ने क्या कहा?

## 5. सही परसर्गों का प्रयोग न होना

- (क) इतनी तेज़ी में गाड़ी मत चलाओ। इतनी तेज़ी से गाड़ी मत चलाओ।
- (ख) मैंने यह कुरसी सौ रुपए को मैंने यह कुरसी सौ रुपए में खरीदी है। खरीदी है।

## 6. बहुवचन रूपों में 'चाहिए' के स्थान 'चाहिँएँ' का प्रयोग

- (क) मोहन को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिँएँ। मोहन को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए।
- (ख) शीला को फल खाने चाहिँएँ। शीला को फल खाने चाहिए।

## 7. पदक्रम में अशुद्धियाँ

- (क) यह असली गाय का दूध है। यह गाय का असली दूध है।
- (ख) पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ। चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ।

## 8. कर्मवाच्य और भाववाच्य में अशुद्धियाँ

- (क) पीटर के द्वारा पेंसिल तोड़ दी गई। पीटर से पेंसिल टूट गई।
- (ख) ऐसे सोए नहीं जाते। ऐसे सोया नहीं जाता।

## 9. उपवाक्यों का सही क्रम न करना

- (क) मोहनलाल, जिसे एक साल की सज़ा हुई, की अपील स्वीकृत हो गई है। जिस मोहनलाल को एक साल की सज़ा हुई थी अपील स्वीकृत हो गई है।
- (ख) श्री वल्ली की बात जो उसने सुलक्षणा से की थी, मेरे बारे में थी। श्री वल्ली ने सुलक्षणा से जो बात की थी, वह मेरे बारे में थी।

### 10. निषेधधात्वक वाक्यों में संयुक्त क्रिया का प्रयोग होना

- |                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| (क) हमने पुस्तकें लौटा के नहीं दी  | हमने पुस्तकें नहीं लौटाईं। |
| (ख) रमेश ने यह काम कर के नहीं दिया | रमेश ने यह काम नहीं किया   |

### वाक्य रूपांतरण

किसी बात को अनेक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य के रूप में बदला जा सकता है। रूपांतरण से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन न हो, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए —

#### 1. सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य

उसने घर आकर भोजन किया। (सरल वाक्य)

⇒ वह घर आया और उसने भोजन किया। (संयुक्त वाक्य)

#### 2. सरल वाक्य से मिश्र वाक्य

मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। (सरल वाक्य)

⇒ मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। (मिश्र वाक्य)

#### 3. संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य

शीला ने एक पुस्तक माँगी और वह उसे मिल गई। (संयुक्त वाक्य)

⇒ शीला ने जो पुस्तक माँगी थी, (वह) उसे मिल गई। (मिश्र वाक्य)

#### 4. विधानवाचक वाक्य से निषेधवाचक वाक्य

रमेश आज विद्यालय गया है। (विधानवाचक वाक्य)

⇒ रमेश आज विद्यालय नहीं गया। (निषेधवाचक वाक्य)

#### 5. निषेधवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य

सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है। (निषेधवाचक वाक्य)

क्या सुरेश ने यह पुस्तक पढ़ी है? (प्रश्नवाचक)

अथवा

क्या सुरेश ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी है? (निषेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्य)

**6. विधानवाचक वाक्य से विस्मयादिबोधक वाक्य**

यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। (विधानवाचक)

⇒ वाह! कितना सुंदर दृश्य। (विस्मयादिबोधक वाक्य)

**7. पदभेद का परिवर्तन**

मोहन को समुद्र में तैरना नहीं है। (क्रिया)

⇒ मोहन को तैरना नहीं आता। (संज्ञा)

**8. कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य**

मैं यह काम नहीं कर सकता। (कर्तृवाच्य)

⇒ मुझसे यह काम नहीं हो सकता। (कर्मवाच्य)

**प्रश्न-अभ्यास**

1. वाक्य में उद्देश्य और विधेय से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित समझाइए।
2. पदक्रम के बारे में बताते हुए उसके नियम बताइए।
3. अन्विति से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए।
4. रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? उदाहरण सहित विवेचन कीजिए।
5. अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद उदाहरण सहित समझाइए।
6. पदबंध किसे कहते हैं? इसे स्पष्ट करते हुए पदबंध के प्रकारों का विवेचन उदाहरण सहित कीजिए।
7. पदबंध और उपवाक्य का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
8. संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्यों का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
9. मिश्र वाक्य के उपवाक्यों का विवेचन उदाहरण देकर कीजिए।
10. सही कथनों पर सही (✓) का और गलत कथनों पर गलत (X) का निशान लगाइए।

- (क) कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, वही विधेय होता है।  
 (ख) कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है।  
 (ग) भाववाच्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है।  
 (घ) पदक्रम बदलने से वाक्य का अर्थ बदल सकता है।  
 (ङ) वाक्य का वह अंश जो क्रिया की सूचना देता है, उद्देश्य कहलाता है।  
 (च) संयुक्त वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान और दूसरा गौण होता है।  
 (छ) सरल वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है।  
 (ज) हिंदी के वाक्य में पहले कर्ता, फिर क्रिया और अंत में कर्म आता है।  
 (झ) यदि कर्ता के बाद कोई परसर्ग लगा हो तो उस कर्ता से क्रिया की अन्विति नहीं होती।  
 (ञ) 'तुम बाहर मत बैठो' निषेधात्मक वाक्य है।
11. निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए।  
 (क) तुम उसको देखे हो।  
 (ख) मैंने घर जाना है।  
 (ग) शीला तुम्हारे से नहीं डरती।  
 (घ) थॉमस के द्वारा किताब फाड़ दी गई।  
 (ङ) कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें।  
 (च) उसे एक फूलों की माला खरीदनी है।  
 (छ) मैंने यह किताब पचास रुपए को खरीदी है।



## विराम-चिह्न

बातचीत करते समय व्यक्ति किसी शब्द या वाक्यांश पर बल देता है, या कुछ रुकता है। वाक्य बोलने में उसके स्वर में उतार-चढ़ाव आता है, तभी उसकी प्रस्तुति सहज ग्राह्य बनती है। लिखित भाषा में स्थान-विशेष पर रुकने अथवा उतार-चढ़ाव आदि दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिहनों का सहारा लेना पड़ता है। ये चिह्न विराम-चिह्न कहलाते हैं। उदाहरण के लिए —

1. राम शिमला जाएगा। (सामान्य सूचना कथन)
2. राम शिमला जाएगा? (प्रश्न के रूप में)
3. राम शिमला जाएगा! (आश्चर्य भाव के साथ)

उपर्युक्त उदाहरणों में ।, ?, ! ये संकेत (चिह्न) ही वाक्य के अर्थ में अंतर दे रहे हैं, जब कि तीनों वाक्य रूप और संरचना की दृष्टि से एक ही हैं। मौखिक या बोलचाल की भाषा की ऐसी अनेक युक्तियाँ हैं (जैसे—कहीं रुकना, कहीं बल देना, कहीं भिन्न-भिन्न अनुतान के साथ बोलना आदि) जिनका प्रयोग प्रायः हर भाषा-भाषी बोलचाल के समय करते हैं। लिखित भाषा में इन्हीं मौखिक युक्तियों के लिए विराम-चिह्न बना लिए गए हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम-चिहनों का प्रचलन है —

- |               |     |                 |         |
|---------------|-----|-----------------|---------|
| 1. पूर्णविराम | [.] | 7. निर्देशक     | [—]     |
| 2. अर्ध विराम | [;] | 8. उद्धरण चिह्न | [" " ]  |
| 3. अल्पविराम  | [,] | 9. विचरण चिह्न  | [:]     |
| 4. प्रश्नसूचक | [?] | 10. त्रुटिपूरक  | [^]     |
| 5. विस्मयसूचक | [!] | 11. कोष्ठक      | [ ( ) ] |
| 6. योजक चिह्न | [-] | 12. संक्षेपसूचक | [.]     |

1. **पूर्णविराम [ | ]** — सामान्यतः बोलते समय एक वाक्य की समाप्ति पर थोड़ा सा रुका जाता है, फिर दूसरा वाक्य प्रारंभ किया जाता है। इसी तरह लिखते समय प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्णविराम का चिह्न लगाया जाता है। वाक्य चाहे सरल हो या संयुक्त या मिश्र, यदि सामान्य कथनवाला वाक्य है तो पूर्णविराम का प्रयोग होगा; जैसे — यहाँ आइए।

राधा पढ़ती है।

राम और श्याम पढ़ रहे हैं।

परंपरागत छंदों में प्रत्येक पाद के अंत में पूर्णविराम का चिह्न और पूरे छंद के अंत में दो पूर्णविराम चिह्न ( || ) लगाए जाते हैं; जैसे — बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल।

रहिमन हीरा काब कहें, लाख टका मेरो मोल ॥

2. **अर्धविराम [ ; ]** — पूर्णविराम से कम देर तक रुकने पर अर्धविराम चिह्न का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है —

(क) वाक्य में उदाहरणसूचक 'जैसे' शब्द के पहले —

स्त्रियों के नाम के साथ बहुधा 'देवी' शब्द आता है; जैसे — सरला देवी।

(ख) दो-तीन वर्गों के बीच में; जैसे —

संज्ञा-व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक; सर्वनाम

(ग) मिश्र और संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच जैसे —

काम करते रहना ही जीवन है; आलस्य तो रोग है।

3. **अल्पविराम [ , ]** — अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है —

- (क) वाक्य में दो या दो से अधिक समान पदों या पदबंधों में अलगाव दिखाने के लिए; जैसे —  
 वहाँ बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी आए।  
 शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना और न जाने कितनी बुराइयाँ उसमें थीं।
- (ख) हाँ या नहीं के बाद; जैसे —  
 हाँ, चला जाऊँगा।  
 नहीं, मैं नहीं कर सकता।
- (ग) किसी वाक्यांश को अलग करने के लिए; जैसे —  
 वह किताब, जो मैंने खरीदी, फट गई।
- (घ) उपाधियों, महीने की तारीख को अलग करने के लिए; जैसे —  
 बी. ए., बी. एड., 26 जनवरी, 1950
4. **प्रश्नसूचक [ ? ]** — प्रश्नसूचक विराम-चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है —
- (क) प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में; जैसे —  
 तुम्हारा नाम क्या है?
- (ख) संदेह या अनिश्चय के भाव को पैदा करने के लिए संदेहस्थल पर कोष्ठक में; जैसे —  
 क्या कहा, वह निष्ठावान ( ? ) है।
- (ग) व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए अंत में कोष्ठक में; जैसे —  
 उनके जैसा धर्मात्मा पैदा ही नहीं हुआ ( ? )
- ध्यान दीजिए* सब जगह प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न पूछने के लिए नहीं होते। ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिह्न का प्रयोग नहीं किया जाता; जैसे —  
 क्या करते हो, बैठ जाओ।
5. **विस्मयसूचक [ ! ]** — विस्मयसूचक विराम-चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है —



- (क) विस्मयादिबोधक पदों अथवा वाक्य के अंत में; जैसे —  
अहा! मिठाई लाया है!  
तुम तो अजीब आदमी हो!
- (ख) प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में मनोवेग प्रदर्शन करने के लिए; जैसे —  
बोलते क्यों नहीं, क्या गूंगे हो!
- (ग) संबोधन के लिए; जैसे —  
भाइयो और बहनो! शांति से बैठो।
6. **योजक या विभाजक (हार्डफन) [-]** - योजक चिह्न का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है —
- (क) द्वंद्व और तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच; जैसे —  
माता-पिता, प्रयोग-स्थल
- (ख) तुलनात्मक सा, सी, से के पहले; जैसे —  
लक्ष्मण-सा भाई।
- (ग) शब्दों के द्वित्व अथवा शब्द-युग्म रूपों में; जैसे —  
कभी-कभी, धीरे-धीरे, लड़ाई-झगड़ा।
7. **निर्देशक चिह्न [-]** - निर्देशक चिह्न योजक चिह्न से थोड़ा बड़ा होता है और निम्नलिखित स्थितियों में प्रयोग किया जाता है —
- (क) किसी वाक्य को उद्धृत करने से पूर्व; जैसे —  
अध्यापक — भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं?
- (ख) 'कहना, लिखना, बोलना, बताना' आदि क्रियाओं और 'निम्नलिखित' जैसे पदों के बाद —  
कमला ने कहा — मैं कल चली जाऊँगी।  
उनके नाम निम्नलिखित हैं. — सीता, कमला, राधा।
- (ग) किसी शब्द या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए; जैसे —  
परिश्रम से सब कुछ मिल सकता है — सुख, संपत्ति, यश और प्रतिष्ठा।

8. अवतरण या उद्धरण चिह्न [“ ”], [‘ ’] — इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है —
- (क) किसी व्यक्ति के कथन या उद्धरण के लिए; जैसे —  
तिलक ने कहा “स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे।”
- (ख) किसी व्यक्ति के उपनाम, पुस्तक के नाम को इकहरे उद्धरण चिह्न की सहायता से लिखा जाता है; जैसे —  
‘प्रसाद’ छायावाद के प्रवर्तक थे।  
‘कामायनी’ महाकाव्य है।
9. विवरण चिह्न [:] — विवरण चिह्न वाक्यांश के निर्देश आदि के लिए होता है; जैसे — निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए :
10. त्रुटिपूरक या हंसपद [^] — लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाए तो उसके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है और उसके ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है; जैसे —  
गाड़ी  
में आज ^ से अजमेर नहीं जाऊँगा।
11. कोष्ठक [( )] — कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखा जाता है, जो मुख्य बात के अंग होते हुए भी अलग की जा सकती है; जैसे —
- (क) संज्ञा के तीन भेदों (जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक) का विवेचन किया जा रहा है।
- (ख) क्रमसूचक अंगों या अक्षरों के साथ; जैसे —  
(1), (2), (3), (4); (क), (ख), (ग), (घ)
12. संक्षेपसूचक [o] — किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है; जैसे —  
डॉक्टर - डॉ०, मास्टर - माँ०

### प्रश्न-अभ्यास

1. भाषा में विराम-चिह्नों का प्रयोग क्यों किया जाता है?
2. हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम-चिह्न कौन-कौन से हैं?
3. पूर्णविराम और अर्धविराम में क्या अंतर है? उदाहरण देकर समझाइए।
4. प्रश्नसूचक और विस्मयसूचक के दो-दो उदाहरण दीजिए।
5. अल्पविराम का प्रयोग किन-किन स्थितियों में होता है? सोदाहरण समझाइए।
6. निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उपयुक्त विराम-चिह्न लगाइए —
  - (i) साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता वह अपनी ही किताब पढ़ता है
  - (ii) क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है
  - (iii) संगमा हँसते हुए कहते हैं पंत साहब यह चेरापूँजी है
  - (iv) ज्यों ज्यों चुनाव पास आता भेड़ियों का दिल बैठ जाता
  - (v) चल रे चल अपना पंचलैट आया है पंचलैट
  - (vi) यह शक्ति कल्याणकारी है या अकल्याणकारी
  - (vii) कैसे कहूँ कि बनारस के बनारसी रंग का नहीं हूँ
  - (viii) ईश्वर जीवन है सत्य है और प्रकाश है वही प्रेम है वही परम मंगल है।

भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त, प्रभावपूर्ण, आकर्षक एवं साहित्यिक बनाने के लिए भाषा के प्रयोग में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को गहराई के साथ व्यक्त किया जा सकता है।

### मुहावरे की विशेषताएँ

1. मुहावरे के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उदाहरणतः 'फूल कर कुप्पा हो जाना' का प्रयोग किसी स्त्री के संबंध में करते समय यह नहीं कहा जा सकता कि वह फूल कर कुप्पी हो गई। सही प्रयोग यही होगा कि 'वह फूल कर कुप्पा हो गई'।
2. मुहावरा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं; जैसे — कोई कहे कि 'पेट काटना' तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता है। पर इसकी जगह यदि कोई कहे कि 'मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया' तो वाक्य के अर्थ में नवीनता और रोचकता आ जाती है।
3. मुहावरे का अभिधार्थ नहीं बल्कि उसका लक्ष्यार्थ ही ग्रहण किया जाता है; जैसे — 'नाकों चने चबाना' का अर्थ 'नाक से चने चबाना' के अर्थ के रूप में ग्रहण करना हास्यास्पद होगा। वस्तुतः उसका लक्ष्यार्थ अर्थ 'अधिक परेशान' होना ही होगा।
4. मुहावरे का वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो उसकी क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है।

नीचे कुछ मुहावरे अर्थ के साथ दिए जा रहे हैं —

<i>मुहावरा</i>	<i>अर्थ</i>
1. अंग फूले न समाना	बहुत प्रसन्न होना
2. अंगारों पर पैर रखना	जान बूझकर मुसीबत में पड़ना
3. अंधे की लाठी	एकमात्र सहारा
4. अक्ल का दुश्मन	मूर्ख व्यक्ति
5. अन्न-जल उठना	स्थान विशेष पर रहने का संयोग न होना
6. अपना राग अलापना	अपने स्वार्थ की बातें ही करना
7. अपने पैरों पर खड़ा होना	स्वावलंबी होना
8. आँख चुराना	सामने न आना, कतराना
9. आँख नीची होना	लज्जित होना
10. आँखें ठंडी होना	अत्यधिक शांति या प्रसन्नता मिलना
11. आँसू पोंछना	सांत्वना देना
12. ईश्वर को प्यारा होना	मर जाना
13. उँगली पर नाचना	किसी के इशारे पर चलना
14. जले पर नमक छिड़कना	दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना
15. कठपुतली होना	पूर्णतः किसी के वश में होना
16. सिर पर कफ़न बाँधना	मरने के लिए तैयार होना
17. कमर टूटना	भारी आपत्ति का आना, बहुत नुकसान होना
18. कलई खुलना	भेद खुल जाना
19. कलेजा ठंडा होना	शांति मिलना
20. गंगा नहाना	बड़ा कार्य पूर्ण करना, कृतार्थ होना

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 21. गड़े मुर्दे उखाड़ना | बीती बातों को अनावश्यक दुहराना        |
| 22. गौंठ बाँधना         | हमेशा के लिए याद रखना                 |
| 23. गाल बजाना           | अनावश्यक रूप से बढ़-बढ़ कर बातें करना |
| 24. गोबर गणेश होना      | मूर्ख होना                            |
| 25. घड़ों पानी पड़ जाना | बहुत अधिक शर्मिंदा होना               |
| 26. घी के दीये जलाना    | खुश होना, अधिक संपत्ति होना           |
| 27. चारपाई पकड़ना       | बहुत बीमार पड़ना                      |
| 28. छाती पर मूँग दलना   | बहुत दुखी करना, अपमानित करना          |
| 29. छाती पर साँप लोटना  | कष्ट होना, जलन होना                   |
| 30. झख मारना            | व्यर्थ समय नष्ट करना                  |
| 31. टोपी उछालना         | किसी का अपमान करना                    |
| 32. ठंडा पड़ जाना       | मर जाना, मंदा होना                    |
| 33. तलवे सहलाना         | खुशामद करना                           |
| 34. तारे गिनना          | व्यग्रता से प्रतीक्षा करना            |
| 35. तारे तोड़ लाना      | बहुत बड़ा काम कर डालना                |
| 36. तूती बोलना          | बहुत प्रभाव होना                      |
| 37. तेली का बैल होना    | हमेशा काम में लगे रहना                |
| 38. दम तोड़ना           | आखिरी साँस गिनना, मर जाना             |
| 39. दाँत काटी रोटी होना | अधिक मित्रता होना                     |
| 40. दाँतों में जीभ होना | चारों ओर विरोधियों के बीच घिरे रहना   |
| 41. दाहिना हाथ होना     | बहुत बड़ा सहायक होना                  |
| 42. दिमाग चाटना         | अनावश्यक बोलकर परेशान करना            |
| 43. दिमाग में भूसा होना | पूर्णतया मूर्ख होना                   |

- |                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 44. दूज का चाँद होना           | बहुत कम दिखाई पड़ना                         |
| 45. दो टूक जवाब देना           | स्पष्ट बात करना                             |
| 46. धरती पर पाँव न पड़ना       | अभिमान से भरा होना                          |
| 47. नमक हलाल होना              | कृतज्ञ होना                                 |
| 48. नाक काटना                  | बहुत अपमानित करना                           |
| 49. नाक रख लेना                | इज्जत बचा लेना                              |
| 50. नाक रगड़ना                 | बहुत खुशामद करना                            |
| 51. निन्यानबे के फेर में पड़ना | रुपया बटोरने के चक्कर में पड़ना, कंजूस बनना |
| 52. नींव का पत्थर होना         | मुख्य सहायक होना                            |
| 53. पगड़ी उछालना               | अपमान करना                                  |
| 54. पाँव में शनीचर होना        | एक स्थान पर स्थिर न रहना                    |
| 55. पारा उतरना                 | क्रोध शांत होना                             |
| 56. पीठ दिखाना                 | हार कर भाग जाना                             |
| 57. बट्टा लगाना                | कलंक लगाना                                  |
| 58. बहती गंगा में हाथ धोना     | अवसर का फ़ायदा उठाना                        |
| 59. बाग-बाग होना               | बहुत प्रसन्न होना                           |
| 60. बाल की खाल निकालना         | नुक्ताचीनी करना, बात को बढ़ाकर कहना         |
| 61. भूत सवार होना              | कुपित होना, किसी काम के लिए हठ पकड़ लेना    |
| 62. भौंह चढ़ाना                | नाराज़ होना                                 |
| 63. मगज़ चाटना                 | अनावश्यक बोलकर परेशान करना                  |
| 64. मीठी नींद सोना             | निश्चित होकर सोना                           |
| 65. मुँह फुलाना                | नाराज़ होना                                 |

- |                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 66. यमपुर पहुँचाना         | मार डालना                                                     |
| 67. राई का पर्वत करना      | छोटी बात को बहुत बढ़ाकर कहना                                  |
| 68. लकीर पर चलना           | बिना समझे पुरानी प्रथा पर चलते रहना                           |
| 69. लहू पसीना एक करना      | बहुत परिश्रम करना                                             |
| 70. शर्म से पानी-पानी होना | बहुत लज्जित होना                                              |
| 71. सड़क नापना             | व्यर्थ में इधर-उधर घूमना                                      |
| 72. साँप को दूध पिलाना     | शत्रु की सहायता करना                                          |
| 73. सिर से पानी गुजर जाना  | सहनशीलता की सीमा टूट जाना                                     |
| 74. सूरज को दीपक दिखाना    | बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बतलाना                            |
| 75. सूरज पर थूकना          | समर्थ व्यक्ति का व्यर्थ में अपमान करना, निर्दोष को दोषी बताना |
| 76. सोने में सुहागा होना   | अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना                                |
| 77. हथियार डालना           | पराजय स्वीकार कर लेना                                         |
| 78. हथेली पर सरसों जमाना   | असंभव काम को संभव कर डालना                                    |
| 79. हाथ धोकर पीछे पड़ना    | किसी को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार रहना                   |
| 80. होश उड़ना              | डर जाना                                                       |

### लोकोक्तियाँ

लोक में प्रचलित उक्ति को 'लोकोक्ति' या 'कहावत' कहते हैं। सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर लोकोक्तियाँ बनती हैं। लोकोक्तियाँ वाक्य का अंग न बनकर प्रायः पूर्ण वाक्य होती हैं; जैसे —

'कोयल होय न उजली, सौ मन साबुन लाय'।



इसमें कोयल का कालापन उसके जन्मजात गुण को प्रकट करता है। 'उजली होना' इस गुण के परिवर्तन को प्रकट करता है। और 'सौ मन साबुन' विभिन्न प्रकार के प्रयत्न एवं उपाय का बोध कराता है। अतः पूरी लोकोक्ति का अर्थ है — असंख्य उपायों से भी किसी व्यक्ति का जन्मजात गुण बदलना संभव नहीं है।

मुहावरे एवं लोकोक्तियों में यह अंतर है कि मुहावरे को वाक्यांश की भाँति प्रयोग किया जाता है और लोकोक्ति अपने-आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी उसकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है।

मुहावरे प्रायः 'ना' अंत्य होते हैं, लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। नीचे कुछ लोकोक्तियाँ अर्थ के साथ दी जा रही हैं —

*लोकोक्ति*

*अर्थ*

- |                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. अंत बुरे का बुरा             | बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है।                   |
| 2. अंधा क्या जाने बसंत की बहार  | जिसने जो चीज़ देखी नहीं वह उसकी विशेषता क्या जाने? |
| 3. अपना हाथ जगन्नाथ             | स्वयं का किया कार्य सबसे अच्छा होता है।            |
| 4. आप भला तो जग भला             | अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं।                       |
| 5. अभी दिल्ली दूर है            | अभी बहुत कार्य शेष हैं, मंज़िल दूर है।             |
| 6. आसमान का थूका मुँह पर आता है | बड़ों की निंदा करने से स्वयं अपनी ही हानि होती है। |
| 7. ऊँट के मुँह में जीरा         | आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम।                 |
| 8. एक तंदुरुती हज़ार नियामत     | स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है।                       |
| 9. एक तो चोरी, दूसरे सीना जोरी  | अपराधी होकर भी उलटे रोब डालना।                     |

10. एक म्यान में दो तलवार      सबल प्रतिद्वंद्वी एक साथ नहीं रह सकते
11. ओस से घ्यास नहीं बुझती      आवश्यकता से बहुत-कम मिलने पर तृप्ति नहीं होती
12. कड़वा थू-थू मीठा गप-गप      अच्छी चीज़ को लेना और बुरे को फेंक देना
13. कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर      एक-दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है
14. करिए मन की सुनिए सबकी      बात सब लोगों की सुननी चाहिए लेकिन अंतःकरण की आवाज़ माननी चाहिए
15. कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली      बहुत समर्थ एवं धनी से छोटे और गरीब की तुलना नहीं हो सकती है
16. कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा      अनावश्यक वस्तुओं का मेल बैठाना, बिना सिर पैर का काम
17. काज़ी दुबले क्यों? शहर के अंदे़से से      व्यर्थ की चिंता करना
18. काठ की हाँडी बार-बार नहीं चढ़ती      कपट और धोखे का व्यापार हमेशा नहीं किया जा सकता
19. कोयले की दलाली में हाथ काला      बुरे काम से बुराई ही पैदा होती है
20. कौवों के कोसे ढोर नहीं मरते      बुरे आदमी के कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती
21. खग ही जाने खग की भाषा      चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है

22. गुरु गुड़ ही रहे, चले शक्कर चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया  
(व्यंग्य में कहते हैं)
23. घर का भेदी लंका ढाए आपस की फूट से सर्वनाश होता है
24. घर फूँक तमाशा देखना शान के लिए औकात से बाहर खर्च करना
25. चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी व्यक्ति हमेशा सशक्त रहता है
26. जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं डींग हाँकनेवालों से काम नहीं होता
27. जंगल में मोर नाचा,  
किसने देखा? योग्यता एवं वैभव का ऐसे स्थान पर प्रदर्शन जहाँ कद्र करने वाला कोई न हो
28. जिस बरतन में खाना  
उसी में छेद करना कृतघ्न होना
29. जीती मक्खी नहीं निगली जाती जान बूझकर गलत काम नहीं किया जाता है
30. जैसा देश वैसा भेस जहाँ रहो, वहाँ जैसी रीति पर चलो
31. जैसे नागनाथ वैसे साँपनाथ दोनों ही एक समान दुष्ट एवं भयंकर प्रकृति रखते हैं
32. जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं डींग हाँकने वालों से काम नहीं होता
33. डूबते को तिनके का सहारा आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है
34. तीन लोक से मथुरा न्यारी सबसे पृथक् और अनोखा
35. थोथा चना बाजे घना ज्ञान कम दिखावा अधिक
36. दूध का दूध, पानी का पानी निष्पक्ष न्याय करना

37. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का  
एक स्थान पर स्थिर न रहने वाला व्यर्थ का मनुष्य
38. न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी  
कोई काम न करने के लिए बहुत बड़ा बहाना बनाना
39. न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी  
किसी वस्तु को नष्ट करने के लिए उसके मूल को ही नष्ट करना
40. नेकी कर दरिया में डाल  
किसी का उपकार करके भूल जाना श्रेष्ठ है
41. नौ की लकड़ी नब्बे ढुलाई  
जितने मूल्य का सामान नहीं उससे बहुत अधिक व्यय हो जाना
42. नौ सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली  
जीवन भर बुरे कर्म करके अंत में संत बनने का ढोंग करना
43. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद  
मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता
44. बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले न भीख  
मिलने वाला होता है तो अपने आप मिल जाता है, माँगने पर भीख भी नहीं मिलती
45. बिल्ली के भागों छींका टूटा  
अचानक लाभ होना
46. बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होय  
जैसा किया वैसा फल पाया, बुरे काम का फल बुरा ही होता है
47. भागते भूत की लँगोटी भली  
कुछ न मिलने पर थोड़ा मिलना भी अच्छा है
48. मान न मान मैं तेरा मेहमान  
जबरदस्ती किसी के गले पड़ना
49. मुख में राम बगल में छुरी  
मन में दुष्टता और बाहर से प्रेम दिखाना

50. मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त जिसका काम हो वह सुस्त हो, दूसरे अधिक सक्रिय हों
51. मुरगा बाँग न देगा, तो क्या सुबह न होगी किसी एक व्यक्ति के न रहने से काम नहीं रुकता
52. यह मुँह और मसूर की दाल योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक
53. रस्सी जल गई पर ऐँठन नहीं गई बरबाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना
54. पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं होनहार लड़का बचपन में ही पहचान लिया जाता है
55. लेना एक न देना दो किसी से कोई मतलब नहीं, न किसी से कुछ लेना न किसी को कुछ देना
56. खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का झगड़ा करना अथवा अपनी खीझ निकालना
57. सब एक ही थैले के चट्टे-बट्टे हैं जहाँ सब एक ही प्रकार के व्यक्ति हों
58. सावन के अंधे को हरा ही हरा सुझे अंधा होने के पहले देखा गया दृश्य ही स्मृति में बना रहता है
59. ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना जब कोई काम शुरू किया तब कठिनाइयों से क्या डरना?
60. सिर मुंडाते ओले पड़े कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आई
61. सीधी उँगली से घी नहीं निकलता अच्छे कार्य-फल के लिए मेहनत करनी पड़ती है
62. हमारी बिल्ली और हम से म्याऊँ हमारे आश्रित रहकर हम पर ही रोब जमाना

63. हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही आवे बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना
64. हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है
65. हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और कहना कुछ और करना कुछ
66. होनहार बिरवान के होत चिकने पात प्रतिभावान लड़के की योग्यता एवं प्रतिभा का परिचय बचपन से ही मिलने लगता है

### प्रश्न-अभ्यास

1. मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है?
2. अपनी पाठ्यपुस्तक के कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए?
3. उपर्युक्त दी गई सूची में से दस मुहावरे और लोकोक्तियाँ चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।

‘काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते’ अर्थात् काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है— आभूषण या गहना; जैसे — स्त्री-पुरुष अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार साहित्य में अभिव्यक्ति को सुंदरतर, प्रभावी और चमत्कारी बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है।

‘शब्दार्थो सहितौ काव्यम्’ अर्थात् शब्द और अर्थ से युक्त होकर ही काव्य निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि शब्द के माध्यम से जब अर्थ की अभिव्यक्ति सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् की भावना से संपृक्त होती है, तभी वह काव्य कहलाती है। यही कारण है कि अलंकारों के दो भेद होते हैं — शब्दालंकार और अर्थालंकार।

### शब्दालंकार

विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकारों में प्रयुक्त शब्द का स्थान उसका पर्याय नहीं ले सकता है। इनमें चमत्कार का कारण विशेष शब्द होता है, इसलिए इन्हें शब्दालंकार कहते हैं।

मुख्य शब्दालंकार हैं —

1. अनुप्रास 2. यमक 3. श्लेष

1. अनुप्रास — अनुप्रास शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है; जैसे —

तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए।

यहाँ 'त' वर्ण की बार-बार आवृत्ति हुई है और इससे सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के कुछ और उदाहरण हैं —

(क) भुज भुजगेस की वै संगिनी भुजंगिनी-सी  
खेदि खेदि खाती दीह दारुन दलन के।

(ख) चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल-थल में।

2. यमक — कविता में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है; जैसे —  
पच्छी परछीने ऐसे परे पर छीने बीर।

तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के।।

यहाँ 'परछीने' तथा 'बरछीने' शब्दों का दो बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उनका अर्थ भिन्न-भिन्न है। अतः यहाँ यमक अलंकार है। यमक के कुछ और उदाहरण हैं —

(क) कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय।

वा खाय बौराए जग या पाए बौराए।।

(ख) माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर।

कर का मनका डारि के, मन का मनका फेर।।

3. श्लेष — श्लेष शब्द का मूल अर्थ है — 'चिपकना।' जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है; जैसे —

जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय।

बारे उजियारो करै बड़े अँधेरो होय।।

यहाँ 'बारे' और 'बड़े' शब्द में श्लेष है। क्योंकि 'बारे' का अर्थ है —

1. बचपन में 2. जलाने पर। 'बड़े' का अर्थ है — 1. उम्र बढ़ने पर 2. बुझाने पर।



श्लेष अलंकार के अन्य अदाहरण हैं —

(क) मेरी भव बाधा हरो राधा नागरि सोय।

जा तन की झाँई परै स्याम हरित दुति होय॥

(ख) सुवरन को ढूँढत फिरत कवि, व्यभिचारी चोर॥

### अर्थालंकार

जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार पैदा हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। कुछ प्रमुख अर्थालंकार हैं — उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, अन्योक्ति।

1. उपमा — यह सादृश्यमूलक अलंकार है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार अंग हैं — उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द।

(क) उपमेय : वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है, उपमेय कहलाता है। इसे प्रस्तुत (विषय) भी कहते हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है — इस वाक्य में 'मुख' उपमेय है।

(ख) उपमान : जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। इसे अप्रस्तुत भी कहा जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में, 'चंद्रमा' उपमान है।

(ग) साधारण धर्म : उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में 'सुंदर' शब्द साधारण धर्म है।

वाचक शब्द : जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है, वे वाचक शब्द कहलाते हैं, यथा — जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी, से, संम, समान, ज्यों, सरिस। ऊपर दिए गए उदाहरण

में 'समान' वाचक शब्द है। उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हैं —

(क) पीपर पात सरिस मन डोला।

(ख) यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे।

(ग) असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह-सी।

2. रूपक — जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है; जैसे —

चरण कमल बंदों हरिराई।

यहाँ 'चरण' में 'कमल' से अभेद का आरोप हुआ है। रूपक के कुछ और उदाहरण हैं —

(क) बीती विभावरी जाग री!

अंबर पनघट में डुबो रही,

तारा घट उषा नागरी।

(ख) मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैहों

3. उत्प्रेक्षा — जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तथा उसे व्यक्त करने के लिए — मानो, मनो, ज्यों आदि का प्रयोग किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है; जैसे —

सोहत ओढ़े पीत पट स्याम सलाने गात।

मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात।।

यहाँ श्रीकृष्ण के श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ और उदाहरण हैं —

(क) पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के।

मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के।।

(ख) उस वक्त मारे क्रोध के तनु काँपने उनका लगा।

मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।

4. अतिशयोक्ति — *जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा-चढ़ाकर की जाए कि वह लोक-सीमा के बाहर हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है; जैसे —*

(क) जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया।  
असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया।।

(ख) तारा सो तरनि धूरि धारा मैं लगत जिमि,  
धारा पर पारा पारावार यों हलत है।।

5. मानवीकरण — *जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है; जैसे —*

लो यह लतिका भी भर लाई  
मधु मुकुल नवल रस गागरी।

यहाँ लतिका में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण के अन्य उदाहरण हैं —

(क) दिवावसान का समय  
मेघमय आसमान से उतर रही  
संध्या सुंदरी परी-सी धीरे-धीरे,

(ख) मेघ आए बड़े बन-ठन के सँवर के।

6. अन्योक्ति — *जहाँ उपमान (अप्रस्तुत) के वर्णन के माध्यम से उपमेय (प्रस्तुत) का वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है।*

इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहा जाता है; जैसे —  
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीति बहार।

अब अलि, रही गुलाब में, अपत कँटीली डार।।

यहाँ अलि के माध्यम से एक ऐसे गुणी की ओर संकेत किया गया है, जिसका आश्रयदाता पत्रहीन शाखा-सा धनहीन हो गया है।

**प्रश्न-अभ्यास**

1. अलंकार किसे कहते हैं? उसके भेद बताइए।
2. शब्दालंकार और अर्थालंकार का अंतर स्पष्ट कीजिए।
3. उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए उसके अंग बताइए।
4. उपमा और रूपक का अंतर उदाहरण सहित समझाइए।
5. यमक और श्लेष में क्या अंतर है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।
6. अपनी पुस्तक में से मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार के दो-दो उदाहरण छाँटकर लिखिए।

•

---

---

खंड ख  
व्यावहारिक हिंदी

---

---

•



भाषा का मौखिक प्रयोग ही भाषा का मूलरूप है। इसलिए बोग्गचाल की भाषा को ही भाषा का वास्तविक रूप माना जाता है। यद्यपि सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ-साथ भाषा का लिखित रूप भी विकसित हो गया है, परंतु मानव जीवन में लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा ही अधिक महत्त्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन के अधिकांश कार्य मौखिक भाषा द्वारा ही संपन्न करते हैं। हास-परिहास, वार्तालाप, विचार-विमर्श, भाषण, प्रवचन आदि सभी कार्यों में मौखिक भाषा का उपयोग स्वयंसिद्ध है। सार्वजनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्त्व होता है, क्योंकि वही जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता का प्रमुख साधन बनती है। जो वक्ता मौखिक अभिव्यक्ति में जितना अधिक कुशल होता है उतना ही अधिक वह अपने श्रोताओं को प्रभावित करता है और अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेता है। लोकतंत्र में अपने विचारों को प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, अतः लोकतांत्रिक समाजों में मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता सफलता का प्रथम सोपान होता है। अतः माध्यमिक स्तर पर छात्रों में औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलताओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि सभी छात्र, अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता स्वयं अर्जितकर विद्यालय में आते हैं, परंतु मानक भाषा में मौखिक अभिव्यक्ति की अनेक विधाओं (रूप) से वे अपरिचित होते हैं। अतः माध्यमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति की प्रमुख विधाओं अर्थात् मौखिक रचना के विविध रूपों को औपचारिक रीति से सीखने और उनके अभ्यास की आवश्यकता होती है।

यह स्पष्ट है कि जीवन के हर क्षेत्र में मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्त्व है। इसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए —

- (क) मानक उच्चारण के साथ शुद्ध भाषा का प्रयोग
- (ख) विनीत और स्पष्ट भाषा का प्रयोग
- (ग) व्यावहारिक भाषा का प्रयोग
- (घ) विषयानुरूप प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग

मौखिक अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण रूपों पर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है —

1. **कविता-पाठ** — माध्यमिक स्तर पर कविता-पाठ मौखिक अभिव्यक्ति का प्रधान रूप है। छात्रों को अधिकाधिक कविताएँ कंठस्थ करके उनका सस्वर वाचन करना चाहिए। वाचन में उच्चारण की शुद्धता, सम्यक् स्वराघात, ध्वनियों का आरोह-अवरोह, गति, यति, प्रवाह, विराम आदि का अभ्यास करना चाहिए। विद्यालय में अनेक ऐसे अवसर आते हैं, जब छात्र कविताओं का मौखिक रूप से वाचन कर सकते हैं। ऐसे अवसरों के अनुकूल कविताओं को चुनकर सुनाना चाहिए।

कक्षा में अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कवि-दरबार, अंत्याक्षरी, कविता-पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन लाभप्रद हो सकता है। ऐसे आयोजनों में भाग लेने से छात्रों को मौखिक रचना में दक्षता प्राप्त होती है।

2. **सस्वर वाचन** — मौन-वाचन और सस्वर वाचन पठन कौशल के दो रूप हैं जिनमें प्रथम का संबंध द्रुत-बोधन से है और दूसरे का संबंध मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित करने से है। लिखित गद्यांश के सस्वर वाचन से शुद्ध उच्चारण एवं मौखिक अभिव्यक्ति



की कुशलता विकसित की जा सकती है। इसके लिए उपयुक्त गद्यांश, पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य स्रोतों से चुने जा सकते हैं। सस्वर वाचन में दक्षता पाने की दृष्टि से संवाद और भावात्मक अंश अधिक उपयुक्त होते हैं।

3. **साक्षात्कार देना और लेना** — आधुनिक युग में साक्षात्कार देने और लेने की आवश्यकता पड़ती रहती है। अतः छात्रों को साक्षात्कार के अर्थ और रूप की जानकारी देना आवश्यक है। वर्तमान युग में प्रायः सभी व्यक्ति उच्च शिक्षा में प्रवेश, नौकरी आदि के लिए साक्षात्कार देते/लेते रहते हैं, जिसमें उन्हें कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होना पड़ता है और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। औपचारिक वार्तालाप की इस प्रक्रिया का नाम ही साक्षात्कार है। कभी-कभी किसी विशिष्ट व्यक्ति के विचारों को जानने के लिए हमें उनके सम्मुख उपस्थित होकर उनसे जानकारी प्राप्त करनी होती है। यह साक्षात्कार का दूसरा पक्ष है, जिसे साक्षात्कार लेना कहते हैं। साक्षात्कार देते/लेते समय नीचे लिखी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए —

- (क) औपचारिक शिष्टाचार
- (ख) विषय का सम्यक् ज्ञान
- (ग) संक्षिप्त और स्पष्ट मौखिक अभिव्यक्ति
- (घ) निर्भीकता और आत्मविश्वास

4. **वर्णन करना** — मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता विकसित करने के लिए माध्यमिक स्तर पर किसी दृश्य, घटना, उत्सव, समारोह, मेले या मनोरंजक प्रसंग का वर्णन करने का अभ्यास अपेक्षित है। वर्णन करने की दक्षता विकसित करने की दृष्टि से निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है —

- (क) वर्ण्य विषय की विस्तृत जानकारी
- (ख) सूक्ष्म निरीक्षण
- (ग) क्रमबद्ध विवरण
- (घ) विषय के बारे में अपना दृष्टिकोण
- (ङ) सरल, स्पष्ट और प्रभावी भाषा

5. **भाषण** — लोकतांत्रिक समाज में अपना दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत करने और जनमत को अपने पक्ष में करने की दृष्टि से भाषण का विशेष महत्त्व है। भाषण तभी प्रभावशाली होता है जब वक्ता को भाषण के विषय की अच्छी जानकारी होती है और वह अपने विचारों को निर्भीकता, आत्मविश्वास, धैर्य, भावों और विचारों की क्रमबद्ध योजना के साथ उपयुक्त भाव-भंगिमा की सहायता से अभिव्यक्त करता है। अतः विद्यालयी परिवेश में छात्रों को विविध विषयों पर भाषण देने और अपनी कला को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। विभिन्न अवसरों पर शिक्षक को उपयुक्त विषय देकर भाषण की तैयारी करवानी चाहिए और भाषण देने के अवसर प्रदान करने चाहिए। भाषण की अपनी औपचारिकताएँ होती हैं। अतः उनको सीखना आवश्यक है; जैसे — सभा के अध्यक्ष एवं श्रोताओं को उचित रीति से संबोधित करना, भाषण देते समय उचित हाव-भाव प्रदर्शित करना, भाषण को रुचिकर बनाने के लिए प्रसंगानुकूल विनोद और हास्यपूर्ण बातें करना आदि। वर्तमान सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना के युग में भाषण-कला छात्रों के भावी जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
6. **आशुभाषण** — माध्यमिक कक्षाओं में भाषण की तरह आशुभाषणों का आयोजन भी करना चाहिए। भाषण में तो विषय पहले से ज्ञात होता है और वक्ता उसकी यथोचित तैयारी करके चाहे तो अपना

भाषण लिख भी सकता है, परंतु आशुभाषण के लिए विषय तत्काल दिया जाता है। अतः वक्ता को उसी समय अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में आयोजित कर प्रभावी रीति से प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए छात्रों में आत्मविश्वास, धैर्य और तुरंत उत्तर देने की क्षमता जैसे गुणों का होना आवश्यक है। भाषण-कला में पारंगत होने के पश्चात ही छात्रों को आशुभाषण और वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए तैयार करना चाहिए।

7. **वाद-विवाद** — जब कुछ व्यक्ति किसी पूर्वनिर्धारित विषय या समस्या के पक्ष-विपक्ष में बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे वाद-विवाद कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की दृष्टि से यह एक उपयोगी विधा है जो छात्रों को जनतांत्रिक संस्थाओं की कार्यविधि से परिचित कराती है। विद्यालयों में सामान्यतः वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिनमें भाग लेने के लिए छात्रों को विधिवत प्रशिक्षित करना चाहिए। उन्हें वाद-विवाद प्रतियोगिता संबंधी शिष्टाचारों, नियमों तथा रीतियों से परिचित होना चाहिए। वाद-विवाद में शिष्ट भाषा के साथ-साथ शिष्ट हास-परिहास, विनोदप्रियता और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करने से अपने पक्ष के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। वाद-विवाद के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए —

- केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करें, श्रोताओं को नहीं।
- पूर्वनिर्धारित समय का अनुपालन, समय-सीमा में अपनी बात प्रस्तुत कर सकना।
- अपने कथन में यथाप्रसंग हास्य-व्यंग्य का पुट देकर उसे रोचक बनाना।
- आरोह-अवरोह का ध्यान रखते हुए प्रभावपूर्ण ढंग से भाषण देना।

- प्रतिपक्ष/पूर्ववक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण/खंडन करते हुए अपना अभिमत प्रस्तुत करना।
  - पूर्ववक्ता के लिए उचित विशेषण — मान्य विद्वान, मेरे विद्वान मित्र, मेरे पूर्ववक्ता आदि का यथोचित प्रयोग करना।
  - प्रस्तुति की औपचारिक भाषा का प्रयोग करना; जैसे — मेरे विनम्र मत में....., मेरा विचार है कि....., मैं निवेदन करना चाहूँगा..... आदि का प्रयोग करना।
  - प्रभावी वाक्य/उद्धरण/कविता के अंश आदि द्वारा अपने पक्ष की समाप्ति करना।
  - समय-समाप्ति से पूर्व बजने वाली घंटी के बाद भाषण के मुख्य बिंदुओं का समाहार करना।
8. **परिचर्चा** — किसी एक विषय पर जब चार-पाँच विशेषज्ञ विचार-विमर्श करते हैं, तब उसे परिचर्चा की संज्ञा दी जाती है। इसमें भाग लेने के लिए विषय के विशिष्ट जानकार व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। उन्हीं में से एक व्यक्ति उसका संचालन करता है और विषय आरंभ करता है। अन्य सदस्य बारी-बारी से उस विषय पर विचार व्यक्त करते हैं। जहाँ आवश्यक होता है, संचालक बीच-बीच में परिचर्चा का परावर्तन भी करता है। अंत में संचालक सभी सदस्यों की चर्चाओं का संक्षेप में निष्कर्ष प्रस्तुत करता है।

विद्यालय में छात्रों को समय-समय पर ऐसे अवसर मिलते हैं, जब वे इस प्रकार की परिचर्चा में भाग ले सकते हैं। विद्यालय में अनुशासन, वर्तमान परीक्षा-प्रणाली, स्वच्छता, पेय जल-व्यवस्था, खेलकूद की उचित व्यवस्था, पुस्तकालय एवं उसका उपयोग आदि अनेक ऐसे विषय हैं, जिन पर परिचर्चाओं का आयोजन कराया जा सकता है।

9. **संवाद-अभिनय** — दो व्यक्तियों में किसी विषय को लेकर होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। नाटकों में दो पात्रों के बीच होने वाले संवादों के माध्यम से छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सकता है। संवादों के माध्यम से औपचारिक बातचीत की कुशलताएँ, शुद्ध उच्चारण, भावानुकूल आरोह-अवरोह और हाव-भाव प्रदर्शन की योग्यताएँ विकसित होती हैं। परिणामस्वरूप, छात्रों का मौखिक भाषा व्यवहार पर अच्छा अधिकार हो जाता है।
10. **कहानी-कथन** — कहानी एक पारंपरिक लोकप्रिय साहित्यिक विधा है जिसमें सभी अवस्था के लोगों की रुचि रहती है। मौखिक रूप से कहानी कहने की पद्धति सभी समाजों में मिलती है। हमारे लोक साहित्य में विभिन्न अवसरों पर सुनाने योग्य विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं, जिन्हें सभी तीज-त्योहारों के अवसर पर सुना-सुनाया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता को विकसित करने के लिए कहानी विधा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए छात्रों की अवस्था, रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी सरल, संक्षिप्त और मनोरंजक हो और उसे सुनाने की शैली नाटकीय होनी चाहिए।
11. **सभा-संचालन** — सभी विद्यालयों में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब विद्यालय में सभा या समारोहों का आयोजन किया जाता है। इन अवसरों पर छात्रों को समारोह आयोजित करने और उनका संचालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे सभा-संचालन की औपचारिकताओं से परिचित हो सकें और अवसर के अनुरूप मौखिक औपचारिक, किंतु विनीत भाषा का प्रयोग करना सीख सकें।
- समारोह-आयोजन और सभा-संचालन में सामान्यतः कोई विशिष्ट व्यक्ति अध्यक्ष होता है और कुछ विशिष्ट अतिथि होते हैं। अतः सर्वप्रथम संचालक द्वारा अध्यक्ष और मुख्य अतिथि को मंचासीन होने के लिए

आमंत्रित किया जाता है। संचालक अध्यक्ष आदि का विशेष परिचय देते हुए उन्हें आमंत्रित करता है। ऐसे अवसरों पर संचालक द्वारा संक्षिप्त स्वागत-भाषण, दीप-प्रज्ज्वलन/प्रार्थना आदि का आयोजन होता है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करते समय उनका भी संक्षिप्त परिचय दिया जाता है, कार्यक्रम के पूरा होने पर अध्यक्षीय भाषण और धन्यवाद ज्ञापन होता है। अध्यक्षीय भाषण में कार्यक्रम के विषय में या पूर्व वक्ताओं के विचारों के विषय में उल्लेख होता है और अध्यक्ष के अपने अभिमत का भी। धन्यवाद ज्ञापन में हमें महत्त्व के अनुसार क्रमशः उन सभी व्यक्तियों का नामोल्लेख करना चाहिए, जिनके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ है।

सभा संयोजन में सदैव औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है।

सामान्यतः हम जो कुछ लिखते हैं, वह दूसरों के लिए होता है। कभी-कभी हम अपने लिए भी लिखते हैं। इन दोनों स्थितियों में यह आवश्यक है कि हम जो कुछ लिखें, वह सुसंबद्ध और पूर्ण हो। लेखन का विषय चाहे पत्र हो, यात्रा हो या किसी स्थान व्यक्ति या कृति का वर्णन – आवश्यक जानकारी की सभी बातें उसमें रहनी चाहिए।

हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। यद्यपि लेखन में प्रत्यक्ष रूप से संबोधित व्यक्ति का नाम नहीं होता, परंतु परोक्ष रूप से लेखक के मन में यह रहता ही है। यदि लेखक के सामने उसका पाठक रहता है तो वह तदनुकूल सामग्री का चयन करता है, उसका नियोजन करता है और इसी के अनुसार ही शब्द, वाक्य और भाषा-शैली का प्रयोग करता है।

प्रत्येक रचना का एक मुख्य उद्देश्य होता है। लेखक अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए विविध माध्यम अपनाता है। छोटी-बड़ी सभी रचनाओं में एकाधिक विचार या तथ्य रहते हैं। प्रत्येक विचार या तथ्य के लिए अलग अनुच्छेद रखना चाहिए। विचार-प्रधान रचना में अनुच्छेदों के शीर्षक दे देने से वह अधिक सुबोध हो जाती है। यह भी हो सकता है कि एक शीर्षक के अंतर्गत कई अनुच्छेद हों।

पूरी रचना उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए। प्रत्येक वाक्य और अनुच्छेद में भी रचना का गठन इस प्रकार हो कि एक वाक्य के कथ्य से अगले वाक्य के कथ्य का, एक अनुच्छेद से अगले अनुच्छेद का पूर्वापर संबंध बना रहे। पूर्वापर संबंध के कारण ही हम लेखक के विचारों से

सहजता के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए रचना का रसास्वादन करते हैं।

अंत में जो निष्कर्ष निकाला जाए वह पूरी रचना से स्वाभाविक रूप से निकलता हो। रचना के विविध अंगों में संतुलन का होना परमावश्यक है। एक आदर्श रचना वही मानी जाती है, जिसमें किसी स्थान पर न तो आवश्यकता से अधिक और न ही आवश्यकता से कम लिखा गया हो।

कहने की आवश्यकता नहीं कि वाक्य-रचना, वर्तनी, मुहावरे आदि के अनुसार भाषा शुद्ध होनी चाहिए और लिखावट स्वच्छ और स्पष्ट।

### (क) पत्र-लेखन

लेखन की विभिन्न विधाओं में पत्र एक अलग प्रकार की विधा है, जिसमें किसी-न-किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है। पत्र कई प्रकार के होते हैं; जैसे — घरेलू-पत्र, व्यावसायिक-पत्र, सरकारी-पत्र, संपादक के नाम पत्र। इन सभी पत्रों का स्वरूप तो अलग होता ही है, इनके लिखने और संबोधन के तरीकों और इनकी शैली में भी थोड़ा-बहुत अंतर होता है। यहाँ पर हम आवेदन-पत्र, बधाई-पत्र, संवेदना-पत्र, निमंत्रण-पत्र आदि का विवेचन करेंगे।

आवेदन-पत्र व्यावसायिक और सरकारी संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं; जैसे — अवकाश के लिए आवेदन-पत्र और नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र। संपादक के नाम पत्र : पत्र-पत्रिकाओं में पाठकगण समसामयिक विषयों, ज्वलंत समस्याओं तथा समाचारों से संबंधित पत्र संपादक के नाम लिखते हैं। शिकायती-पत्र : संबद्ध अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों के नमूने आगे दिए जा रहे हैं; जैसे —

- अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र
- आर्थिक सहायता के लिए आवेदन-पत्र



- पद के लिए विज्ञापन तथा आवेदन-पत्र
- आवेदन-पत्र का प्रारूप
- बधाई-पत्र
- शुभकामना-पत्र
- निमंत्रण-पत्र
- निमंत्रण-पत्र (समारोह पर)
- संवेदना-पत्र
- समस्या-पत्र (संपादक के नाम)

### 1. अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र

सेवा में

श्रीमान प्रधानाचार्य

केंद्रीय विद्यालय

टैगोर गार्डन

नई दिल्ली

महोदय,

निवेदन है कि कल शाम से ज्वर आने के कारण आज मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगी। डॉक्टर का कहना है कि मुझे ठीक होने में 3-4 दिन लगेंगे।

अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 5-12-2001 से 8-12-2001 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें।

आज्ञाकारी शिष्या

शकुंतला

कक्षा 9 ब

दिनांक 5-2-2001

## 2. आवेदन-पत्र (आर्थिक सहायता के लिए)

सेवा में

श्रीमान प्रधानाचार्य

उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय

माल रोड

दिल्ली 110007

महोदय,

कल सूचनापट्ट पर एक सूचना निकली थी कि निर्धन छात्रकोष से सहायता के लिए छात्र प्रधानाचार्य को आवेदन-पत्र दें। तदनुसार मैं यह प्रार्थना-पत्र आपकी सेवा में भेज रहा हूँ।

मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैंने आठवीं कक्षा की परीक्षा 78 प्रतिशत अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण की है।

मेरे पिता जी एक कार्यालय में चपरासी हैं, उनकी कुल वार्षिक आय लगभग 9,500 रुपए है। मेरा एक बड़ा भाई मेरठ विश्वविद्यालय से एम.ए. कर रहा है। मेरा छोटा भाई इसी विद्यालय में कक्षा 7 अ में पढ़ रहा है। इतनी कम आय में परिवार का खर्च चलाने और हम लोगों की पढ़ाई का व्यय वहन करने में मेरे पिता जी को बड़ी कठिनाई हो रही है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे निर्धन छात्रकोष से कम-से-कम 150 रुपए मासिक सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न : पिता की आय का प्रमाण-पत्र

आज्ञाकारी शिष्य

प्रवीण

कक्षा - 9 अ

दिनांक 15-7-2001

### 3. पद के लिए विज्ञापन तथा आवेदन-पत्र/प्रपत्र का प्रारूप

आवश्यकता है एक हिंदी आशुलिपिक की। उम्मीदवार सीनियर सेकेंड्री परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो तथा टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट और आशुलिपि 80 शब्द प्रति मिनट हो।

इस विज्ञापन के संदर्भ में प्रस्तुत है नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र/प्रपत्र का एक प्रारूप —

प्रेषक :

रश्मि

बी.डी. 13, मुनीरका फ्लैट्स

नई दिल्ली 110067

सेवा में

निदेशक

सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण परिषद्

मंडी हाउस

नई दिल्ली 110001

विषय — हिंदी आशुलिपिक पद हेतु आवेदन

महोदय,

‘राष्ट्रीय सहारा’ दिनांक 1 जनवरी, 2002 में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में हिंदी आशुलिपिक पद के लिए मैं अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। शैक्षिक एवं अन्य विवरण संलग्न हैं।

प्रार्थना है कि मुझे इस पद पर सेवा का अवसर प्रदान कर अनुगृहीत करें।

संलग्न : प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ

भवदीया

रश्मि

दिनांक : 9 जनवरी, 2002

## प्रपत्र

## शैक्षिक तथा अन्य विवरण

नाम	:	रश्मि
जन्मतिथि	:	5 जनवरी, 1981
पता	:	बी.डी. 13, मुनीरका फ्लैट्स, नई दिल्ली-110067

## शैक्षिक विवरण :

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	अंक प्रतिशत
सैकेंड्री	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	1996	77%
सीनियर सैकेंड्री	के.मा.शि.बो., नई दिल्ली	1998	63%

शिक्षणोत्तर रुचियाँ	:	(क) कला शिक्षण : बाल भवन सोसायटी (ख) रेडक्रास और समाज सेवा
आशुलिपि संबंधी प्रशिक्षण	:	वाई.एम.सी.ए. से 1 वर्ष का डिप्लोमा
गति	:	(क) हिंदी आशुलिपि 80 शब्द प्र.मि. (ख) हिंदी टंकण 30 शब्द प्र.मि. (ग) अंग्रेज़ी टंकण 35 शब्द प्र.मि.
अनुभव	:	ग्रामीण प्रौद्योगिकी और लोक कार्य परिषद् में आशुलिपिक के पद पर छः मास तक अस्थायी तौर पर कार्य करने का अनुभव।

#### 4. आवेदन-पत्र का प्रारूप

पद जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है — निम्न श्रेणी लिपिक (हिंदी)

नाम : अशोक कुमार  
 पिता का नाम और : ब्रह्म सिंह (कृषि)  
 व्यवसाय  
 जन्म-तिथि (अंकों में) : 04-04-1977  
 (शब्दों में) : चार अप्रैल उन्नीस सौ सतहत्तर  
 वर्तमान पता : जे-1/44/6, संगम विहार  
 नई दिल्ली 110062  
 स्थायी पता : ग्राम-रायपुर, डा.खा.-बाबरी,  
 तहसील - शामली, जिला -मुज़फ्फर नगर,  
 उत्तर प्रदेश - 247777

क्या आप अनुसूचित जाति/ : हाँ  
 जनजाति/पिछड़ी जाति के हैं ?  
 यदि हाँ, तो जाति का : अनु. जा. (जाटव)

नाम लिखिए

क्या आप भारतीय : हाँ

नागरिक हैं ?

यदि नहीं, तो अपनी : X

नागरिकता लिखिए

अर्हताएँ

हाईस्कूल	प्रथम	1994	यू.पी. बोर्ड	हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी
इंटरमीडिएट	द्वितीय	1996	यू.पी. बोर्ड	हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित
टंकण	37	1999	आई.टी.आई.	हिंदी टंकण
डिप्लोमा	श.प्र.मि.	नई दिल्ली		

## 6. शुभकामना पत्र (परीक्षा)

506/2, विशाल विहार

पीतम पुरा

नई दिल्ली 110088

दिनांक : 27-6-2001

प्रिय मित्र अली

तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम इस वर्ष नवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 80 प्रतिशत अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हो और तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

आशा है कि दसवीं की बोर्ड की परीक्षा में भी तुम इसी तरह बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो विद्यालय का नाम रोशन करोगे।

सस्नेह

तुम्हारा

सुरेश

### 7. निमंत्रण पत्र (विवाह पर)

निमंत्रण पत्र में किसी उत्सव, विवाह या किसी विशिष्ट समारोह में सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया जाता है। ऐसे पत्र किसी एक व्यक्ति के न होकर अनेक लोगों के लिए होते हैं। अतः उनमें सामान्य कुशल समाचार नहीं दिया जाता। एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :

मेरे सुपुत्र चि. राजीव का शुभविवाह सौ. रंजना (आत्मजा श्री रवींद्र पांडेय, लखनऊ) के साथ 25 मई 2002 को संपन्न होगा। इस शुभ अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं।

पाणिग्रहण संस्कार	:	25 मई, 2002	रात्रि 10.00 बजे
विदाई	:	26 मई, 2002	प्रातः 4.00 बजे

बारात 10 बजे सवेरे मेरे आवास से श्री रामविलास के निवास स्थान ए-45/ 6, गोमती नगर, लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी।

उत्तरापेक्षी

महेश चंद्र

दिनेश चंद्र

दर्शनाभिलाषी

शशि भूषण

रवि भूषण

अजय भूषण

## 8. निमंत्रण-पत्र (समारोह पर)

जयहिंद वाचनालय (पंजीकृत)

के.के. नगर, चन्ने

दिनांक : 20 मई, 2002

प्रिय बंधु/श्रीमान/प्रिय/महोदय/महोदया

आपको हम सहर्ष सूचित करना चाहते हैं कि जयहिंद वाचनालय आगामी जुलाई में पच्चीस वर्ष की सेवाएँ पूर्ण कर रहा है। इस उपलक्ष्य में 15 जून 2002 को प्रातः 10 बजे इस वाचनालय का रजत जयंती समारोह मद्रास टाउन हाल में धूम-धाम से मनाया जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री राघवन जी रजत जयंती के सुअवसर पर वाचनालय भवन का शिलान्यास करेंगे। साहित्यकार श्री जयकांतन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर कई वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएँगे।

इस समारोह में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थित है।

भवदीय

ह.

सचिव



### 9. संवेदना-पत्र (निधन पर)

इस तरह के पत्र किसी दुखद अवसर पर दुखी व्यक्ति या परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं। एक नमूना

15 ई, कमला नगर

दिल्ली 110007

दिनांक : 14-2-2002

प्रिय महेश

तुम्हारे पिताजी के निधन का समाचार सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। उनके असामयिक निधन से हम सभी लोग शोक संतप्त हैं। हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है कि वह उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार के सभी लोगों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

तुम्हारा

रमेश

**10. शिकायती-पत्र**  
**(स्वास्थ्य अधिकारी के नाम)**

प्रेषक :

अध्यक्ष

ब्लाक हितकारिणी समिति

15, मालवीय नगर

नई दिल्ली 110017

दिनांक : 15-4-2002

सेवा में

स्वास्थ्य अधिकारी

नगर महापालिका

नई दिल्ली

महोदय

निवेदन है कि आजकल हमारे मुहल्ले में सफ़ाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। सफ़ाई कर्मचारी नालियों की सफ़ाई ठीक से नहीं करते हैं। सड़कों पर कूड़ा कई दिनों तक पड़ा रहता है। कभी-कभी इससे नालियाँ बंद हो जाती हैं और गंदा पानी सड़क पर फैलकर बहने लगता है। इससे मुहल्ले में बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र के निरीक्षक को उचित निर्देश देकर इस अव्यवस्था को दूर कराने की कृपा करें।

भवदीय

(डॉ. शिव शंकर)

### 11. समस्या-पत्र (संपादक के नाम)

सेवा में

संपादक

'जनसत्ता'

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग

नई दिल्ली - 110001

प्रिय महोदय

मैं आपके लोकप्रिय पत्र द्वारा मथुरा नगरी की दुर्दशा के संबंध में प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यहाँ बरसात के दिनों में सड़कों पर कीचड़ हो जाता है। जगह-जगह गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं, बाज़ारों में आवारा पशु इधर-उधर घूम रहे होते हैं और जगह-जगह टूटी-फूटी सड़कें मिलती हैं। मथुरा एक प्राचीन धार्मिक नगरी है। इसमें हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। पर्यटकों के लिए यह आकर्षक स्थल है लेकिन प्रशासन द्वारा सफ़ाई की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता।

यहाँ के अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों तथा दवाइयों के अभाव में गरीब मरीजों को इस अस्पताल से कोई लाभ नहीं है। लोगों का कहना है कि गरीबों के लिए आने वाली दवाइयों गायब कर दी जाती हैं। गरीब आदमी भी सरकारी अस्पताल जाने से कतराता है, क्योंकि वहाँ उसका कोई सुनने वाला तो होता नहीं, जिससे शहर में प्राइवेट डाक्टरों की चाँदी हो रही है। शहर में मनोरंजन के लिए एक भी अच्छा पार्क नहीं है। पार्कों में सफ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जगह-जगह पशु घास चरते दिखाई देंगे। क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देगा?

भवदीय

सुरेश वधवा

695, मारूगली

मथुरा, उ.प्र.

दिनांक : 24 मई, 2002

## (ख) निबंध लेखन

लिखित अभिव्यक्ति की एक महत्त्वपूर्ण विधा है निबंध। निबंध का अर्थ है — अच्छी तरह बँधा या कसा हुआ अर्थात् जिस रचना में भाव और विचार भली-भाँति निबद्ध हों, गुँथे हुए हों। यह तभी संभव है जब निबंध लेखक को विषय के विभिन्न पक्षों की सम्यक् जानकारी हो, उसमें सरल, सुबोध एवं प्रांजल भाषा प्रयोग की क्षमता हो तथा वह अपने भावों, विचारों को क्रमबद्ध और सुसंबद्ध रूप से अपनी निजी शैली में लिपिबद्ध कर सकता हो। परंतु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात है, निबंध में लेखक का व्यक्तित्व अभिव्यंजित हो। इसके लिए आवश्यक है कि छात्रों को निबंध रचना का पर्याप्त अभ्यास कराया जाए। इस स्तर तक आते-आते छात्रों को वाक्य रचना, अनुच्छेद-लेखन तथा अन्य प्रकार के निर्देशित लेखन का कुछ-न-कुछ अभ्यास हो चुका होता है, जो अच्छे निबंध लेखन का आधार बनता है। निबंध लेखन बच्चों की रचनात्मक शक्ति को विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए विद्यालय में इस स्तर पर वैचारिक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि सभी प्रकार के निबंधों का लेखन कराया जाए।

निबंधों के प्रकार तथा लेखक के व्यक्तित्व के अनुसार निबंध की संरचना परिवर्तित होती रहती है। इसलिए उसकी कोई सर्वसामान्य संरचना नहीं हो सकती। निबंध-लेखन से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना अपेक्षित है —

1. **कसावट** — निबंध की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है उसकी संरचना की कसावट। निबंध के विचार और भाषा, दोनों में ही इस गुण की अपेक्षा की जाती है। निबंध लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसमें व्यक्त भाव एवं विचार एक निश्चित क्रम में हों और परस्पर जुड़े हों। अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से इस प्रकार

प्रस्तुत किया जाए कि पढ़ने के बाद पाठक किसी निष्कर्ष पर पहुँच सके।

2. **विषयानुकूल एवं प्रभावशाली भाषा** — निबंध के विषयों की कोई सीमा नहीं होती। जिस भी विषय को लेकर निबंध लिखा जाता है, लेखक की भाषा उसी के अनुरूप होनी चाहिए और उसे पाठक को दृष्टि में रखते हुए अपनी शैली विकसित करनी चाहिए। निबंध लिखते समय यथास्थान उदाहरणों, उद्धरणों, दृष्टान्तों, लोकोक्तियों, मुहावरों, सूक्तियों का प्रयोग निबंध को रोचक एवं प्रभावी बनाता है। इसके लिए सतत पठन, चिंतन एवं विचार-विमर्श अपेक्षित है।
3. **संक्षिप्तता** — निबंध में संक्षिप्तता का गुण भी होना चाहिए। निबंध में कसावट तभी संभव हो सकती है जब निबंध लिखने से पूर्व निबंध की रूपरेखा बना ली जाए। निबंध का कलेवर ऐसा हो कि पाठक की रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहे। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों से निबंध संबंधी जानकारी प्राप्त करना, अध्यापक या सहपाठियों के साथ चर्चा कर विषय-सामग्री का संकलन तथा चयन कर लेना चाहिए। निबंध की रूपरेखा को तीन अंगों में विभाजित किया जा सकता है — प्रस्तावना, मुख्य अंश और उपसंहार।

**(क) प्रस्तावना** — प्रस्तावना निबंध की आधारशिला है। इसलिए उसका संक्षिप्त एवं प्रभावी होना अत्यावश्यक है। इसमें निबंध के विषय के प्रमुख बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तावना ऐसी हो कि उसे पढ़कर पाठक के मन में आगे पढ़ने का कुतूहल उत्पन्न हो। निबंध का प्रथम अनुच्छेद ही उसकी प्रस्तावना होती है।

**(ख) मुख्य अंश** — प्रस्तावना के बाद निबंध का मुख्य अंश आता है। इसमें विषयवस्तु को अलग-अलग अनुच्छेदों में बाँटकर अपनी बात कहनी चाहिए। सामान्यतः निबंध के मुख्य अंश में परस्पर संबद्ध

चार-पाँच छोटे अनुच्छेद होने चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही भाव या विचार रखना चाहिए। विचार बदलने के साथ-साथ अनुच्छेद भी बदल देना चाहिए। प्रस्तुति में तर्कसंगति और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए।

**(ग) उपसंहार** — उपसंहार निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें विषयवस्तु विवेचन के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। निष्कर्ष में लेखकीय विचार या प्रतिक्रिया भी हो सकती है। उपसंहार का महत्त्वपूर्ण गुण है — पाठक पर स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता। इसके लिए आवश्यक है कि उपसंहार संक्षिप्त, सुगठित, स्पष्ट तथा तर्कसंगत हो। उदाहरण के लिए आगे कुछ निबंध और कुछ निबंधों की रूपरेखाएँ दी जा रही हैं।

### कंप्यूटर आज की ज़रूरत

आज सर्वत्र कंप्यूटर की चर्चा है। समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो आदि सभी इसके प्रचार-प्रसार में अग्रसर हैं। निर्विवाद रूप से कंप्यूटर आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी देन है। ज्यों-ज्यों विविध क्षेत्रों में विज्ञान का प्रसार हो रहा है, कंप्यूटर की उपयोगिता, उसकी व्यापकता, लोकप्रियता और आवश्यकता हमारे समस्त सामाजिक-व्यापारिक जीवन में बढ़ती जा रही है।

कंप्यूटर विज्ञान ने आज साधारण से साधारण और उच्च से उच्च व्यक्ति तथा वर्ग को इतना प्रभावित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसके बारे में जानने या उसे सीखने की इच्छा पैदा हो गई है। परिणामस्वरूप देश के सभी छोटे-बड़े शहरों में हर स्तर पर कंप्यूटर-प्रशिक्षण के संस्थान खुल गए हैं। स्कूलों के पाठ्यक्रम में कंप्यूटर कोर्स को विशेष स्थान मिल रहा है। समाचार-पत्रों और रोज़गार समाचारों में कंप्यूटर-प्रशिक्षितों के लिए रिक्त स्थान के विज्ञापन भरे रहते हैं। इस

बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोटे बड़े सभी स्तर के कंप्यूटरों का निर्माण भारत में हो रहा है।

कंप्यूटर क्या है? वस्तुतः कंप्यूटर ऐसे यांत्रिक मस्तिष्कों का रूपात्मक और समन्वयात्मक योग है, जो तीव्र गति से कम से कम समय में अधिक-से-अधिक काम कर सकता है। गणना के क्षेत्र में इसका विशेष महत्त्व है। विज्ञान ने अनेक गणक यंत्रों का आविष्कार किया है, किंतु कंप्यूटर की तुलना किसी से भी संभव नहीं है। चार्ल्स बेबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणित की गणना को सुकर करने वाला यह यंत्र बनाया। कंप्यूटर मनुष्य का ऐसा आज्ञाकारी सेवक है कि इसे मनुष्य जितना और जैसा काम करने को कहता है, वह उसे उतना ही सही रूप में करता है।

आज कंप्यूटर की उपयोगिता सर्वत्र व्याप्त है। कल-कारखानों, व्यापारिक संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, रेलवे-स्टेशनों, हवाई-अड्डों से लेकर शैक्षिक संस्थाओं और चिकित्सा केंद्रों में कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता की धाक जमा ली है। बैंकों के खातों के संचालन से लेकर समाचार-पत्रों तथा पुस्तकों के प्रकाशन में भी कंप्यूटर विशेष भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

कंप्यूटर संचार का भी एक महत्त्वपूर्ण साधन है। कंप्यूटर नेटवर्क (इंटरनेट) ने विश्व के समस्त देशों को आपस में जोड़ दिया है। आज घर बैठे ही विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात करना या संदेश भेजना कंप्यूटर के कारण ही संभव हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान और मौसम विज्ञान में भी कंप्यूटर की अहम भूमिका है। अंतरिक्ष के व्यापक चित्र लेने तथा उनका विश्लेषण करने का कार्य कंप्यूटर ही करता है।

फ्राइलिंग की समस्या बैंक प्रणाली का सिरदर्द रही है, किंतु आज कंप्यूटर ने इस सिरदर्दी को दूर कर दिया है। फ्राइलिंग का स्थान कंप्यूटर फ्लॉपी ने ले लिया है। एक अलमारी में यदि सौ फ्राइलें आती हैं तो इतने ही स्थान में एक सहस्र फ्लॉपी रखी जा सकती हैं।

भवन-निर्माण, क्षेत्र-विकास, परिसर-नियोजन आदि इन सबके लिए चाहिए एक शिल्पकार और शिल्पकार को चाहिए पर्याप्त समय। कंप्यूटर का डिज़ाइनिंग प्रोग्राम क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई और आँकड़ों के अनुसार कुछ ही घंटों में नक्शा तैयार कर देता है। इतना ही नहीं, नवीन मौलिक डिज़ाइन की उद्भावना में तो कंप्यूटर एक कलाकार की भूमिका निभाता है।

चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर जीवन-रक्षक कवच बनकर अवतरित हुआ है। शरीर में रासायनिक परिवर्तन, स्नायुओं की गतिविधि, रोगों का निदान और औषधियों का विधान, शल्यक्रिया और अंगरोपणों का निरीक्षण सब कंप्यूटर की ज़िम्मेदारी है।

कंप्यूटर को रॉबोट जैसी मशीन से जोड़कर कई श्रम साध्य कार्य भी कराए जा सकते हैं; जैसे — वेल्डिंग, पेंटिंग, कचरा साफ़ करना, परमाणु भट्टी के पास काम करना, भारी सामान को सँभालना आदि। युद्ध-क्षेत्र में छोटे-छोटे कंप्यूटर जिस कुशलता से जासूसी का कार्य कर रहे हैं! एक समय वह हमारी कल्पना से भी परे की बात थी।

यह कहना गलत न होगा कि कंप्यूटर आज के युग की अनिवार्यता है। फिर भी कंप्यूटर केवल एक यंत्र है, जिसके निर्माण के पीछे मानव मस्तिष्क ही कार्य करता है।

### प्रदूषण : कारण और निवारण

प्रकृति ने हमारे लिए एक स्वस्थ एवं सुखद पर्यावरण का निर्माण किया था, परंतु मनुष्य ने भौतिक सुखों की होड़ में उसे दूषित कर दिया है। वाहनों तथा कारखानों की चिमनियों से निकलते धुएँ, रासायनिक गैस एवं कोलाहल पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित कर रहे हैं। मनुष्य के स्वार्थ के कारण और प्राकृतिक संपदा के शोषण और दोहन के कारण इस प्रदूषण के परिणाम और भी भयावह होते जा रहे हैं।



प्रदूषण मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं — जल-प्रदूषण, वायु-प्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण तथा अणु-प्रदूषण। हर प्रकार का प्रदूषण हमारे लिए हानिकारक है तथा किसी न किसी रूप में रोगों की वृद्धि करता है, जीवन में तनाव तथा मानसिक और शारीरिक व्यग्रता को बढ़ावा देता है। प्रदूषण के अनेक कारण हैं। वायु हमारे प्राणों का आधार है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना और कार्बन-डाइऑक्साइड तथा कार्बन-मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों की मात्रा का बढ़ना ही वायु-प्रदूषण का लक्षण है। आज वायुमंडल में कार्बन-डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। नगरों, महानगरों में वाहनों द्वारा छोड़े गए धुँएँ तथा कल कारखानों की चिमनियों से निकले धुँएँ से वायु-प्रदूषण हो रहा है। वे सभी व्यवसाय जिनमें प्रचुर मात्रा में धूल उड़ती है; जैसे — सीमेंट, चूना, खनिज आदि तथा वे व्यवसाय जो दुर्गंधयुक्त भाप उत्पन्न करते हैं; जैसे— पशुवध, चमड़ा तैयार करना, साबुन या चर्बी के उद्योग आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इस प्रदूषित वायु के कारण अनेक रोग जैसे— रक्तचाप, हृदय रोग, श्वास रोग तथा नेत्र रोग आदि बढ़ रहे हैं। बालू के महीन कणों से ही तपेदिक आदि रोगों के होने की संभावना रहती है।

जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वच्छ एवं निरापद पीने का पानी न मिलने के कारण, गाँवों तथा शहरों की घनी आबादी में रहने वाले लोग अनेक गंभीर रोगों के शिकार हो रहे हैं। प्रतिवर्ष अनेक व्यक्ति जल-प्रदूषण से उत्पन्न रोगों के कारण मर रहे हैं। गाँवों तथा शहरों की गंदी नालियों का पानी जलाशय, नदी आदि में गिरकर पानी को प्रदूषित करता है। मनुष्य द्वारा जल स्रोतों के पास मल-मूत्र त्याग करने, तालाबों आदि में पालतू जानवर नहलाने, तालाब या नदियों के किनारे कपड़े धोने से जल प्रदूषित होता है। इसी तरह आसपास के वृक्षों के पत्तों तथा अन्य कूड़े-करकटों के जल में गिरकर सड़ने, कारखाने से निकलने वाले अवशिष्ट विषैले पदार्थों एवं गंदे जल के नदियों में गिराने आदि से जल-

प्रदूषण होता है। जल-प्रदूषण के कारण होने वाले अनेक भयंकर रोगों; जैसे — हैजा, टाइफ़ॉइड, पीलिया आदि से लोग ग्रसित हो जाते हैं।

जल-प्रदूषण के समान ही ध्वनि-प्रदूषण भी आधुनिक जीवन की समस्या है। वह आवाज़ जो असुविधाजनक हो, अनुपयोगी हो तथा अनावश्यक महसूस होती हो — शोर है। यह शोर ही ध्वनि-प्रदूषण का कारण है। शोर कई तरह से उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति के लिए संगीत आनंददायक है, किंतु वही संगीत दूसरे व्यक्ति के लिए शोर हो सकता है। रेलगाड़ी की आवाज़, सड़कों पर मोटरों की पों-पों, ट्रकों की धड़-धड़, कारखानों में मशीनों के चलने की तेज़ आवाज़, हवाई जहाज़ों का भीषण गर्जन, सड़कों पर विज्ञापन का प्रचार करने वाले लाउड स्पीकरों का शोर, और टी.वी. एवं रेडियो का शोर भी ध्वनि-प्रदूषण के कारण हैं। ध्वनि-प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ तक कि अधिक समय तक ज़्यादा शोर में रहने के कारण कई बार लोगों की श्रवण शक्ति खराब हो जाती है। ध्वनि-प्रदूषण से मनुष्य केवल श्रवण दोष से ग्रसित ही नहीं होता, उसे रक्तचाप, अलसर, अनिद्रा के रोगों का शिकार भी होना पड़ता है।

आज संसार के सभी देशों में आणविक क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा मची हुई है ताकि दूसरा देश उन्हें कमज़ोर न समझे। अणु शक्ति के निश्चित अवधि से पूर्व निष्क्रिय करने तथा शत्रु देश पर उसका प्रयोग करने के कारण आणविक प्रदूषण होता है। इससे लाखों लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं, अनेक अपंग हो जाते हैं, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो या ध्वनि और अणु का हो, हमारे लिए अत्यधिक हानिकारक है।

इस समस्या का निवारण हर देश की सरकार और जनता दोनों ही कर रही हैं। फिर भी हमारी दृष्टि में प्रदूषण के निवारण के निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं — वायु-प्रदूषण को अधिकाधिक वनों का संरक्षण करके रोका जा सकता है क्योंकि वन कार्बन-डाइऑक्साइड ग्रहण कर

हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। भू-स्खलन, भू-क्षरण, रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए, जल स्रोतों को सूखने से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। इसके लिए वायु-प्रदूषण के दुष्परिणामों से भावी पीढ़ियों के भविष्य को बचाने के लिए हमें अधिक वृक्ष लगाने होंगे। वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाने होंगे। बदबू फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण करना होगा। कारखानों में ऊँची-ऊँची चिमनियाँ तथा राख एकत्रित करने की मशीनों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

जल-प्रदूषण को रोकने के लिए तालाबों, नदियों, कुओं आदि के जल की समय-समय पर सफ़ाई की जाए, रासायनिक क्रियाओं द्वारा परिशोधन किया जाए। इसका प्रावधान जल-प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में किया गया है।

ध्वनि-प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक ध्वनि-प्रसारक यंत्रों (लाउड स्पीकरों) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिए जाएँ। यही नहीं, जिन कारणों से शोर बढ़ता है, उन पर नियंत्रण लगाने के लिए सरकार सख्त कदम उठाए।

उपर्युक्त उपायों को कार्यान्वित करने से प्रदूषण का निराकरण और निवारण किया जा सकता है। इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिलकर आवश्यक उपाय करने चाहिए।

### **बढ़ती जनसंख्या : घटते संसाधन**

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके सामने प्रदूषण, अशिक्षा और बढ़ती जनसंख्या आदि अनेक समस्याएँ हैं। इन समस्याओं में बढ़ती हुई जनसंख्या देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधक है, जिसके कारण सरकार की अच्छी-से-अच्छी योजनाएँ भी विफल होती जा रही हैं।

बढ़ती जनसंख्या के कारण देश के सभी नागरिकों को सर्वाधिक आवश्यक वस्तुएँ — अन्न, जल, वस्त्र और आवास आदि की सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हो पातीं। आज देश के लाखों लोगों को न भर पेट भोजन मिल पाता है, न पीने को स्वच्छ जल, न तन ढकने को वस्त्र और न रहने के लिए घर।

हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि, उद्योग और व्यवसाय आदि अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलता पाई है। देश की अधिकांश उपजाऊ भूमि पर खेती हो रही है। सिंचाई के लिए देश की अनेक नदियों का उपयोग किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर और रिहंद आदि अनेक बाँध बन चुके हैं, जो देश की कृषि को संपन्न बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। देश के अनेक भागों में नहरों का जाल बिछ गया है। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर, नलकूप और पंपिंग सेट आदि नए-नए साधन उपलब्ध कराए गए हैं। वैज्ञानिकों ने नई-से-नई किस्म की खाद और बीज किसानों तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया है। अनेक किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का प्रशिक्षण भी ले चुके हैं और अपनी बुद्धि तथा परिश्रम के बल पर अधिक-से-अधिक अन्न भी उपजा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद कृषि के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ही देश में हरित क्रांति संभव हुई है। इतना सब होने पर भी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण समस्त कृषि-संबंधी उपलब्धियाँ कम जान पड़ती हैं। कैसी विडंबना है, अन्न उत्पन्न करने वाला खेतिहर ही आज भूखा है। देश के कुछ भागों में तो जनता आज भी भूख के कारण दम तोड़ देती है।

स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में यातायात के साधनों का भी बहुत विकास हुआ है। साइकिल, स्कूटर, कार, बस, रेल आदि ने मनुष्य के आवागमन को गति प्रदान की है। देश की सड़कों पर लाखों स्कूटर, कारें और बसें दिन-रात दौड़ती हैं। फिर भी देश की जनसंख्या जिस गति से

बढ़ रही है, उस गति से देश में यातायात के संसाधन नहीं बढ़ पा रहे हैं। बसों और रेलगाड़ियों में लोगों को भयंकर भीड़ का सामना करना पड़ता है। नौकरी करने वालों को अनेक बार बसों और रेलगाड़ियों में यात्राएं खड़े-खड़े ही करनी पड़ती है। विद्यालयों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ रही है, किंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण लाखों बच्चों को विद्यालय में प्रवेश ही नहीं मिल पाता। शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी देश जब शिक्षित बेरोज़गार नवयुवकों के लिए रोज़गार की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो देश में अनेक सामाजिक बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं, जो देश के लिए खतरा बन जाती हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ जो अन्य अनेक छोटी-छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके कारण देश की प्रगति में बाधा पड़ती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही हम अपने जीवन को सुखी नहीं बना पाते।

जनसंख्या की दृष्टि से आज हमारे देश का स्थान विश्व में दूसरा है। आज हमारे देश की आबादी एक अरब (सौ करोड़) से भी अधिक है। स्वतंत्रता के बाद देश की जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ी है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर गंभीरता से विचार करे और ऐसे प्रयत्न करे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

अज्ञान के अंधकार में फँसे हमारे देश के अधिकांश नागरिक अपनी संतान के जीवन-स्तर को ऊँचा नहीं उठा पाते। अज्ञान ही अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को जन्म देता है। गली-सड़ी रूढ़ियों और अंधविश्वासों में फँसे लोग देश के विकास में सहायक नहीं हो सकते। पुत्र प्राप्ति की कामना और बहु-विवाह प्रथा भी जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं, जिन्हें समय रहते रोकना होगा।

उपर्युक्त अनेक समस्याओं के मूल में बढ़ती जनसंख्या ही है। हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए जन-आंदोलन चलाने होंगे। परिवार-नियोजन और परिवार-कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाना होगा। बाल-विवाह और बहु-विवाह प्रथाओं को रोकना होगा। सरकार ने देश के प्रत्येक प्रांत में लोगों को अधिकाधिक जानकारी देने के लिए तथा उन्हें जागरूक बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं ताकि देश का प्रत्येक नागरिक इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो सके। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रत्येक गाँव में सरकार की ओर से प्रशिक्षित कर्मचारी भी उपलब्ध हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं से हमारी जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ कमी आई है। सरकार को पूरी सफलता तभी प्राप्त हो सकती है, जब सरकारी योजनाओं को जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो।

बढ़ती जनसंख्या के कारण आम आदमी की आय में जो कमी आती जा रही है, उसे भी रोकना आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अब हमें युद्ध-स्तर पर काम करना होगा। प्रत्येक वयस्क को इस योजना के प्रति जागरूक करना होगा। शिक्षित युवक और युवतियों को गाँवों, कस्बों और छोटे-बड़े शहरों में जाकर जनता को सचेत करना होगा, तभी हमें सफलता मिल सकेगी।

जनसंख्या वृद्धि आज के युग की सर्वाधिक गंभीर समस्या है। यदि हम अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का और देश का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें जनसंख्या वृद्धि के राक्षस से लड़ना होगा। देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य भी है और धर्म भी कि वह जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्राणपण से जुट जाए। आज के युग में यही सच्ची देशभक्ति है।

## मनुष्य और विज्ञान

विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है — विशेष ज्ञान। मनुष्य प्राचीन काल से ही नए-नए आविष्कार करके, विकास की सीढ़ियाँ तय करता आ रहा है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह विज्ञान का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियों के प्रभाव को देखा जा सकता है। विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों ने मनुष्य जीवन को सुख-सुविधामय बना दिया है।

आज संसार के सभी देशों में औद्योगीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। विविध वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी आविष्कारों के सहारे के बिना इस होड़ में विजय नहीं पाई जा सकती। जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ विज्ञान न पहुँचा हो — भोजन, वस्त्र, मकान, दुकान यहाँ तक कि आसमान सब में विज्ञान का ही बोलबाला है। भोजन बनाने के उपकरण, सिंथेटिक वस्त्र, भवन-निर्माण में अभियांत्रिकी, व्यावसायिक कैलकुलेटर, कंप्यूटर तथा अंतरिक्ष में उपग्रह सभी विज्ञान की ही देन हैं। आज मनुष्य घर बैठे ही देश-विदेश में घटित घटनाएँ देख सकता है, रेडियो द्वारा खबरें, संगीत सुन सकता है, विद्युत के आविष्कार से अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है और अपने घर को वातानुकूलित बना सकता है। आज ऐसा लगता है कि अगर वैज्ञानिक आविष्कारों को मनुष्य जीवन से हटा दिया जाए तो मनुष्य जीवन एकदम शून्य हो जाएगा।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी मनुष्य ने अत्यधिक प्रगति की है। आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से चेचक, टी.बी. आदि भयंकर रोगों को जड़ से ही समाप्त कर दिया है तथा हृदय एवं मस्तिष्क के ऑपरेशन भी संभव बना दिए हैं। कैंसर जैसा भयंकर रोग अब इतना असाध्य नहीं रहा है। आज विज्ञान ने अंधों को आँखें दी हैं, बहरों को कान। यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा सभी अंगों को सुंदर रूप प्रदान किया जा रहा है।

यह तो सभी स्वीकार करते हैं कि विज्ञान ने मनुष्य को बहुत अधिक सुख-सुविधाएँ प्रदान की हैं। प्राचीनकाल में लंबी दूरियाँ तय करने में मनुष्य को वर्षों लग जाते थे, अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन आज मोटरकार, रेलगाड़ी और वायुयान की सहायता से हज़ारों मील की दूरियाँ कुछ ही घंटों में तय कर ली जाती हैं। जलयान द्वारा बड़े से बड़े समुद्र को पार करके किसी भी देश में पहुँचा जा सकता है। इन वैज्ञानिक साधनों ने विश्व के देशों को बहुत पास ला दिया है। दूरी की दृष्टि से आज अमरीका, चीन, जापान, रूस तथा यूरोप के सभी देश बैसे ही हैं; जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता।

टेलीफ़ोन का आविष्कार तो मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। हज़ारों मील दूर बैठे हुए मनुष्य से हम टेलीफ़ोन से बातचीत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अब टेलीफ़ोन पर बात करने वाले एक-दूसरे को देख भी सकते हैं। फ़ैक्स, ई-मेल, नेट के आविष्कारों ने तो संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं।

आज मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से संपूर्ण विश्व को अपनी मुट्ठी में कर लिया है पर उसकी इसी मुट्ठी से बहुत कुछ रेत की तरह फिसलता जा रहा है, इसलिए विज्ञान वरदान ही न रहकर किसी न किसी मायने में अभिशाप भी बन गया है। इसका कारण यह है कि एक ओर मनुष्य जहाँ विज्ञान का उपयोग अपने हित में कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भयंकर अस्त्र-शस्त्रों द्वारा मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति और उसकी अबतक अर्जित समस्त पूँजी को भस्मीभूत कर देने की तैयारी भी कर रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसे अणुबमों का आविष्कार किया है कि दुर्भाग्यवश यदि कभी उनका विस्फोट हुआ तो देश के देश काल के गाल में चले जाएँगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमरीका ने जापान पर परमाणु बमों का प्रयोग किया था, जिसके दुष्परिणाम आज भी वहाँ के लोग भोग रहे हैं।



अतः विज्ञान के संहारक अस्त्र-शस्त्रों ने उसे हमारे लिए अभिशाप बना दिया है। आज इतने घातक हथियारों का निर्माण हो चुका है और इतने संहारक रसायनों का पता लगाया जा चुका है कि सारा संसार मिनटों में नष्ट किया जा सकता है। विज्ञान को अभिशाप से बचाने के लिए विश्व व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। नई व्यवस्था में हथियारों की होड़ समाप्त होगी और तभी विज्ञान अभिशाप कहलाने के कलंक से बच सकेगा और मानवता के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकेगा। यदि आज मनुष्य विज्ञान के बढ़ते चरणों को सही दिशा में नहीं ले जाता तो यह आशंका है कि विज्ञान का वरदहस्त उसके लिए कहीं भस्मासुरी हस्त न बन जाए।

### भूकंप-त्रासदी

प्रकृति का स्वभाव बड़ा विचित्र है — कभी कल्याणकारी तो कभी विनाशकारी। प्रकृति कब, कैसे और क्या रूप धारण कर लेगी, इसे समझ पाना अभी तक मनुष्य के बस की बात नहीं है। ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के कारण यह कहा जाता है कि आज मनुष्य ने प्रकृति के सभी रहस्यों को जान लिया है और सुलझा लिया है, किंतु यह बात सच नहीं जान पड़ती। मौसम-विज्ञानी घोषणा करते हैं कि अगले चौबीस घंटों में तेज़ वर्षा होगी या कड़ाके की ठंड पड़ेगी, किंतु होता कुछ और ही है। वर्षा और ठंड के स्थान पर चिलचिलाती धूप खिल उठती है। विज्ञान और वैज्ञानिकों की जानकारियों और सफलताओं का सारा दंभ धरा का धरा रह जाता है। सच तो यह है कि प्रकृति अनंत है और उसका स्वभाव अबूझ। बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप प्रकृति के विनाशकारी रूप के ही पर्याय हैं जो असमय मानव जीवन में हाहाकार मचा देते हैं।

प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप ही सबसे अधिक विनाशकारी होता है। सचमुच भूकंप विनाश का दूसरा नाम है। इसके कारण जहाँ लाखों मकान

धराशायी हो जाते हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग असमय ही मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। कितने अपाहिज और लूले-लँगड़े हों वैसा जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। कभी-कभी तो पूरा शहर ही धरती के गर्भ में समा जाता है और नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। भूतल पर नए भू-आकार जन्म ले लेते हैं; जैसे कि द्वीप, झील, पठार आदि। कभी-कभी जलाच्छादित भूमि समुद्र से बाहर निकल आती है। भूतल पर आए परिवर्तन मनुष्य के जीवन को भी प्रभावित करते हैं।

भूकंप शब्द का अर्थ होता है — पृथ्वी का हिलना। पृथ्वी के गर्भ में किसी प्रकार की हलचल के कारण जब धरती का कोई भाग हिलने लगता है, कंपित होने लगता है तो उसे भूकंप की संज्ञा दी जाती है। अधिकतर कंपन हलके होते हैं और उनका पता नहीं चलता, न ही उनका हमारे जीवन पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है। मुख्यरूप से हम पृथ्वी के उन झटकों को ही भूकंप कहते हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं। भूकंप के मुख्य कारणों में पृथ्वी के भीतर की चट्टानों का हिलना, ज्वालामुखी का फटना आदि हैं। इनके अतिरिक्त भू-स्खलन, बम फटने तथा भारी वाहनों या रेलगाड़ियों की तीव्र गति से भी कंपन पैदा होते हैं।

देश के इतिहास में सबसे भयानक भूकंप 11 अक्टूबर 1737 में बंगाल में आया था जिसमें लगभग तीन लाख लोग काल के गाल में समा गए थे। महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिलों में आए विनाशकारी भूकंप ने करीब 40 गाँवों में भयानक तबाही मचाई। इसी कड़ी में 26 जनवरी, 2001 का दिन भारतीय गणतंत्र में काला दिन बन गया। उस दिन सुबह जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस मना रहा था, प्रकृति के प्रलयकारी तांडव ने भूकंप का रूप लेकर गुजरात को धर दबोचा। देखते ही देखते भुज, अंजार और भचाऊ क्षेत्र कब्रिस्तान में बदल गए। गुजरात का वैभव कुछ ही क्षणों में खंडहरों में परिवर्तित हो गया। बहुमंजिली इमारतें देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गईं। चारों ओर चीख-पुकार, बदहवासी

और लाचारी का आलम था। अचानक हुई इस विनाशलीला ने लोगों के कंठ से वाणी और आँख से आँसू ही छीन लिए।

रेक्टर पैमाने पर गुजरात के इस भूकंप की तीव्रता 6.9 थी। इसका केंद्र भुज से 20 कि.मी. उत्तर-पूर्व में था। इस त्रासदी में हजारों की संख्या में लोग काल कवलित हो गए और कई हजार घायल हो गए, और लगभग एक लाख लोग बेघर हो गए। सारा देश इस त्रासदी में गुजरात के साथ था। सर्वप्रथम क्षेत्रीय लोगों और स्वयं सेवी संस्थाओं ने राहत और बचाव कार्य आरंभ किया। मीडिया की अहम भूमिका ने त्रासदी की गंभीरता का सही-सही प्रसारण कर भारत सरकार को झकझोरा और भारत सहित समूचे विश्व को सहायता के लिए उद्वेलित कर दिया। सारा जनमानस सहायता के लिए उमड़ पड़ा। भारत के कोने-कोने तथा विश्व के अनेक देशों से सहायता सामग्री का अंबार लग गया। सहायता के लिए धन-राशि के साथ-साथ अन्य आवश्यक सामग्री भी पहुँचने लगी। देश की तीनों सेनाओं के सैनिक तथा कई समाज सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता भी सहायता-कार्य में जुट गए।

इस त्रासदी में करोड़ों रुपए की निजी तथा सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान आँका गया है।

क्या मनुष्य सदैव इस विनाशलीला का मूकदर्शक बना रहेगा, इस त्रासदी को भोगता रहेगा? यद्यपि विज्ञान ने भूकंप की पूर्व सूचना देने के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की है, उपग्रह भी इस दिशा में काफ़ी सहायक हो रहे हैं। तथापि इन भूकंपों को कैसे रोका जा सकता है इस दिशा में अभी तक कोई निर्णायक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आज तो स्थिति यह है कि विज्ञान जबतक कोई और नया चमत्कार न दिखला दे, तबतक मनुष्य को भूकंप की त्रासदी को किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ेगा। आशा है कि निकट भविष्य में विज्ञान कोई ऐसा चमत्कार दिखाएगा, जिससे मानव जाति इस त्रासदी से मुक्त हो सकेगी।

### मेरा जीवन लक्ष्य

“माँ, माँ, मैं ट्रेफ़िक पुलिसमैन बनूँगा।” मैं घर में घुसते ही चिल्लाया। माँ के साथ माँ की सखियाँ बैठी थीं। यह सुनते ही सभी हँस पड़ीं। माँ ने मुझे गोद में बैठाया और पूछा — “ट्रेफ़िक पुलिसमैन ही क्यों?” मैं तब चार वर्ष का था। पिता जी के साथ बाज़ार गया तो चौराहे पर ट्रेफ़िक पुलिसमैन को देखा। उसकी वर्दी और आगे-पीछे घूमती हुई गाड़ियों ने मुझे प्रभावित कर दिया और तभी शायद मन में ट्रेफ़िक पुलिसमैन बनने की इच्छा ने अँगड़ाई ली। कुछ और बड़ा हुआ तो अभिलाषा उत्पन्न हुई अभियंता बनने की, क्योंकि पिता जी अभियंता थे। घर में कोई चीज़ खराब हो, झट पिता जी के सामने हाज़िर। पिता जी भी उसे शीघ्र ठीक कर देते। तो क्यों न जगतीं ऐसी अभिलाषा! ट्रेफ़िक पुलिसमैन बनने की कामना तो न जाने कब से तिरोहित हो चुकी थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और उसी के साथ न जाने कितनी कामनाओं ने करवटें बदलीं। फिर एक समय ऐसा आया कि जाने-अनजाने ही मैंने अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित कर लिया। दादी माँ को रीज़ रामचरितमानस का पारायण करते देख, उसे पढ़ने की उत्सुकता हुई और आद्यंत पढ़ डाला। लगा यह एक कथा का ताना-बाना ही नहीं, इसमें तो जैसे सारा संसार समा गया है। सामाजिक-सांस्कृतिक स्थितियाँ, मानव-मूल्य, मानवीय संबंधों की गरिमा, प्रेम, दया, ईर्ष्या, द्वेष सभी तरह की भावनाएँ, कहीं कुछ भी तो अछूता नहीं रहा। इस एक ही रचना ने साहित्य पढ़ने की ललक उत्पन्न कर दी। पढ़ते-पढ़ते न जाने कब स्वयं आशु कवि बन बैठा और साहित्यकार बनना ही मेरा जीवन लक्ष्य बन गया।

मैं अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील हूँ। जब लक्ष्य सामने हो, आँखों में सपने हों, व्यक्ति में रुचि और प्रतिभा हो, परिस्थितियों से लड़ने का सामर्थ्य हो, तो लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग सहज हो उठता

है। इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे दी मेरे हिंदी अध्यापक ने। उन्होंने सदा मेरा मार्ग प्रशस्त किया और जब भी मैं मार्ग से भटकने लगता वे कवि दिनकर की पंक्ति दोहरा देते —

“थककर बैठ गए क्या भाई! मंज़िल दूर नहीं है।”

इन पंक्तियों को सुनकर मेरे मन में उत्साह की एक नई लहर दौड़ जाती। मेरे अध्यापक मुझे निरंतर पढ़ने की प्रेरणा देते, हर प्रकार का साहित्य मुझे लाकर देते और फिर उन पुस्तकों पर चर्चा करते। साहित्य पढ़कर ही मैंने सीखा कि किस प्रकार समाज की बनती-बिगड़ती स्थितियाँ साहित्यकार को निरंतर प्रभावित करती हैं। वह अपने आसपास की स्थितियों, समाज के गुण-दोषों, संस्कृति, मानव-मूल्यों और संवेदनाओं को अपने साहित्य का विषय बनाता है और अपनी लेखनी से यथार्थ का चित्र ही नहीं उकेरता अपितु आदर्श भी सामने रखता है, समाज को उचित दिशा भी देने का प्रयास करता है और ऐसा ही साहित्यकार युगातीत बनता है। कबीर, तुलसी, प्रसाद, प्रेमचंद जैसे साहित्यकार ऐसे ही हैं जिनकी रचनाएँ सदा ही पाठकवर्ग को प्रभावित करती रहेंगी।

इन महान साहित्यकारों का साहित्य मुझे सदैव ही श्रेष्ठ साहित्य रचना करने की प्रेरणा देता है। मैं भी ऐसे साहित्य का सृजन करना चाहता हूँ जो ‘सत्यं शिवं सुंदरम्’ को स्वयं में समाए हो, जो जन-जन की भावनाओं को वाणी दे सके और सुखी-स्वस्थ समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभा सके। मेरे साहित्य में तुलसी, प्रेमचंद-सी युगचेतना हो; सूर, प्रसाद जैसी कोमल मृदु भावनाएँ हों, निराला का निरालापन हो, महादेवी की संवेदना हो, दिनकर का ओज हो, पंत का प्रकृति प्रेम हो और साथ ही हो कबीर-सी सरल सहज नीति। मैं अपनी लेखनी से जन-मन में नव-चेतना का संचार कर सकूँ, शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर सकूँ, सामाजिक कुरीतियों का मूलोच्छेदन कर सकूँ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार कर सकूँ। कार्लाइल कहते हैं, “अपने जीवन का

एक लक्ष्य बनाओ और उसके बाद सारा शारीरिक और मानसिक बल, जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, उसमें लगा दो।” मैं उनके इस उपदेश पर अमल करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हूँ, उसके लिए प्रयत्नशील हूँ। मैं भले ही अभी एक विद्यार्थी हूँ, पर जिस प्रकार एक अच्छा अध्यापक जीवन भर एक विद्यार्थी बना रहता है, उसी प्रकार मैं भी जीवन भर एक विद्यार्थी बना रहना चाहता हूँ। सदा सीखता रहूँ और यही सीख साहित्यकार के रूप में अपनी रचनाओं द्वारा दूसरों को देता रहूँ, यही मेरी कामना है और यही है मेरा जीवन लक्ष्य।

### भारतीय संस्कृति : अनेकता में एकता

संस्कृति — सामाजिक संस्कारों का दूसरा नाम है जिसे कोई समाज विरासत के रूप में प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में संस्कृति एक विशिष्ट जीवन शैली है, एक ऐसी सामाजिक विरासत है जिसके पीछे एक लंबी परंपरा होती है।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम तथा महत्त्वपूर्ण संस्कृतियों में से एक है, किंतु यह कब और कैसे विकसित हुई, यह कहना कठिन है। प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इसकी प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। भारतीय संस्कृति के मूलरूप का परिचय हमें वेदों से मिलता है। वेदों की रचना ईसा से कई हजार वर्ष पूर्व हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का विवरण भी भारतीय संस्कृति की प्राचीनता पर प्रकाश डालता है। इसका इतना लंबा और अखंड इतिहास इसे महत्त्वपूर्ण बनाता है। मिस्र, यूनान और रोम आदि देशों की संस्कृतियाँ आज केवल इतिहास बन कर सामने हैं, जबकि भारतीय संस्कृति एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा के साथ आज भी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। महाकवि इकबाल के शब्दों में —

यूनान, मिस्र, रोमां सब मिट गए जहाँ से।

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।।

आखिर यह बात क्या है? भारत में समय-समय पर ईरानी, यूनानी, शक, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क, मंगोल आदि जातियाँ आईं लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में इन सभी को आत्मसात कर लिया और उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करके उन्हें अपने रंग-रूप में ऐसा ढाला कि वे आज भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। भारत ने वे सभी विचार, आचार-व्यवहार स्वीकार कर लिए जो उसकी दृष्टि में समाजोपयोगी थे। अच्छे विचारों को ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति ने कभी परहेज़ नहीं किया। विविध संस्कृतियों को पचाकर उन्हें एक सामासिक स्वरूप दे देना ही भारतीय संस्कृति के कालजयी होने का कारण है। 'अनेकता में एकता' ही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता रही है। कवि गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर ने भारत को 'महामानवता का सागर' कहा है। सचमुच महासागर है; यह — जाति, धर्म, भाषा-साहित्य, कला-कौशल आदि की अनेक सरिताओं द्वारा समृद्ध महामानवता का महासागर। संसार के सभी प्रमुख धर्म भारत में प्रचलित हैं। सनातन धर्म (हिंदू), जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इस्लाम, सिख सभी धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। भाषा की दृष्टि से यहाँ लगभग 150 भाषाएँ बोली जाती हैं। यहाँ 'ढाई कोस पर बोली बदले' वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। संसार के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के रूप में साहित्य की जो प्रथम धारा यहीं फूटी थी, वही समय के साथ संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, गुजराती, बँगला, तथा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि के माध्यमों से विकसित हुई और फ़ारसी तथा अंग्रेज़ी साहित्य ने भी उसे संपुष्ट किया।

नृत्य और संगीत के क्षेत्र में भी ग्रही समन्वय देखने को मिलता है। भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुडि, कथकली, मणिपुरी, कथक आदि सभी शैलियों को पौराणिक देवी-देवताओं के जीवन की घटनाओं से सजाया-सँवारा गया है। कथक नृत्य शैली में मुगल दरबार की संस्कृति का बड़ा सुंदर रूप देखने को मिलता है। भारतीय संगीत में भी हमें विविधता में

एकता के दर्शन होते हैं। सामगान से उत्पन्न भारतीय संगीत के विकास के पीछे भी समन्वय की एक लंबी परंपरा है। यह लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों को अपने में समेटे हुए है। हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत दोनों में ही अनेक लोकधुनों ने राग-रागिनियों के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। ईरानी संगीत का प्रभाव आज भी अनेक राग-रागिनियों और वाद्य यंत्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। हिंदुस्तानी संगीत की समृद्धि में तो अनेक मुस्लिम संगीतकारों का योगदान रहा है।

साहित्य और संगीत के समान भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला में भी विविधता में एकता दिखाई देती है। इससे भारत में आई विभिन्न जातियों की कला-शैलियों के पूरे इतिहास की झलक मिलती है। इसमें एक ओर तो शक, कुषाण, गांधार, ईरानी, यूनानी शैलियों से प्रभावित धाराएँ आ जुड़ी हैं तो दूसरी ओर इस्लामी और ईसाई सभ्यता से प्रभावित धाराएँ, किंतु ये सब धाराएँ मिलकर भारतीय कला को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती हैं।

भारत पर्वो-उत्सवों का देश है। हमारे पर्व-त्योहार अनेकता में हमारी सांस्कृतिक एकता को प्रतिबिंबित करते हैं। दीपावली, दशहरा, बैसाखी, पोंगल, ओणम, मकरसंक्रांति, गुरुपर्व, बिहू, ईद-उल-फ़ितर, ईदुज्जुहा, क्रिसमस, नवरोज़ आदि में भारतीय संस्कृति की इसी एकात्मकता के दर्शन होते हैं। इन सभी पर्व-त्योहारों ने हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। ये सभी भारतीय संस्कृति की एकता का जीवंत रूप प्रस्तुत करते हैं और हमें ये बार-बार अनुभव कराते हैं कि हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति मूलतः एक है।

देश के विभिन्न भागों में बसे लोग भाषा, धर्म, वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज़ आदि की दृष्टि से भले ही ऊपरी तौर पर एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद भारत एक सांस्कृतिक इकाई है।



वस्तुतः अनेकरूपता ही किसी राष्ट्र की जीवंतता, संपन्नता तथा समृद्धि का द्योतक है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि तथा गरिमा इसी अनेकता का परिणाम है। इस अनेकता ने ही धर्म, जाति, वर्ग, काल की सीमाओं से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति को एकात्मकता प्रदान की, महामानवता के एक सागर के रूप में प्रतिष्ठित किया।

### आतंकवाद

'राजधानी में बम विस्फोट : तीन व्यक्ति मरे दस घायल'; 'सीमा पार से दो आतंकवादी देश की सीमा में घुसे'; 'पोस्ट ऑफिस में एंथ्रैक्स का संदेश' जैसे अनेक समाचार आए दिन समाचारपत्रों, दूरदर्शन और रेडियो की सुर्खियाँ बने नज़र आते हैं। जहाँ देखो आतंकवाद का बोलबाला है। आतंकवाद की यह समस्या केवल भारत की ही नहीं है, सारे संसार की समस्या है। अल्बू निदाल, ओसामा बिन लादेन जैसे अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र-तस्कर और आतंकवादियों ने विश्व के लगभग सभी देशों को आतंकवाद का लक्ष्य बनाया है। संप्रति आतंकवाद एक भयंकर चुनौती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरा है। वह विश्व क्षितिज पर प्रलयकारी बादलों की भाँति छाया हुआ है और प्रतिक्षण मानव जाति के लिए संकट का वाहक बना हुआ है। कोई नहीं जानता कब किसके ऊपर उसकी गाज गिरे और विनाशलीला प्रकट हो जाए। हाल ही में अमरीका व भारत में कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

आतंक का अर्थ है 'भय'। आतंकवादी ऐसे किसी भी संगठन के सदस्य हो सकते हैं जो अपने किसी राजनैतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति विनाशकारी उपायों से करते हैं। वे निरीह लोगों की हत्या करके, सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट करके, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाकर समाज में आतंक फैलाते हैं। इस कारण मनुष्य हर क्षण संतप्त तथा भयाक्रांत बना रहता है।

आतंकवाद वस्तुतः अतिवाद का दुष्परिणाम है। आज के भौतिकवादी युग में अतिवाद की काली छाया इतनी बढ़ गई है कि चारों ओर असंतोष की स्थिति तेज़ी से बढ़ रही है। असंतोष की अभिव्यक्ति अनेक माध्यमों से होती है। आतंकवाद आज राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक अमोघ अस्त्र बन गया है। अपनी बात मनवाने के लिए आतंक उत्पन्न करने की पद्धति एक सामान्य नियम बन गई है। आज यदि शक्तिशाली देश निर्बल देशों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करता है तो उसके प्रतिकार के लिए आतंकवाद का सहारा लिया जाता है। उपेक्षित वर्ग भी अपना अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए आतंकवाद का मार्ग अपनाता है।

स्वार्थबद्ध संकुचित दृष्टि ही आतंकवाद की जननी है। क्षेत्रवाद, धर्मांधता, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक कारण, सांस्कृतिक टकराव, भाषाई मतभेद, आर्थिक विषमता, प्रशासनिक मशीनरी की निष्क्रियता और नैतिक हास अंततः आतंकवाद के पोषण एवं प्रसार में सहायक बनते हैं।

भारत को जिस प्रकार के आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है, वह भयावह और चिंतनीय इसलिए है क्योंकि उसके मूल में अलगाववादी और विघटनकारी तत्त्व काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद से ही देश के विभिन्न भागों में विदेशी शह पाकर आतंकवादी सक्रिय हो उठे थे। इसका दुष्परिणाम यह है कि आज कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग पाकिस्तानी कबाइलियों और उनके देश में आए पाक सैनिकों के हाथ पहुँच गया है। आज तो कश्मीर में आतंकवाद का प्रभाव इस सीमा तक बढ़ चुका है कि वहाँ के मूल निवासी शरणार्थी बनकर मारे-मारे फिर रहे हैं।

केवल कश्मीर ही नहीं अपितु नगा पहाड़ी क्षेत्र, मिज़ोरम, सिक्किम, पंजाब आदि आतंकवाद का शिकार रहे हैं। उत्तर-पूर्व राज्यों में भी आतंकवाद रह-रहकर उभरता रहता है। देश के कुछ भागों में नक्सली आतंकवादी आज भी सक्रिय हैं। फलस्वरूप हमेशा भय, आतंक और

तनाव का वातावरण बना रहता है। इसका अंत कब, कहाँ और किस प्रकार होगा? सरकार भी इस संबंध में कुछ निश्चित कह पाने में समर्थ नहीं। शासन व्यवस्था लूली-लँगड़ी-सी होकर रह गई है।

जहाँ-जहाँ आतंकवादियों का बोलबाला है, वहाँ-वहाँ की आम जनता का जीवन प्रायः ठप है। वहाँ अगर हलचल और सक्रियता दिखाई देती है तो बस आतंकवादियों के उग्र-घातक कार्यों में या फिर उन्हें दबाने और निष्क्रिय करने के कार्य में लगे सुरक्षा बलों और सेना की गतिविधियों में। आतंकवाद पशुता है, दानवता है। हर आतंकवादी संगठन मानवता का शत्रु है चाहे वह उल्फ़ा हो, लिट्टे हो, अथवा कश्मीरी उग्रवादी संगठन या तालिबान हो या अल-क्वायदा। मानवीय मूल्यों से रहित आतंकवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए जहाँ एक ओर तो आज संसार के सारे देशों को कटिबद्ध होकर शक्ति प्रयोग द्वारा इसका अंत करना होगा, वहीं दूसरी ओर इस असंतोष के कारणों तथा आम लोगों के नैतिक मूल्यों का विकास तथा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग तथा 'जय जगत' की संकल्पना को विकसित करना होगा। सौहार्द एवं मैत्री की अवधारणा को जन-मानस तक पहुँचाना होगा और इन सबसे ऊपर हमें जनता में इतना आत्मबल विकसित करना होगा कि वह असहाय, मूक और निरीह दर्शक बने रहने के बजाय स्वयं आगे आकर आतंकवाद से टक्कर ले।

### यदि मैं प्रधानमंत्री होता

समाचार पत्र उठाते ही अकसर आपको प्रधानमंत्री के दर्शन हो जाते हैं। रेडियो या टी. वी. चलाइए — प्रधानमंत्री का भाषण, देश के नाम संदेश, किसी समसामयिक समस्या पर चर्चा या उनका साक्षात्कार चल रहा होगा। प्रधानमंत्री यानी जिसके कंधे पर देश का भार होता है, जो शासन

का मुखिया होता है, जिस पर पूरे राष्ट्र के कल्याण का दायित्व होता है। प्रधानमंत्री जनता का सर्वप्रमुख नेता होता है।

प्रधानमंत्री का पद जितना बड़ा है उसका उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा होता है। आखिर इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी-बड़ी समस्याएँ! कैसे निभा पाते होंगे ये सब! किस मिट्टी के बने होते हैं ये प्रधानमंत्री! न दिन को चैन न रात को नींद। मेरे मस्तिष्क में अकसर इस तरह की उधेड़-बुन चला करती है। इसी उधेड़-बुन में न जाने कब मेरे मन में इस महत्त्वाकांक्षा ने जन्म ले लिया कि काश! मैं भी देश का प्रधानमंत्री होता। मैं प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा।

विश्व के जाने-माने प्रधानमंत्रियों के चेहरे इतिहास की पुस्तक से निकलकर मेरी आँखों के सामने घूमने लगे — चर्चिल, नेहरु, भंडारनाइके, मार्गरेट थैचर, शास्त्री, इंदिरा गांधी और न जाने कौन-कौन। इतिहास साक्षी है कि इन्होंने कितने बड़े-बड़े काम किए थे। क्या सौम्य व्यक्तित्व था नेहरु जी का — कोट के बटन में लगा लाल गुलाब और गुलाब-सा खिला चेहरा, आकर्षक नाक-नकश, रोबदार आवाज़ और बच्चों-सी मासूम मुसकान। बच्चों के बीच बच्चे और आम आदमी की मजलिस में ज़िंदादिल, खुशमिज़ाज इंसान। मैंने सोच लिया है कि यदि प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले ऐसे वातावरण का निर्माण करूँगा जिसमें आम आदमी उतनी ही आसानी से मुझ तक पहुँच सके, जितनी आसानी से नेहरुजी तक पहुँचा जा सकता था।

बच्चे तो देश के भविष्य हैं। उन्हें ही पढ़-लिख कर देश को आगे ले जाना है। अतः सबसे बड़ी आवश्यकता है उन्हें हर तरह के भय से मुक्त करने की। बच्चों का बचपन न मुरझाए, मैं इसका पूरा प्रयास करूँगा। इसके लिए मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाऊँगा। शिक्षा बच्चों के लिए बोझ या मजबूरी न होकर, उनकी रुचि और आवश्यकतानुसार हो। शिक्षा पारंपरिक पाठ्यक्रम के बंधन से मुक्त हो, बच्चों के सर्वांगीण

विकास का माध्यम बने, मैं इसी दिशा में प्रयत्नशील रहूँगा। शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में न किसी प्रकार का भेद-भाव होगा, न ही धन की कोई मजबूरी।

हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। इसके बावजूद हमारी सभ्यता-संस्कृति सदा से समन्वयवादी रही है। आज समाज में अलगाववाद, संप्रदायवाद और आतंकवाद का जो ज़हर फैल रहा है, उसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य झूठे आर्डबरो को ही धर्म मानकर उसके नाम पर घृणा और हिंसा को जन्म दे रहा है। आवश्यकता है उसे उसके प्राचीन मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं से पुनः परिचित कराने की। इसका सबसे उत्तम साधन शिक्षा ही है। अतः मैं निश्चय ही शिक्षा को अनिवार्य और मूल्यपरक बनाऊँगा।

हमारे देश का युवावर्ग भी अनेक समस्याओं का शिकार हो रहा है। बढ़ते भ्रष्टाचार, बेकारी और पश्चिमी सभ्यता के भौतिकवादी दृष्टिकोण के प्रभाव ने उसकी प्रतिभा और क्षमता को धूमिल कर दिया है। इस दिशा में मैं सर्वप्रथम अपना ध्यान प्रतिभा पलायन को रोकने पर दूँगा। मेरी सरकार देश में कार्य के ऐसे अधिक से अधिक अवसर जुटाने का प्रयास करेगी जिससे युवा वर्ग में बढ़ते असंतोष को कम किया जा सके और देश को उनकी प्रतिभा तथा क्षमता का पूरा लाभ मिल सके।

हमारे देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। मैं जानता और समझता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश के प्रत्येक व्यक्ति की सभी आवश्यकताएँ पूरी करना एक कठिन कार्य है। किंतु यह भी हमारे लिए लज्जाजनक है कि आज भी लोग गरीबी और भूख से मरते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अनाज की कमी है, बस उसका उचित बँटवारा नहीं हो पा रहा। मेरी सरकार इस दिशा में पूरा प्रयास करेगी कि कम-से-कम प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ अवश्य पूरी हो सकें।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता आज भी गाँवों में रहती है। कृषि-उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीणों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए ग्राम-पंचायतों को और अधिक स्वायत्तता तथा अधिकार प्रदान किए जाएँगे।

जनसंचार के बढ़ते साधनों ने संसार के देशों के बीच की दूरियाँ कम कर दी हैं। आज प्रत्येक देश को उन्नति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है और वे एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। हम भी सभी देशों से शांतिपूर्ण मैत्री संबंध रखना चाहते हैं। किंतु यदि कोई देश हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है या हमारी सीमाओं को लाँघने का प्रयास करता है तो वह हमें कदापि सह्य नहीं होगा। मेरी सरकार इस ओर पूर्ण रूप से सचेत रहेगी कि कोई विदेशी ताकत हमारी सीमाओं में न घुसने पाए।

भारत प्राचीन काल से 'जिओ और जीने दो' और 'वसुधैव कुटुंबकम्' में विश्वास रखता आया है। किंतु जो लोग आतंकवाद के माध्यम से देश को कमज़ोर बनाने व अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, मेरी सरकार उन्हें बलपूर्वक समाप्त करने से पीछे नहीं हटेगी। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हमारा देश संसार की एक बड़ी शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सके।

उद्योग तथा व्यापार देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। देश को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के रहते हुए भी मैं और मेरी सरकार गैर-सरकारी क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी ताकि आज के प्रतियोगिता के युग में देश अन्य देशों के सम्मुख मज़बूती से खड़ा रह सके।

विश्व समाज का ज़िम्मेदार सदस्य होने के नाते मेरी सरकार विश्व की साझा समस्याओं; जैसे — पर्यावरण प्रदूषण या युद्धों का निवारण आदि के प्रति पूर्णरूपेण जागरूक होगी और इनसे निपटने के उपायों पर पूरा अमल करेगी ताकि धरती पर जीवन शेष रह सके।

मेरे प्रधानमंत्री होने पर मेरा भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। चारों ओर खुशहाली और समृद्धि, आपसी प्रेम, भाईचारे और सहयोग का राज होगा। मानव का धर्म होगा — मानव सेवा। भारत की प्राचीनकाल से चली आ रही विश्व के आध्यात्मिक गुरु की छवि पुनः निखर उठेगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का विधान करते हुए मानव का कल्याण होगा। कांश! मुझे प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले।

### पर्यटन का महत्त्व

मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। वास्तव में मानव की प्रगति का इतिहास उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का ही परिणाम है। अपनी जिज्ञासा के कारण ही वह प्रकृति के गूढ़ रहस्यों का पता लगा सका। नया कुछ जान लेने की इच्छा उसे एक ओर समुद्र की अतल गहराइयों तक ले गई तो दूसरी ओर अंतरिक्ष की असीम ऊँचाइयों तक। नई-नई वस्तुओं का आविष्कार, ज्ञान-विज्ञान के नए-नए आयामों का अन्वेषण, नित नए-नए सिद्धांतों का प्रतिपादन ये सब मनुष्य की जिज्ञासा के कारण ही संभव हुआ है।

देश-विदेश की यात्रा की ललक के पीछे भी मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति ही काम करती आई है। देश-देशांतर की संस्कृति, सभ्यता, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक विशेषताओं के प्रत्यक्ष ज्ञान की जिज्ञासा ही उसे घर के ऐशो-आराम, सुख-सुविधा छोड़कर अनजान, दुर्गम और बीहड़ रास्तों पर घुमाती रही है। यदि मनुष्य चाहता तो वह घर बैठे ही पुस्तकों द्वारा यह जानकारी प्राप्त कर लेता, किंतु पुस्तकों से प्राप्त जानकारी का आनंद कुछ ऐसा ही होता है जैसे किसी चित्र को देखकर हिमालय के घने देवदार के वनों और हिमगिरि के उत्तुंग शिखर के सौंदर्य, रूप, गंध का अनुभव करना। यदि आदिम-पुरुष एक जगह,

नदी या तालाब के किनारे एक ही स्थान पर पड़ा रहता, तो हमारी यह दुनिया आगे नहीं जा पाती। एक स्थान पर टिके न रहने के कारण ही उसे घुमक्कड़ कहा गया है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में 'घुमक्कड़ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है इसलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। अगर घुमक्कड़ों के काफ़िले न आते-जाते, तो सुस्त मानव-जातियाँ सो जातीं और पशु स्तर से ऊपर नहीं उठ पातीं।'

पर्यटन, घुमक्कड़ी का ही आधुनिक नाम है। आज के पर्यटन के पीछे भी मनुष्य की वही पुरानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति का प्रभाव है। आज भी जब वह देश-विदेश के विभिन्न स्थानों की खूबियों के बारे में जब सुनता-पढ़ता है, तो उन्हें निकट से देखने, जानने के लिए उत्सुक हो उठता है और वह अपनी सुविधा और अवसर के अनुसार उस ओर निकल पड़ता है। आदिम घुमक्कड़ और आज के पर्यटक में इतना अंतर अवश्य है कि आज पर्यटन उतना कष्ट-साध्य नहीं है जितनी घुमक्कड़ी थी। ज्ञान-विज्ञान के आविष्कारों, अन्वेषणों की जादुई शक्ति के प्रताप से सुलभ साधनों के कारण आज पर्यटन पर निकलने के लिए अधिक सोच-विचार की आवश्यकता नहीं होती। मात्र सुविधा और संसाधन चाहिए, किंतु इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि पर्यटक बनने का जोखिम भरा आनंद तो उन पर्यटकों को ही आया होगा जिन्होंने अभावों और विषम परिस्थितियों से जूझते हुए देश-विदेश की यात्राएँ की थीं। फाह्यान, ह्वेनसांग, अल बेरुनी, इब्नबतूता, मार्को पोलो आदि ऐसे ही यात्री रहे होंगे।

पर्यटन के साधनों की सहज सुलभता के बावजूद आज भी पर्यटकों में पुराने ज़माने के पर्यटकों की तरह उत्साह, धैर्य, साहसिकता, जोखिम उठाने की तत्परता होनी चाहिए।

आज पर्यटन एक राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। इस उद्योग के प्रसार के लिए देश-विदेश में पर्यटन मंत्रालय बनाए गए हैं। विश्वभर में पर्यटकों की सुविधा के लिए बड़े-बड़े पर्यटन-



स्थल विकसित किए जा रहे हैं। कई महत्त्वपूर्ण, पर अब तक उपेक्षित ऐतिहासिक स्थलों को सजाया-सँवारा जा रहा है। हमारे देश का पर्यटन विभाग, पुरातत्त्व विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में विशेष क्रियाशील है। मनोरम पहाड़ी स्थलों पर पर्यटक आवास स्थापित किए जा रहे हैं, पर्यटकों के निवास और भोजन आदि की व्यवस्था के लिए नए-नए होटलों, लॉजों और पर्यटन-गृहों का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है। यातायात के सभी प्रकार के सुलभ एवं आवश्यक साधनों की व्यवस्था की जा रही है।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सभी देश अपने दूतावासों के माध्यम से अपने-अपने देश की भव्यता, दर्शनीयता के बारे में विदेशों में व्यापक एवं सुनियोजित प्रचार करते हैं। इस प्रकार पर्यटन-संस्कृति का विकास हो रहा है। इतना ही नहीं, आज पर्यटन पर्याप्त मुनाफ़ा देने वाला उद्योग बन चुका है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बड़ा स्रोत बन गया है। जैसे उद्योगपति या व्यापारी अपनी वस्तु की बिक्री के लिए विज्ञापनबाजी करता है, उसी तरह पर्यटन को भी एक वस्तु बनाकर उसका प्रदर्शन और प्रचार किया जा रहा है। इसके लिए रंगीन पुस्तिकाएँ, आकर्षक पोस्टर, सतरंगे ब्रोशर, पर्यटन स्थलों के रंगीन चित्र, उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत ब्योरा आदि प्रचार सामग्री विमानपत्तनों, रेलवे स्टेशनों, बड़े-बड़े होटलों और देश-विदेश के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर देखी जा सकती हैं। इसे निःशुल्क वितरित एवं प्रदर्शित किया जाता है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार के आयोजन भी किए जाते हैं; जैसे — विदेशों में किसी देश या स्थान विशेष की कलाएँ, कलात्मक दृश्य, सांस्कृतिक संस्थाओं की प्रदर्शनियाँ, गोष्ठियाँ, विभिन्न स्तरों पर सभाएँ और चर्चाएँ आदि।

पर्यटन के प्रति रुचि जाग्रत करने के लिए कई बार वृत्तचित्र भी तैयार किए या करवाए जाते हैं। इसमें किसी एक विशिष्ट स्थल की झाँकी

प्रस्तुत की जाती है। विशेष स्थलों या प्रदेशों में बने कथाचित्र भी प्रदर्शन के बाद लोगों के मन में प्रदर्शित स्थल को देखने की लालसा जगा देते हैं। कई बार देश-विदेश में भ्रमण करने वाली नृत्य-संगीत आदि की मंडलियाँ भी इस कार्य में सहायक होती हैं। इन सबके परिणामस्वरूप आज पर्यटन के प्रति निश्चय ही अभिरुचि की वृद्धि हो रही है।

आनंद प्राप्ति, जिज्ञासा की शांति, बढ़ती आय के अतिरिक्त पर्यटन के और भी कई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ हैं। पर्यटन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीयता की समझ जन्म लेती है और विकसित होती है। प्रेम और मानवीय भाईचारा बढ़ता है। सभ्यता-संस्कृतियों का परिचय मिलता बढ़ता है। पर्यटन के माध्यम से किसी देश और उसकी संस्कृति के संबंध में फैली भ्रांतियों का भी निराकरण हो जाता है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय युग में जी रहे हैं। आज जिस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, पर्यटन उसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पर्यटन से व्यक्ति अपने खोल से बाहर निकलना सीखता है, उसे अपनी वास्तविकता का अहसास होता है। अपने पर्यावरण से बाहर कठिन परिस्थितियों में जीने का अभ्यास होता है। आत्म-साक्षात्कार का अवसर मिलता है। पर्यटन उस एकरसता से उत्पन्न ऊब का भी परिहार करता है जो एक ही स्थान पर, एक जैसे ही वातावरण में लगातार रहने से उत्पन्न हो जाती है। पर्यटन मनुष्य को उसकी कल्पना की दुनिया से निकालकर यथार्थ की भूमि से जोड़ता है। अब उसके मनचाहे स्थलों की शोभा-सुषमा, उनकी सुंदरता की कल्पना सुनी-सुनाई बातों पर ही निर्भर नहीं करती अपितु स्वयं उसकी आँखों के सामने होती है और वह उनका दर्शन करके अपनी कल्पना को साकार करता है।

## कतिपय निबंधों की रूपरेखा

### 1. मेरा देश — भारत

1. भारत की भौगोलिक स्थिति
2. भारत का गौरवशाली इतिहास
3. प्राकृतिक बनावट, जलवायु, खान-पान, वेश-भूषा, संस्कृति की दृष्टि से विविधताएँ
4. विविधता में एकता
5. विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश
6. विविध धर्मों एवं मज़हबों के बावजूद भारत एक धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र
7. बहुभाषी देश
8. भारतीय संस्कृति का महत्त्व
9. भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति — शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में आस्था।

### 2. जीवन में खेल-कूद का महत्त्व

1. खेल-कूद प्रकृति का विधान
2. शारीरिक विकास के लिए खेल-कूद आवश्यक
3. विद्यालयों में खेल-कूद की स्थिति
4. खेल-कूद से लाभ
5. खेल-कूद से आत्मविश्वास की भावना का विकास
6. विद्यार्थियों के लिए खेल-कूद का महत्त्व
7. खेल-कूद ऊब, थकावट दूर करने में सहायक
8. सरकार का खेल-कूद पर अधिक ध्यान देना
9. जनपद, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल-कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन।

### 3. मेरा प्रिय खेल — फुटबाल

1. खेलों का महत्त्व
2. फुटबाल — एक सस्ता, लोकप्रिय और आधुनिक खेल
3. साधन — केवल एक गेंद और समतल मैदान
4. मैदान की लंबाई 103.5 मी., चौड़ाई 67.5 मीटर (आयताकार मैदान), खिलाड़ियों की संख्या दोनों टीमों में 11-11
5. मैदान के दोनों सिरों के बीचोंबीच दो खंभे गाड़कर दोनों ओर दो गोल स्थान बनाना
6. खिलाड़ियों का मुख्य उद्देश्य होता है — गेंद को पैरों से ठोकर मारकर गोल स्थान के बीच में पहुँचाना
7. हर टीम में एक गोलरक्षक
8. खेल में गेंद का हाथ से छूना, किसी खिलाड़ी को धक्का देना, पकड़ना, ठोकर मारना या खेल में किसी प्रकार का नियम-विरुद्ध व्यवधान पहुँचाना
9. उपसंहार — सस्ता और लोकप्रिय खेल।

### 4. अनुशासन

1. अनुशासन का अर्थ और उसका महत्त्व
2. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन का स्थान
3. अनुशासन की प्रथम पाठशाला — परिवार
4. अनुशासन — जीवन, परिवार, देश और समाज की उन्नति का आधार
5. व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन — दोनों के लिए अनुशासन आवश्यक
6. अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम
7. अनुशासन एक जीवनमूल्य।

### 5. पर्वतीय सौंदर्य

1. पर्वतीय सौंदर्य का महत्त्व
2. पर्वतीय सौंदर्य के प्रति मानव का प्रेम
3. पर्वतीय सौंदर्य के संरक्षण के प्रति जनता का कर्तव्य
4. पर्वतीय सौंदर्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकारी प्रोत्साहन
5. पर्वत, पशु-पक्षी, नदियाँ, वन और वहाँ के मानव के विषय में बताना
6. पर्वतीय सौंदर्य — मानव के लिए लाभप्रद
7. उपसंहार।

### (ग) सार लेखन

किसी गद्यांश के मुख्य भावों या विचारों को छोड़े बिना संक्षेप में लिखना सार कहलाता है। इसे अंग्रेज़ी में 'प्रेसी राइटिंग' कहते हैं। कुछ लोग इसे 'संक्षेपण' भी कहते हैं। सामान्य रूप से किसी बड़े लेख, निबंध, विवरण, प्रतिवेदन आदि को संक्षेप में लिखने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे पाठक को बिना पूरा लेख या विवरण पढ़े इसके मुख्य तथ्य समझ में आ जाएँ। सार मूल का प्रायः एक तिहाई होता है। आज के युग में जब मनुष्य के पास समय का बहुत अभाव है, कार्यालयों, समाचारपत्रों, पत्र-पत्रिकाओं और प्रशासन में सार का महत्त्व बढ़ जाता है।

सार लेखन अपने में एक तकनीक है। इसलिए सार लेखन के कुछ नियमों को जान लेना ज़रूरी है जो इस प्रकार हैं —

1. मूल पाठ को दो-तीन बार पढ़ा जाए ताकि पाठ के अर्थ का बोधन हो सके।
2. पाठ के मुख्य भावों और विचारों का चयन कर उन्हें रेखांकित किया जाए। इससे सार लेखन में आसानी होती है।

3. इन मुख्य भावों और विचारों को अपनी भाषा में लिखना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाए कि इसकी शैली अलंकृत न हो और न ही मुहावरों और कहावतों का प्रयोग हो।
4. वर्णनात्मक वाक्यों को सूत्र रूप में अथवा समस्त पदों में देने का प्रयास किया जाए।
5. प्रत्यक्ष कथन के स्थान पर परोक्ष कथन दिया जाता है। यह कथन अन्य पुरुष में होना अपेक्षित है।
6. सार लेखन में अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें पुनरुक्ति दोष से बचने की अपेक्षा रहती है।
7. यदि आवश्यक हो तो सार लेखन का शीर्षक भी देना उचित होगा। यह भी ध्यान रखा जाए कि शीर्षक यथासंभव छोटा हो और अपनी भाषा में हो।
8. इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि संक्षेप करते समय पाठ की कोई आवश्यक बात न छूट जाए। साथ ही स्पष्टता, क्रमबद्धता और पूर्णता का भी ध्यान रखा जाए।
9. सार लेखन के बाद इसे दो-तीन बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए जिससे यदि उसमें कोई दोष हो तो उसे दूर किया जा सके। अंत में मूल पाठ से एक बार उसकी तुलना की जानी चाहिए जिससे यह मालूम हो सके कि कोई आवश्यक तथ्य छूट तो नहीं गया।

### सार लेखन के नमूने

#### नमूना 1

#### मूल पाठ

आज मानव के सामने एक बड़ा प्रश्न उपस्थित हो गया है कि विज्ञान के नित-नए आविष्कारों के कारण बदली हुई यह स्थिति उसके लिए वरदान होगी या अभिशाप? यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है कि एक ओर जहाँ

मानव विज्ञान का उपयोग अपने कल्याण के लिए कर रहा है वहीं दूसरी ओर भयंकर अस्त्र-शस्त्रों द्वारा मानव की सभ्यता, संस्कृति और उसकी अबतक अर्जित समस्त पूँजी को भस्मीभूत कर देने की तैयारी भी कर रहा है। आज एक देश दूसरे देश को वैज्ञानिक शक्ति के आधार पर दबा रहा है। जिस देश के पास जितनी अधिक वैज्ञानिक शक्ति है, वही देश अपने को गौरवान्वित मान रहा है। अमरीका, रूस आदि राष्ट्र विश्व में इसलिए आगे हैं, क्योंकि उनके पास वैज्ञानिक उपकरण अधिक हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे अणुबमों का भी आविष्कार किया है जिनका दुर्भाग्यवश यदि कभी विस्फोट हुआ तो देश-के-देश मृत्यु के गर्त में चले जाएँगे।

कुछ लोग विज्ञान को इसलिए अभिशाप मानते हैं कि इसने बड़े-बड़े संहारक अस्त्रों को जन्म दिया है। इतने प्रकार के घातक हथियारों का निर्माण किया गया है कि सारे संसार को मिनटों में नष्ट किया जा सकता है। हथियारों की यह दौड़ विज्ञान के कारण नहीं, बल्कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के कारण है। विश्व का असंतुलित विकास, गरीब और अमीर देशों में दुनिया का विभाजन तथा विकसित पूँजीवादी देशों द्वारा अल्पविकसित देशों पर प्रभुत्व बनाए रखने की महत्त्वाकांक्षा ने इस विकार को जन्म दिया है। इसलिए विज्ञान को अभिशाप होने से बचाने के लिए विश्व व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। नई व्यवस्था में हथियारों की होड़ समाप्त होगी और विज्ञान अभिशाप कहलाने के कलंक से बच जाएगा।

### **शीर्षक : विज्ञान — वरदान या अभिशाप**

**सार** — मनुष्य जहाँ विज्ञान का उपयोग अपने लाभ के लिए कर रहा है वहीं वह इस प्रकार के अस्त्र-शस्त्र भी बना रहा है, जिनसे मानव-सभ्यता और संस्कृति का विनाश हो सकता है। आज वे ही राष्ट्र विकसित और

शक्ति संपन्न हैं, जिनके पास उच्च वैज्ञानिक उपकरण हैं। विकसित राष्ट्रों ने बड़े-बड़े संहारक अस्त्रों का निर्माण किया है जिनसे सारे संसार को मिनटों में नष्ट किया जा सकता है।

आज विज्ञान अभिशाप इसलिए बन गया है क्योंकि सारा विश्व विकसित और अविकसित राष्ट्रों में बँटा हुआ है और थोड़े से विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को बदलकर ही हम विज्ञान को वरदान बना सकते हैं।

## नमूना 2

### मूल पाठ

समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता, उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक है कि केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता का पताका फहरा सकता है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकता है। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय प्रसिद्ध हैं, ठीक उसी प्रकार साहित्य तथा अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रकृति समन्वय की ओर रही है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख-दुख, उत्थान-पतन, हर्ष-विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने में है। साहित्य के किसी अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात-प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है, जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दुखांत नाटक इसीलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं।



यदि आजकल ऐसे नाटक दिखाई पड़ने लगे हैं, तो वे भारतीय आदर्श से दूर और यूरोपीय आदर्श के अनुकरण मात्र हैं।

### **शीर्षक : भारतीय साहित्य की विशेषता — समन्वय**

**सार** — भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी एवं मौलिक विशेषता उसके मूल में विद्यमान समन्वय की भावना है। यहाँ के साहित्य का चरम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, जिसमें सुख-दुख दोनों का सम्मिश्रण रहता है। आजकल जो कभी-कभी दुखांत साहित्य दिखाई पड़ने लगे हैं, उसका कारण पश्चिम की नकल है।

### **(घ) प्रतिवेदन लेखन**

(रिपोर्ट लेखन)

विद्यालयों या कार्यालयों में समय-समय पर कुछ कार्यक्रम, समारोह और निरीक्षण आदि होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों के पूरा हो जाने के बाद उनका क्रमबद्ध विवरण तैयार करना अकसर ज़रूरी हो जाता है। इस क्रमबद्ध विवरण को 'प्रतिवेदन' कहते हैं। प्रतिवेदन के द्वारा पाठक को यह पता लग जाता है कि कार्यक्रम किस प्रकार संपन्न हुआ, किन-किन लोगों ने उसमें भाग लिया, किसने क्या-क्या कहा और किस हद तक वह सफल हुआ। इन्हीं प्रतिवेदनों के आधार पर भावी कार्यक्रमों को बनाने में सावधानी बरती जाती है।

प्रतिवेदन लिखने की एक खास प्रणाली होती है। कम-से-कम शब्दों में कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं का उसमें उल्लेख होता है। तिथि, स्थान तथा प्रतिभागियों के नामों का पूरा उल्लेख होना चाहिए। घटनाओं का क्रमवार वर्णन होता है। प्रतिवेदनों को या तो उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है या रिकार्ड के रूप में रखा जाता है अथवा समाचारपत्र में प्रकाशन के लिए भेजा जाता है।

विद्यालय में होने वाली अनेक घटनाओं के संबंध में इस प्रकार के प्रतिवेदन लिखाए जा सकते हैं; जैसे — वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण समारोह, गणतंत्र दिवस समारोह, स्वतंत्रता दिवस समारोह, क्रिकेट मैच, खेल प्रतियोगिताएँ, कवि गोष्ठी, नाटक। नीचे नमूने के रूप में दो प्रतिवेदन दिए जा रहे हैं —

### प्रतिवेदन का नमूना 1

#### गणतंत्र दिवस समारोह

#### भारती विद्यालय, लखनऊ

इस वर्ष 2001 में 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारती विद्यालय, लखनऊ में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन शिक्षा विभाग के निदेशक श्री रमेश यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। सबसे पहले मुख्य अतिथि ने झंडा फहराया, फिर सामूहिक राष्ट्रगान हुआ और फिर विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने मुख्य अतिथि के स्वागत में एक समूहगान प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य श्री दामोदरन ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय की शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। सर्वप्रथम उन्होंने गणतंत्र दिवस के महत्त्व पर प्रकाश डाला और कहा कि अभी तक हम राजनैतिक दृष्टि से विश्व के उन्नतशील देशों के बराबर नहीं आ सके हैं। यह कार्य हमें और हमारी आगामी पीढ़ी को करना है। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण करवाया गया।

मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता के विकास में छात्रों के योगदान पर प्रकाश डाला और छात्रों को प्रेरित किया कि वे समाज-सेवा के कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लें और साथ ही मन लगाकर पढ़ें, जिससे विद्यालय का नाम रोशन हो।

मुख्य अतिथि के भाषण के पश्चात उपप्रधानाचार्य महोदय ने मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, सभी आमंत्रित अतिथियों, शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को धन्यवाद दिया। समारोह के अंत में सभी लोगों ने जलपान का आनंद लिया।

## प्रतिवेदन का नमूना 2

### वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता

#### रामकृष्ण केंद्रीय विद्यालय, मथुरा

इस वर्ष की वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता 3 जनवरी 2001 को संपन्न हुई। इसमें ज़िले के चार अन्य स्कूलों के विजेता प्रतिभागियों ने भी भाग लिया। कुल मिलाकर प्रतिभागियों की संख्या 125 थी। इतनी ही संख्या में छात्र-छात्राओं के अभिभावक तथा अध्यापक आदि भी आए थे।

मैदान में चारों ओर बहुत अच्छी सजावट की गई थी। संगीत की धुन मैदान में गूँज रही थी और बैंड भी बज रहे थे। एक स्थान पर विजेताओं के कप और शील्ड सजा कर रखे हुए थे।

कुल मिलाकर 25 से भी ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें शामिल थे — दौड़ (100 मीटर की, 200 मीटर की, 400 मीटर की और एक किलोमीटर की), रिले रेस, हर्डल रेस, टेबल टेनिस, बास्केट बॉल, म्यूज़िकल चेयर, शतरंज, तैराकी आदि। इनमें से कई कार्यक्रम इससे पहले ही संपन्न हो चुके थे।

सभी कार्यक्रमों में दर्शकों ने तालियाँ बजाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। चारों ओर हर्ष-उल्लास का वातावरण था। रामकृष्ण केंद्रीय विद्यालय ने सबसे अधिक 51 पुरस्कार जीते। अन्य तीन विद्यालयों ने क्रमशः 15, 14, 12 पुरस्कार जीते।

जब विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए तो दर्शकों ने तालियाँ बजाईं और उनका जय जयकार किया।

प्रतियोगिता समारोह के अंत में प्रधानाचार्य ने समारोह के मुख्य अतिथि जिलाधीश श्री रुद्र प्रताप सिंह का परिचय कराया और स्वागत किया। जिलाधीश महोदय ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही उनमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी आती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

प्रधानाचार्य ने वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागी-विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और छात्रों को धन्यवाद दिया और मुख्य अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया।

अंत में सभी प्रतिभागियों ने प्रीतिभोज में भाग लिया।

### (ड) अपठित बोध

किसी भी भाषा को सीखने के क्रम में तथा ज्ञान-विज्ञान के विस्फोट के इस युग में जानकारी प्राप्त करने में पठन कौशल एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करता है।

विभिन्न प्रकार के विषयों की सामग्री को आत्मसात करने के लिए आवश्यक है कि छात्र उस सामग्री को पढ़े, पढ़कर समझे, उस पर चिंतन-मनन करे और फिर उस पर शुद्ध, स्पष्ट एवं सुसंगत रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। इसके लिए अर्थग्रहण का अभ्यास आवश्यक है। अर्थग्रहण का यह अभ्यास दो प्रकार से किया जा सकता है — पूर्वपठित सामग्री के माध्यम से तथा किसी अपठित सामग्री को आधार बनाकर। इन दोनों प्रकार की सामग्री का अपना-अपना महत्त्व है, किंतु अर्थग्रहण की योग्यता के मूल्यांकन में अपठित सामग्री की अपनी एक विशिष्ट उपयोगिता है।

विद्यालयी स्तर पर अर्थग्रहण के मूल्यांकन के लिए पठित सामग्री प्रायः पाठ्यपुस्तक से संबंधित होती है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान

छात्र उस सामग्री के एकाधिक बार संपर्क में आ चुका होता है और फलस्वरूप वह सामग्री छात्र के पूर्वज्ञान का एक अंश बन जाती है। ऐसी स्थिति में पठित सामग्री के माध्यम से छात्र के अर्थग्रहण परीक्षण को पूरी तरह उसकी अर्थग्रहण योग्यता का निरपेक्ष परिचायक नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत अपठित सामग्री छात्र के पूर्वानुभव का अंग नहीं होती, अतः उसके आधार पर मूल्यांकन से छात्र की स्वतंत्र सोच-समझ पर आधारित अर्थग्रहण योग्यता को उजागर किया जाता है। इस कारण यह माध्यम पठित सामग्री की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

अपठित गद्यांश की सामग्री के अंतर्गत लेख, निबंध, समाचार, विज्ञापन आदि हो सकते हैं। अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएँ —

- पूछे गए प्रश्नों में अंतर्निहित उद्देश्य को समझकर ही प्रश्नों के उत्तर खोजे जाएँ।
- प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत सामग्री में निहित रहते हैं इसलिए गद्यांश को दो-तीन बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
- अपने उत्तरों को प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित रखना चाहिए। विषय से संबंधित पूर्वप्राप्त अन्य जानकारी के उल्लेख से बचना चाहिए, क्योंकि अर्थबोध परीक्षण का आधार प्रस्तुत सामग्री ही है।
- उत्तर लिखते समय सरल, सुबोध, सहज भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। यथासंभव अपठित गद्य में प्रयुक्त शब्दावली के प्रयोग से बचें। नीचे अपठित गद्यांशों और तत्संबंधी प्रश्नोत्तरों के दो उदाहरण दिए जा रहे हैं —

### उदाहरण 1

तुम अपने जीवन के आगे काल्पनिक प्रश्नचिह्न क्यों लगाते हो? जो उपस्थित नहीं उससे भय क्या? अगर तुम्हारी कल्पना में शंकाओं एवं

संदेहों के आने का मार्ग है तो इसे बंद कर दो और दूसरी ओर की खिड़की खोल लो, जिसमें से उत्साह, आशा व सफलता की बहार आती है। भिखमंगों के डर से क्या तुमने रोटी पकाना छोड़ दिया है? मृत्यु के डर से यदि तुम जीना नहीं छोड़ते तो कठिनाइयों के डर से कार्य न करना कौन-सी बुद्धिमत्ता है? उस नाविक को देखो जो समुद्र में नाव खेने चला है। उसे मालूम है कि समुद्र की लहरों के थपेड़ों से उसकी नाव चकनाचूर हो सकती है, आँधी से पाल तार-तार हो सकता है, मस्तूल गिरकर टूट सकता है, पर इन सबसे घबराकर क्या वह समुद्र में जाना छोड़ दे? समुद्र कितना ही विशाल क्यों न हो पर उसकी विशाल साहसी भुजाओं का मुकाबला कर सकने की शक्ति उसमें नहीं है। इसलिए तुम भी संसार की कर्मस्थली में उतर आओ, अन्यथा चिंता एवं निराशा के सागर में डूब जाओगे।

### प्रश्न

1. काल्पनिक प्रश्नचिह्न से क्या अभिप्राय है?
2. लेखक ने नाविक के दृष्टांत द्वारा क्या प्रेरणा दी है?
3. लेखक ने मनुष्य को विपत्तियों में हतोत्साह न होने के लिए कौन-कौन से दृष्टांत दिए हैं?
4. समुद्र मनुष्य की विशाल शक्ति का मुकाबला करने में क्यों अक्षम है?

### उत्तर

1. किसी समस्या के न होने पर भी उसके होने की कल्पना कर लेना।
2. समुद्र में नाव लेकर जाने पर आने वाली विपत्तियों की संभावना के बाद भी नाविक समुद्र में नाव लेकर उतर पड़ता है — उन विपत्तियों के भय की, आतंक की कल्पना करके हिम्मत नहीं छोड़ बैठता, हमें भी उसी प्रकार घबराए बिना संसार-सागर में उतरना चाहिए।

3. भिखमंगों के होते हुए भी भोजन का आयोजन करना, मृत्यु के भय के बावजूद जीने की कामना करना, सागर में नाव के डूब जाने की संभावना के बाद भी नाविक का समुद्र में नाव लेकर जाना।
4. मनुष्य की शक्ति समुद्र की शक्ति से कहीं अधिक प्रबल है।

### उदाहरण 2

जीवन की कला टूँठ की तरह खड़े रहने में नहीं है; यह जो पेड़ अपनी जवानी में ही सूख गया, जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी जड़ों ने रस लेना बंद कर दिया था। जीवन में लहलहाने का एक ही तरीका है कि उसे विभिन्न रसों को लेने दो। एक विशेष विषय में निपुण होने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम फुटबाल के ग्राउंड में मत जाओ, व्यापार में इतने तल्लीन मत हो जाओ कि बच्चों को भूल जाओ, पुस्तकों के कीड़े मत बन जाओ कि यार-दोस्तों की हँसी बुरी लगने लगे। जीवन में विविध रस लेना सीखो और इतना रस लो कि बुढ़ापे की झुर्रियों में उदासीनता और निराशा की एक झुर्री भी न पड़े। रहने का तरीका यही है कि गले में संगीत हो, होंठों पर मुसकराहट हो, आँखों में हँसी हो, हृदय में उमंग हो और इस प्रकार गाते हुए बढ़ो, हँसते हुए मिलो, मुसकराते हुए विदा लो।

### प्रश्न

1. लेखक के अनुसार जीने की वास्तविक कला क्या है?
2. 'जीवन में विविध रस लेना सीखो' से क्या तात्पर्य है?
3. व्यक्ति टूँठ कब बन जाता है?
4. इस गद्यांश के लिए कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइए।

### उत्तर

1. जीवन में विविध प्रकार के अनुभव प्राप्त करना और उनमें आनंद लेना।
2. अपने अनुभव के दायरे को किसी एक क्षेत्र तक सीमित न रखकर तरह-तरह के अनुभवों से अपने जीवन को समृद्ध बनाना।

3. जब व्यक्ति अपने आपको एक खूँटे से बाँध देता है और तरह-तरह के अनुभवों से स्वयं को वंचित कर देता है, तब वह ठूँठ वृक्ष के समान हो जाता है।
4. उपयुक्त शीर्षक :
  - आनंदमय जीवन का रहस्य।
  - जीने की कला।

## अभ्यास-कार्य

(1)

नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए —  
सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ीं और क्रमशः अधिकाधिक जीव-जगत उसके संपर्क में आए। जीव-जगत के अधिक विस्तृत रूप से उसका साक्षात्कार हुआ।

इस संपर्क और साक्षात्कार के विस्तार के साथ मनुष्य के अनुभवों में भी वृद्धि हुई और उसकी चेतना अधिकाधिक विस्तृत तथा परिमार्जित होती गई। धीरे-धीरे उसमें स्मृति, इच्छा, कल्पना आदि शक्तियों का आविर्भाव हुआ और विवेक बुद्धि का विकास हुआ। आरंभ में तो मनुष्य अपने आस-पास के दृश्यों से ही परिचित था और उसकी इच्छाशक्ति भी वहीं तक सीमित थी। क्रमशः वह अदृश्य और अश्रुत वस्तुओं की कल्पना करने लगा।

उसकी इच्छाओं और अभिलाषाओं का क्षेत्र भी बढ़ा और साथ ही उसमें सुंदर-असुंदर, सत्-असत् तथा उचित-अनुचित की धारणा भी बद्धमूल हुई। समय के साथ चेतना के अधिक विकसित होने के कारण उसकी बोध-वृत्ति सुव्यवस्थित तथा परिपुष्ट होती गई। मनुष्य के संस्कारों और वृत्तियों का मनुष्य समाज से घनिष्ठ संबंध स्थापित होता गया। इन संस्कारों और वृत्तियों को ही मानव सभ्यता का मानदंड माना जाने लगा। जिस समाज की ये वृत्तियाँ जितनी अधिक व्यापक और समन्वयपूर्ण होती हैं, वह समाज उतना ही समुन्नत समझा जाता है।



## प्रश्न

1. मनुष्य की चेतना उत्तरोत्तर कैसे विकसित होती गई?
2. 'उसकी इच्छाओं और अभिलाषाओं का क्षेत्र भी बढ़ा।' इच्छाओं और अभिलाषाओं में क्या अंतर है?
3. 'आविर्भाव' शब्द का अर्थ है (सही विकल्प के सामने [✓] का चिह्न लगाइए)
  - (क) विकास
  - (ख) विस्तार
  - (ग) प्रकट होना
  - (घ) संपर्क
4. 'इन संस्कारों और वृत्तियों को ही मानव सभ्यता का मानदंड माना जाने लगा' का अभिप्राय है कि यह माना जाने लगा कि ये संस्कार और वृत्तियाँ ही -
  - (क) मानव सभ्यता को जीवित रखे हुए हैं।
  - (ख) मानव सभ्यता को प्रेरणा देती हैं।
  - (ग) मानव सभ्यता को गौरव प्रदान करती हैं।
  - (घ) मानव सभ्यता की उन्नति की निर्धारक हैं।
5. किसी भी समाज को उन्नत समाज कब माना जाता है?

## (2)

पशु को बाँधकर रखना पड़ता है, क्योंकि वह निरंकुश है, चाहे जहाँ-तहाँ चला जाता है, इधर-उधर मुँह मार देता है। क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? क्या इससे उसमें मनुष्यत्व रह पाएगा? पशु के गले की रज्जु को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेकर उसे जहाँ चाहो हाँककर ले जाओ। जिन लोगों को इसी प्रकार हाँके जाने का स्वभाव पड़ गया है, जिन्हें कोई भी जिधर चाहे ले जा सकता है, लगा सकता है, उन्हें भी पशु ही कहा जाएगा। पशु को चाहे जितना मारो, चाहे जितना उसका अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, वह पूँछ और कान हिलाने लगेगा। ऐसे नर-पशु भी बहुत से मिलेंगे

जो कुचल जाने और अपमानित होने पर भी ज़रा-सी वस्तु मिलने पर चट संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं। कुत्ते को कितना ही ताड़ना देने के बाद उसके सामने एक टुकड़ा डाल दो, वह झट से मार-पीट को भूलकर उसे खाने लगेगा। यदि हम भी ऐसे ही हैं तो हम कौन हैं, इसे स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं। पशुओं में भी कई पशु मार-पीट और अपमान को नहीं सहते। वे कई दिन तक निराहार रहते हैं। कई पशुओं ने तो प्राण त्याग दिए, ऐसा सुना जाता है। पर इस प्रकार के पशु मनुष्य-कोटि के हैं, उनमें मनुष्यत्व का समावेश है, यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी।

### प्रश्न

1. पशु को क्यों बाँधकर रखा जाता है?
2. किन स्थितियों में मनुष्य में 'मनुष्यत्व' नहीं रहता है?
3. लेखक ने नर-पशुओं की क्या विशेषताएँ बताई हैं?
4. लेखक ने किस प्रकार के पशु को मनुष्य-कोटि में रखा है?
5. इस गद्यांश के लिए कोई उपयुक्त शीर्षक सुझाइए।

### (च) अन्य व्यावहारिक पक्ष

#### फ़ोन पर प्राप्त संदेश को लिखना

आजकल चाहे गाँव हो या शहर टेलीफ़ोन का प्रचलन सब जगह बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अनेक बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि फ़ोन करने वाला व्यक्ति जिससे बात करना चाहता है वह फ़ोन पर उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होता है कि फ़ोन लेने वाला व्यक्ति फ़ोन करने वाले व्यक्ति की बात को धैर्यपूर्वक सुने और उसके संदेश को मौखिक रूप या लिखित रूप से संबंधित व्यक्ति तक पहुँचाए। नीचे इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं :

(क)

- मैं सुधांशु बोल रहा हूँ। आनंद का मित्र। आनंद होंगे क्या?
- जी नहीं, वे इस समय ऑफिस में हैं।
- अच्छा, उन्हें बता दीजिएगा कि कल मैं शताब्दी से ग्वालियर पहुँच रहा हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी भी होंगी। हो सके तो आनंद स्टेशन आ जाएँ। गाड़ी सुबह स्टेशन पहुँचती है।
- ठीक है। मैं बोल दूँगा।

**लिखित टेलीफ़ोन संदेश आनंद के नाम**

आपके मित्र सुधांशु जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि वे कल सुबह शताब्दी से ग्वालियर आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें लेने स्टेशन आएँ। उनके साथ उनकी पत्नी भी होंगी।

(ख)

- क्या मैं सुंदरम जी से बात कर सकता हूँ?
- सुंदरम जी इस समय घर पर नहीं हैं। वे शाम को घर लौटेंगे। आप कौन बोल रहे हैं?
- मैं दासगुप्ता बोल रहा हूँ। उन्हें बता दीजिएगा कि मेरा फ़ोन आया था। मैं एक आदमी के हाथ शाम को उनके पास कुछ किताबें भिजवा रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे मँगवाई थीं। उन्हें कह दें कि वे पुस्तकों की पावती उसी आदमी के हाथ भिजवा दें।
- ठीक है। मैं बता दूँगी।
- धन्यवाद।

**लिखित टेलीफ़ोन संदेश श्री सुंदरम के लिए**

आपके लिए श्री दासगुप्ता जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि वे आज शाम को एक आदमी के हाथ कुछ किताबें भिजवा रहे हैं जो आपने उनसे मँगवाई थीं। वे चाहते हैं कि आप इन किताबों की पावती उस आदमी के हाथ ही भिजवा दें।

कभी-कभी जहाँ विशेष संदेश नहीं होता वहाँ यह सूचना इस प्रकार दी जा सकती है :

1. श्री चंद्रेश शर्मा जी के लिए एक फ़ोन आया था। कृपया फ़ोन नं. 26497784 पर उनसे संपर्क कर लें।
2. सुधा जी, आपकी माता जी का फ़ोन आया था। घर पर उनसे बात कर लें। ज़रूरी काम है।

### रेलवे समय सारिणी : कैसे देखें ?

आज के युग में रेलयात्रा हमारे जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग हो गया है। चाहे हमें रेल में सफ़र करना हो, टिकट का आरक्षण कराना हो या अपने मेहमानों को लेने स्टेशन जाना हो, हमें कई बार समय सारिणी देखने की ज़रूरत पड़ती है। लोग अक्सर रेलवे समय सारिणी देखने से कतराते हैं क्योंकि इसमें दी गई सूचना को ढूँढ़ना उन्हें मुश्किल लगता है। यदि इसकी थोड़ी-सी जानकारी हो जाए तो यह कार्य मुश्किल नहीं है। नीचे हम रेलवे की समय सारिणी का एक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे ध्यान से देखकर आप समय सारिणी में दी गई विभिन्न सूचनाओं को आसानी से समझ सकेंगे।

### समय सारिणी

समय सारिणी में कई अन्य सूचनाएँ भी होती हैं जो यात्रियों के लिए महत्त्वपूर्ण होती हैं।

1. समय सारिणी के प्रारंभ में सभी स्टेशनों के नाम अकारादि क्रम से दिए जाते हैं। महानगरों के स्टेशनों के नाम मोटे या तिरछे अक्षरों में दिए जाते हैं।



3. हर टेबल के पहले कॉलम में दो स्टेशनों के बीच की दूरी किलोमीटर में दी गई होती है। किराए की तालिका में इन्हीं दूरियों के आधार पर दो स्टेशनों के बीच का किराया निर्धारित किया जाता है।
4. समय सारिणी में राजधानी और शताब्दी गाड़ियों का विवरण अलग से दिया होता है। इनके अलावा कई प्रकार की यात्री सूचनाएँ, पर्वटक सूचनाएँ आदि भी समय सारिणी में उपलब्ध रहती हैं।

### रेलवे का आरक्षण फ़ार्म : कैसे भरें ?

रेलगाड़ी आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है। हमें कहीं सफ़र करना हो, सीट का आरक्षण करवाना हो, रद्द करवाना हो, आरक्षण की पुष्टि करवानी हो, गाड़ी के प्रस्थान या आगमन के बारे में पूछना हो, या किराया पूछना हो तो हमें रेल विभाग के किसी न किसी अनुभाग से संपर्क करना पड़ता है। व्यावहारिक जीवन में इन सभी स्थितियों के लिए, जहाँ इन प्रक्रियाओं की जानकारी ज़रूरी है वहीं इनसे संबंधित भाषा-प्रयोग की जानकारी भी ज़रूरी है। नीचे हम इनमें से कुछ स्थितियों से आपको परिचित कराएँगे और इनमें प्रयुक्त विशेष प्रकार की अभिव्यक्तियों का अभ्यास कराएँगे।

### टिकट बुक कराना

किसी भी स्थान के लिए टिकट का आरक्षण करवाने के लिए आरक्षण कार्यालय जाकर आरक्षण पर्ची (स्लिप) भरनी पड़ती है, जिसका नमूना आगे दिया जा रहा है। आरक्षण पर्ची में निम्नलिखित सूचनाएँ भरनी पड़ती हैं :

## खाली फ़ार्म

..... रेलवे

फ़ॉर्म 257

## आरक्षण/रहकरण भाग फ़ार्म.

यदि आप डॉक्टर हैं, तो कृपया खाने में सही (✓) का निशान लगायें।  
(आप अस्पतालकाल में मरबूदाग्न हो सकते हैं) डॉ.

गाड़ी संख्या और नाम ..... यात्रा की तारीख .....  
श्रेणी ..... शासिकाओं/सीटों की सं. ....  
..... स्टेशन से ..... स्टेशन तक  
यात्रा आरम्भ करने का स्टेशन ..... तक आरक्षण

क्र. सं.	नाम स्पष्ट अक्षरों में (15 अक्षरों में अधिक न हो)	लिंग पु/स्त्री	अवस्था	पियामर/यात्रा शासिका सं.	विशेष भाग यदि कोई हो
1.					निशा/ऊ.शा
2.					शासिका/
3.					महाशासिका
4.					भोजन
5.					(केवल)
6.					राजधानी/
					प्रताप/
					(एकपक्ष से)

## आगे की यात्रा/बापसी यात्रा का विवरण

गाड़ी सं. और नाम ..... तारीख .....  
श्रेणी ..... स्टेशन से ..... स्टेशन तक  
आवेषन का नाम .....  
पूरा पता ..... अवेषक/प्रतिनिधि के  
..... हस्ताक्षर  
टेलीफोन नं. यदि कोई हो ..... बिनाक ..... समय

## केवल सरकारी प्रयोग के लिए

भाग पत्र की क्रम सं. .... पी.एन.आर. सं. ....  
शासिका/सीट सं. .... वसूल की गई रकम .....

## आरक्षण लिपिक के हस्ताक्षर

- टिप्पणी 1. अधिकतम अनुपम यात्रियों की संख्या प्रति भाग पत्र 6 व्यक्ति।  
2. एक बस एक व्यक्ति से केवल एक ही भाग पत्र स्वीकार किया जाएगा।  
3. कृपया लिखनी चीज़ों से पहले अपने टिकट और शीट राशि की जांच करें।  
4. ठीक ढंग से न भरें हुए तथा अनवस्थित फ़ार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।  
5. विशेष भाग पर उपलब्धता के अभाव पर निषेध किया जाएगा।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए फ़ार्म में देख रहे हैं, आरक्षण पर्ची में मोटे रूप से निम्नलिखित सूचनाएँ भरने की आवश्यकता पड़ती है :

- (क) गाड़ी संख्या और नाम, यात्रा की तारीख, श्रेणी, शायिकाओं या सीटों की संख्या, यात्रा अथवा आरक्षण कहाँ से कहाँ तक के लिए है।
- (ख) यात्री का नाम/ लिंग (पुरुष/स्त्री)/ उम्र, आवेदक का नाम, पता और फ़ोन नंबर। यदि यात्रा किसी पास या सरकारी सुविधा के अंतर्गत की जा रही है, तो उसका नंबर। एक आरक्षण पर्ची में अधिक से अधिक छः व्यक्तियों का आरक्षण हो सकता है। इसी फ़ार्म के नीचे एक दूसरा कालम रहता है जहाँ यदि वापसी टिकट भी खरीदना हो तो उसकी भी सूचना भरनी पड़ती है।

इस आरक्षण पर्ची को आरक्षण काउंटर पर देने से काउंटर पर बैठा कर्मचारी आपको बताएगा कि सीट अथवा शायिका उपलब्ध है या नहीं। उपलब्ध होने पर आप उसे पैसा देंगे और अपना टिकट लेंगे। अगर टिकट रद्द कराना हो तो भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी और फ़ार्म भरकर देना होगा। फार्म वही होता है केवल 'आरक्षण' की जगह 'रद्द' लिखना होगा।

आगे के पृष्ठ में हम सुविधा के लिए एक फ़ार्म भर कर दे रहे हैं। इसके बाद दिए गए खाली फ़ार्म को आप अपने टिकट आरक्षण के लिए स्वयं भरें।



### भरा हुआ फार्म

.....रेलवे  
**आरक्षण/रद्दकरण मांग फार्म**

यदि आप डॉक्टर हैं, तो कृपया खाने में सही (V) का निशान लगाएं।  
 (आप आपातकाल में मददगार हो सकते हैं) डॉ.

गाड़ी संख्या और नाम शाताब्दी यात्रा की तारीख 5-12-2001

श्रेणी II सं.सी. शायिकाओ/सीटों की सं. एक

चण्डीगढ़ स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन तक

यात्रा आरम्भ करने का स्टेशन चण्डीगढ़ तक आरक्षण

क्र. सं.	नाम स्पष्ट अक्षरों में (15 अक्षरों से अधिक न हो)	लिंग पुं/ स्त्री.	आयु	रियासत/यात्रा प्राधिकार सं.	विशेष मांग, यदि कोई हो
1.	<u>सं.सी. भदुला</u>	<u>पुं</u>	<u>43</u>		नि.शा./ज.शा.
2.					शाकाहारी/ मासाहारी
3.					भोजन (केवल
4.					राजधानी/ शाताब्दी
5.					एक्सप्रेस में)
6.					

**आगे की यात्रा/वापसी यात्रा का विवरण**

गाड़ी सं. और नाम शाताब्दी 30 तारीख 20-1-2002

II सं.सी. श्रेणी नई दिल्ली स्टेशन से चण्डीगढ़ स्टेशन तक

आवेदक का नाम श्री. सं.सी. भदुला

पूरा पता II / 49 स/कल नई दिल्ली आवेदक/प्रतिनिधि के

हस्ताक्षर amb

टेलीफोन नं., यदि कोई हो, 74798 दिनांक 11-12-01 समय 10:30 AM

**केवल सरकारी प्रयोग के लिए**

मांग पत्र की क्रम सं. .... पी.एन.आर. सं. ....

शायिका/सीट सं. .... वसूल की गई रकम .....

**आरक्षण लिपिक के हस्ताक्षर**

1. अधिकतम अनुपेय यात्रियों की संख्या प्रति मांग पत्र 6 व्यक्ति।
2. एक बार एक व्यक्ति से केवल एक ही मांग पत्र स्वीकार किया जायेगा।
3. कृपया लिपिकी छोड़ने से पहले अपने टिकट और शेष राशि की जांच कर लें।
4. ठीक डेय से न भरे हुए तथा भाठनीय फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
5. विशेष मांग पर उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

## यातायात के संकेत

आजकल यातायात के साधन इतने अधिक हो गए हैं कि हर समय सड़कों पर भागमभाग मची रहती है। मोटर, कार, स्कूटर, बस, ट्रक, टैपो, रिक्शा आदि विविध प्रकार के वाहन नगरों में दिन-रात भागते दिखाई पड़ते हैं। नगरों की ही तरह गाँवों में भी वाहनों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इस कारण आज यात्रा खतरे से खाली नहीं रही और दिन-प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका मुख्य कारण है वाहन चालकों को यातायात के नियमों और मुख्य संकेतों की जानकारी न होना। यहाँ आपकी सुविधा के लिए यातायात के प्रमुख संकेतों और सड़क-चिह्नों आदि की जानकारी दी जा रही है :



**रुको :** स्टॉप लाइन से कुछ पहले ही रुक जाएँ। एक-दूसरे से भी दूरी बनाए रखें ताकि सबको आगे की सड़क साफ़ दिखाई दे सके। लाल बत्ती पर आप बाएँ मुड़ सकते हैं बशर्ते ऐसा करने की मनाही वाला बोर्ड न लगा हो। मुड़ते समय पैदल चलने वालों तथा दूसरी ओर के ट्रैफिक को रास्ता दें।

**सावधान :** नारंगी बत्ती का मतलब है चौराहा खाली करो, लाल बत्ती होने वाली है। अगर चौराहे पर नारंगी बत्ती के दौरान आप सड़क के बीच फँस जाते हैं तो घबराकर एक्सिलेटर न दबाएँ, बल्कि शांत रहकर चौराहा पार कर लें।




**चलो :** अगर सबसे आगे खड़े हैं तो हरी बत्ती होते ही तूफान की तरह न उड़ें, बल्कि देखें कि दूसरी तरफ़ की सभी गाड़ियाँ निकल गई हैं क्या ?

कहीं-कहीं आप बाएँ या दाएँ भी मुड़ सकेंगे। अगर मुड़ना हो तो पैदल चलने वालों और दूसरी दिशा से आ रहे वाहनों को रास्ता और संकेत देना याद रखें।

इनके अलावा कुछ सड़क चिह्न गोले में दिए होते हैं, जिनका पालन न करना कानूनन अपराध होता है। ये अनिवार्य सड़क चिह्न होते हैं :



प्रवेश निषेध




एकतरफा यातायात



दोनों तरफ वाहन निषेध



सभी मोटर वाहन निषेध



ट्रक निषेध



बैलगाड़ी निषेध



तांगा निषेध



हाथगाड़ी निषेध



साइकिल निषेध



पैदल निषेध



दाहिने मुड़ना निषेध



बाएँ मुड़ना निषेध



चिमटा मोड़ मुड़ना निषेध



ओवरटेक निषेध



हॉर्न बजाना निषेध

इसी प्रकार कुछ सड़क चिह्न चेतावनी या सूचना के लिए होते हैं जो यात्रियों या वाहन चालकों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनमें से कुछ खास चेतावनी तथा सूचना चिह्न नीचे दिए जा रहे हैं :



पैदल पारक



आगे स्कूल है

टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता  
दायांटेढ़ा-मेढ़ा रास्ता  
बायां

इन चिह्नों से आपको हाइ-वे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं आदि की सूचना मिलती है और ये हमेशा नीली पृष्ठभूमि में होते हैं।



सार्वजनिक दूरभाष



पेट्रोल पंप



अस्पताल



प्राथमिक चिकित्सा केंद्र



भोजनालय



हल्का जलपान



आराम स्थल



आगे रास्ता नहीं है



इस ओर पार्क करें



आम रास्ता नहीं है



दोनों ओर पार्किंग

## कोश देखना

समय-समय पर सभी व्यक्तियों को शब्द-कोश देखने की आवश्यकता पड़ती है। कोश हमें मुख्य रूप से शब्दों के अर्थ और भाषा में उनके विभिन्न प्रयोगों की जानकारी देता है। इसमें हमें शब्दों से संबंधित कई तरह की और सूचनाएँ भी मिलती हैं; जैसे - शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ (संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि), उनके लिंगों, उनके उच्चारण, उनकी व्युत्पत्ति, उनके विभिन्न व्युत्पन्न रूप, वर्तनी, मुहावरे और प्रयोग के दृष्टांत वाक्य।

कोश कई प्रकार के होते हैं जिनमें प्रमुख हैं —

1. एक भाषा कोश ( हिंदी-हिंदी, अंग्रेजी-अंग्रेजी)
2. द्विभाषा कोश (हिंदी-अंग्रेजी, अंग्रेजी-हिंदी)
3. बहुभाषा कोश (दो से अधिक भाषाओं के समन्वित कोश)
4. विश्व कोश (विभिन्न विषयों/शीर्षकों से संबंधित ज्ञानात्मक सूचनाएँ)
5. थिसॉरस (एक ही भाषा में शब्दों के पर्यायों, संबद्ध शब्दों तथा रूपों की सूचना)

चाहे कोश किसी भी प्रकार का हो, सभी में शब्दों को अकारादि क्रम में ही प्रस्तुत किया जाता है, जिससे शब्दों को ढूँढ़ने में सुविधा होती है। अंग्रेज़ी में यह क्रम होता है, a b c d e f आदि। हिंदी कोशों में सबसे पहले स्वर और फिर व्यंजन युक्त शब्द दिए जाते हैं। हिंदी में मात्राएँ, संयुक्ताक्षर और अनुस्वार भी होते हैं, इसलिए हिंदी के कोशों में वर्णक्रम योजना इस प्रकार होती है :

### वर्ण योजना

**स्वर**    अँ / अं अ: अ आँ/आँ आ आँ इं इ ई ई उँ/उं उ ऊँ/ ऊं ऊ ऋ  
 ँ/एं ए ऐ ऐ ओं ओ औ औ

**उदाहरण**

1. कैं/कं कः क काँ/कां का किं कि कीं की कुँ/कुं कु कूँ/कूं कू  
कृं कृ कें के कैं कै कौं को कौं कौ।
2. कैंकड़ीला, कंकण, कंकाल, कंगन, कंगूरा, कंचुकी, कंट, कंड्य,  
कक्का, कक्षा, कलाकार, काँच, कांत, कालानुक्रम, कॉलेज,  
किताब, कीट, कुंचन, कुंडल, कुत्ता, कूँज, कूदना, कृतक, कृपा,  
केंद्र, केला, कैंची, कैद, कॉपल, कोटि, कोड़ा, कौंध, कौतुक,  
कौशल, कौषेय, कौस्तुभ, क्यारी, क्यौं, क्रंदन, क्रम, क्रांति,  
क्रिया, क्रीड़ा, क्रुद्ध, क्रूर, क्रेता, क्रोध, क्रौंच, क्लांति, फिलिष्ट,  
क्वण, क्वॉंरा, क्षण, क्षत्रिय, क्षमा, क्षय, क्षरण, क्षितिज, क्षीण,  
क्षुद्र, क्षेत्र, क्षैतिज, क्षोभ, क्षौर।

**सामान्य नियम**

1. कोश के वर्णक्रम में पूर्ण अक्षर से पहले अनुनासिक व अनुस्वार चिह्न रँ, रं युक्त वर्ण आएगा; जैसे — हँस, हंस, हस, हास, हास।
2. आधे अक्षर पूर्ण अक्षरों के बाद आएँगे; जैसे — कर, कर्कट, कौन, क्या।
3. संयुक्ताक्षरों का वर्णक्रम उनके घटकों के क्रम से निर्धारित होता है,  
जैसे — क्ष = क्+ष, त्र = त्+र, ज्ञ = ज्+ञ, श्र = श्+र,  
क्रम = क्+र्+म, कर्म = क+र्+म, द्ध (द्ध) = द्+ध,  
द्व (द्व) = द्+व, द्य (द्य) = द्+य।








and the lowest, i.e., 1.2 percent in Jammu & Kashmir.

#### **5.11 Teachers Undergone Inservice Training in Teaching aids:**

(1) The number of Middle Schools having at least one teacher who had undergone inservice training programme for preparation of teaching aids was 10.7 percent, the highest, in Kerala and 3.4 percent, the lowest, in Orissa.

(11) The largest number of Secondary / Higher Secondary Schools having teachers trained in preparation of teaching aids was 23.1 percent in the state of Kerala whereas only one school each in the states of Jammu & Kashmir and Orissa was found.





राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING




**An Intensive Study of Teaching Aids  
at  
Middle and Secondary Stages of the School**

**A QUESTIONNAIRE**

	STATE	DISTT	SCHOOL		
SCHOOL I D.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

*(For office use only)*



**Department of Measurement, Evaluation, Survey and Data Processing**  
**राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्**  
**NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING**  
**Shri Aurobindo Marg, New Delhi 110016**



## Instructions for filling in the Questionnaire

The questionnaire enclosed herewith relates to the project "An Intensive Study of Teaching Aids at Middle and Secondary stages of the School". The information for each and every item in the questionnaire is to be provided by the Principal/Headmaster of the recognised school with the help of the teacher(s) teaching at the Middle and Secondary stages. To facilitate the process of filling in the information certain points are mentioned below. Please read them carefully before filling up the questionnaire.

1. The middle and secondary stage in the present context may be a part of middle school, secondary school or Higher Secondary School according to the State pattern. The middle schools are required to provide information for middle stage only whereas the Secondary/Higher Secondary Schools have to provide information about middle as well as Secondary stage available in them.

2. The filled in questionnaire is to be processed with the help of electronic computer. It is therefore necessary to provide the required information in exact and accurate manner in the specified form indicated as the following.

The items provided in the questionnaire are generally of three types, namely, (a) multiple choice type, (b) quantitative information type, (c) descriptive information type. The procedure for providing responses with respect to each of them is as under:

(a) *Items of multiple choice type* Possible response choices are provided against each of the items. Please choose the most appropriate choice applicable to your school and put a tick mark (✓) in the bracket provided against the same.

(b) *Items of quantitative information type* A number of squares are provided against such items to obtain information in numerical form. The information is to be provided only in Arabic Numerals, i.e., 0, 1, 2, 3, ..., 9. The numerical digits are to be entered starting from right hand side by entering one digit in one square. The remaining squares on the left hand side, if blank, are to be filled in with Zeros. For example in item 9(a) (ii) four blank squares have been provided to enter the total enrolment at middle stage in the school. If enrolment of a particular school is in 3 digits, says, 785 then the same is to be entered as 

0	7	8	5
---	---	---	---

(c) *Items of descriptive information type* Information in certain items have been asked in open ended form. Responses to such items should be described/mentioned specifically to the point and in a brief manner.

3. Item 5: All schools run by State Government, Central Government, Public Undertaking and autonomous organisations completely financed by the government will be treated as Government schools. All schools run by Municipal Corporation, Municipal Committees, notified area Committees, Zila Parishad, Panchayat Samitees, Contonement Boards etc., will be treated as local body schools.

4. Items 6: A school is "A school for boys" if boys are admitted to all classes and admission for girls is restricted to some specific classes only. A school is "A school for Girls", if girls are admitted to all classes and admission for boys is restricted to some specific classes only. A school is co-educational if boys and girls are admitted to all classes of the school.

5. Item 9: When all the students in a class cannot be accommodated in one section then they are allocated suitably to different sections, like, section A, section B, etc., for the purposes of classroom instructions. The total number of sections are to be arrived at by adding the classwise number of sections for all the concerned classes at middle and secondary stages respectively.

6. Item 10: The teaching aids other than those already provided in the text books are listed. The total number of each of them available in your school and out of these how many are in working condition are to be mentioned in separate columns. In order to help the respondent a few definitions are provided separately.





## DEFINITIONS

*Chart:* Charts are combinations of graphic and pictorial media designed for visualising relationships between key facts and ideas in an orderly and logical way. Such as flow charts, tabular charts, tree charts, etc.

*Graph:* Graph is a visual representation of numerical data. Such as line graphs, bar graphs, pie graphs, pictorial graphs, etc.

*Poster:* Poster is a visual combination of bold design, colour and message which is intended to catch and hold the attention of the passer by long enough to implant a significant idea in his mind.

*Diagram:* Diagram is a condensed drawing consisting primarily of lines and symbols designed to show interrelationships, general outlines, or key features of a process, object or area.

*Cartoon:* Cartoon is a pictorial representation of a person, idea, or situation that is designed to influence public opinion. Generally it depicts satire, exaggeration, symbolism and humour of a sort.

*Model:* A model is recognizable imitation of the real thing, probably made of wood, plastic or metal in miniature form.

*Mock up:* Mock up is an imitation of a real thing. In this some fundamental elements of the real thing are purposely eliminated in order to focus attention upon others.



# An Intensive Study of Teaching Aids at Middle and Secondary Stages of School

1. Name and full address.  
of the school

.....  
.....  
.....

PIN 

--	--	--	--	--	--

2. District

3. State

4. Area where school is located : (i) Rural ( )  
(ii) Urban ( )

5. Management of school (i) Government ( )  
(ii) Local Body ( )  
(iii) Private Aided ( )  
(iv) Private unaided ( )

6. Type of school (i) Boys ( )  
(ii) Girls ( )  
(iii) Co-educational ( )

7. Year of establishment (i) As Middle School 

--	--	--	--

  
(ii) As Secondary School 

--	--	--	--

8. (a) Classes taught (i) From class (starting) 

--

  
(ii) to class (ending) 

--	--

(b) Total number of Sections in the school 

--	--

9. (a) At Middle stage (i) Number of sections 

--	--

  
(ii) Total enrolment 

--	--	--	--

(b) At Secondary Stage (i) Number of sections 

--	--

  
(ii) Total enrolment 

--	--	--	--



10 Following is the list of teaching aids generally used in classroom teaching. Please indicate the number of each aid available and number of those which are in working order. (In case the information is nil, a cross (X) may be marked).

<i>S No.</i>	<i>Aid</i>	<i>Number available</i>	<i>No in working order</i>
1	Black boards	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
2	Roll up black boards	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
3	Bulletin boards	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
4	Flannel Boards	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
5	Flannel graphs	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
6	Charts	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
7	Graphs	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
8	Pictures/Photographs	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
9	maps	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
10	Posters	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
11	Diagrams	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
12	Cartoons	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
13	Comic Strips	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
14	Globe	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
15	Models	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>



<i>S.No.</i>	<i>Aid</i>	<i>Number available</i>	<i>No. in working order</i>
16.	Specimens	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17	Mockups	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18.	Puppets	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19.	Radios	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	Tape recorders	<input type="text"/>	<input type="text"/>
21.	Cassettes	<input type="text"/>	<input type="text"/>
22	16mm Film Projectors	<input type="text"/>	<input type="text"/>
23.	Opaque projectors/Epidiascope	<input type="text"/>	<input type="text"/>
24.	Over head projectors	<input type="text"/>	<input type="text"/>
25.	35mm Film strip-cum-Slide Projector	<input type="text"/>	<input type="text"/>
26.	Slides	<input type="text"/>	<input type="text"/>
27.	Flash Cards	<input type="text"/>	<input type="text"/>
28	Films	<input type="text"/>	<input type="text"/>
29.	Film strips	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30.	Televisions	<input type="text"/>	<input type="text"/>
31.	Video Cassette players/recorders	<input type="text"/>	<input type="text"/>
32.	Video Cassettes	<input type="text"/>	<input type="text"/>
33.	Micro-Computers	<input type="text"/>	<input type="text"/>
34	Floppy diskets	<input type="text"/>	<input type="text"/>
35	Any other (Specity) . . . . .	<input type="text"/>	<input type="text"/>





ITEM 11. Please mention the No. of teaching aids (in working order) available for Middle and Secondary Stage for each group of subject(s) (Cross out the ones which are not available)

S.No	Aid	Languages	Mathematics	Social Studies	Physical Science	Biological Science	Home Science	Music	Fine Arts
1.	Charts	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Graphs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Pictures/ Photographs	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Maps	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	Posters	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.	Diagrams	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	Cartoons	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.	Comicstrips	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.	Globes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.	Models	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11.	Specimens	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12.	Mock-ups	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13.	Puppets	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14.	Cassettes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15.	Slides	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



S.No	Aid	Languages	Mathematics	Social Studies	Physical Science	Biological Science	Home Science	Music	Fine Arts
16.	Flash Cards	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
17.	Films	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
18.	Film Strips	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
19.	Video Cassettes	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

ITFM 12: In classroom teaching at middle and secondary stages the following teaching aids are generally used. Please indicate for each subject(s) separately their usage in terms of numerical digits as: 1-Frequently, 2-Sometimes, 3-Rarely, and 4-Never in the square provided for

S.No	Aid	Languages	Mathematics	Social Studies	Physical Science	Biological Science	Home Science	Music	Fine Arts
1.	Charts	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	Graphs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	Pictures/ Photographs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	Maps	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.	Posters	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.	Diagrams	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.	Cartoons	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8.	Comic strips	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9.	Globes	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



S No.	Aid	Languages	Mathematics	Social Studies	Physical Science	Biological Science	Home Science	Music	Fine Arts
10	Models	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Specimens	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Mock-ups	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Puppets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Cassettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Slides	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Flash Cards	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Films	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Film Strips	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Video Cassettes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Whether records are maintained in respect of issue and receipt of teaching aids?

(i) Yes ( )

(ii) No ( )

14. Is an upto date list of teaching aids available in the school?

(i) Yes ( )

(ii) No ( )



15 How many times educational film shows were organised during the whole session 1985-86?

- (i) None ( )  
 (ii) One ( )  
 (iii) Two ( )  
 (iv) More than two ( )

16 (a) Has the school organised field trips during the school session 1985-86?

- (i) Yes ( )  
 (ii) No ( )

(b) If yes please indicate the number of times these field trips were organised for different classes and subjects catered to.

<i>Class</i>	<i>No. of times</i>	<i>Subjects the trips catered to</i>
V	<input type="text"/>	
VI	<input type="text"/>	
VII	<input type="text"/>	
VIII	<input type="text"/>	
IX	<input type="text"/>	
X	<input type="text"/>	

17.(a) Has the school organised exhibition during the school session 1985-86?

- (i) Yes ( )  
 (ii) No ( )

(b) If yes, subjects/streams it was organised for

- (i) Science ( )  
 (ii) Social Studies ( )  
 (iii) Any other (Specify) (....)





(c) Whether the exhibits displayed were prepared by

- (i) Students ( )  
 (ii) Teachers ( )  
 (iii) Outside agencies ( )

18 (a) Is there a museum in the school?

- (i) Yes ( )  
 (ii) No ( )

(b) If yes, number of specimens in the museum

--	--	--

19 Mention the types of teaching aids prepared by teachers and students separately

<i>S.No</i>	<i>Teaching aids prepared by Teachers</i>	<i>S No</i>	<i>Teaching aids prepared by Students</i>
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	

20 The teaching aids are purchased on the suggestion of

- (i) the head of the institution ( )  
 (ii) subject teachers ( )  
 (iii) a committee ( )  
 (iv) Any other (specify) ( )

21 (a) Does the school maintain a stock register for teaching aids?

- (i) Yes ( )  
 (ii) No ( )

(b) How often is the physical verification of teaching aids done?

- (i) Once a year ( )  
 (ii) Once in two years ( )  
 (iii) Once in three years ( )  
 (iv) Never ( )

22 How the maintenance services of following equipments are done?

<i>Equipments</i>	<i>Regular Service Contract</i>	<i>Adhoc Service</i>
(i) Radio	( )	( )
(ii) Tape recorders	( )	( )
(iii) Televisions	( )	( )
(iv) Projectors	( )	( )

23 Does the school charge separate fee for teaching aids?

- (i) Yes ( )  
 (ii) No ( )



24 Give expenditure incurred during last 3 years on teaching aids

	1983-84	1984-85	1985-86
Amount in rupees	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

25. (a) Is the school a member of any Film Library?

(i) Yes ( )

(ii) No ( )

(b) If yes, please mention the name(s) of the film libraries and films borrowed during 1985-86

Name of the Library	No. of films borrowed
(1) . . . . .	<input type="text"/> <input type="text"/>
(2) . . . . .	<input type="text"/> <input type="text"/>
(3) . . . . .	<input type="text"/> <input type="text"/>

26. How many teachers of your school have undergone inservice training programme for preparation of teaching aids?

27(a) Is there any room/hall in the school for projection purposes?

(i) Yes ( )

(ii) No ( )

(b) If yes give seating capacity of room/hall

(c) If yes in (a), does the room/hall have adequate provision/arrangements, (electric points, darkening etc.) required for projection

(i) Yes ( )

(ii) No ( )



10

28(a) Is there any particular room specified as teaching aids/audio visual room in the school?

- (i) Yes ( )  
(ii) No ( )


(b) If no, please indicate as to how the teaching aids material/equipments are located?

- (i) One place ( )  
(ii) Common aids at one place and subject-wise aids at different places ( )  
(iii) No specific place is fixed ( )

29. Name the subject-wise teaching aids and equipments needed in your school

Stage	Subjects	Teaching aids	Equipments
Middle	1 Languages		
	2. Mathematics		
	3 Social Studies		
	4. Physical Sciences		
	5. Biological Sciences		
Secondary	1. Languages		
	2. Mathematics		
	3 Social Studies		
	4 Physical Sciences		
	5 Biological Sciences		

Signature of the  
Principal/Headmaster



128